लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र]

Fourteenth Session

[खंड 52 में अंक 21 से 30 तक हैं]
[Vol. LII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 27—गुरुवार, 24 मार्च, 1966/3 चैत्र, 1888 (शक)

No. 27—Thursday, March 24, 1966/Chaitra 3, 1888 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
742	सिंचाई और जल निकास के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय आयोग सम्बन्धी कांग्रेस	Congress of the International Commission on Irrigation and Drainage	5429–31
743	गांवों में बिजली लगाना	Electrification of Villages . .	5431–34
744	1965-66 के बजट में की गई कटौतियां	Cuts Affected in 1965-66 Budget	5435-38
745	पी० एल० 480	P.L. 480	5439–41
746	योजना विकास पर व्यय	Outlay of Plan Development .	5441–43
747	दिल्ली में आय-कर कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल	Hunger Strike by Income Tax Employees in Delhi . .	5443–44
749	उपभोक्ता सहकारी समितियां	Consumer Cooperatives . .	5444
750	बम्बई में छापा	Raid in Bombay . . .	5444–46
751	परिवार पेंशन सम्बन्धी लाभ	Family Pension Benefits . .	5446–48

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
748	डाक्टरों की कमी	Shortage of Doctors . . .	5448
752	जापान का आर्थिक मिशन	Japanese Economic Mission .	5448–49
753	आसाम की परिवहन व्यवस्था	Transport System of Assam .	5449
754	कंक्रीट ब्लाक फैक्टरी	Concrete Block Factories . .	5449–50
755	सरकारी कर्मचारियों के वेतन सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति	National Policy on Salary of Govt. Employees	5450
756	ठेकेदारों को भुगतान	Payment to Contractors . .	5450
757	दिल्ली में घरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली	Domestic Power Consumption in Delhi	5450–51
758	बागान श्रमिक आवास योजनाएं	Plantation Labour Housing Schemes	5451
759	चौथा वित्त आयोग	Fourth Finance Commission .	5451–52

---

*किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

1—43 L. S./66

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
760	गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को सरकारी ऋण	Government Loan to Private Sector Industries . . .	5452
762	मध्य प्रदेश में कताई मिलें	Spinning Mills in Madhya Pradesh	5452
763	केरल में हैजे का महामारी के रूप में फैल जाना	Cholera Epidemic in Kerala .	5453
764	अमरीकी ऋण	U.S. Loan	5453
765	केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना	Central Government Health Scheme	5454
766	विदेशी मुद्रा नियम उल्लंघन	Foreign Exchange Violations .	5454
767	मकान बनाने के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण	L.I.C. Loan for Housing .	5454–55
768	संयुक्त राज्य अमरीका से सहायता	Aid from U.S.A. .	5455
769	सिंधू जल आयोग	Indus Water Commission	5455–56
770	पेंशनरों को महंगाई भत्ता	D.A. to Pensioners . . .	5456
771	ब्रिटेन से कच्चे माल तथा पुर्जों का आयात	Import of Raw Materials and Components from U.K. .	5457

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
2690	केरल को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Kerala .	5457
2691	त्रिचूर में जल संभरण योजना	Water Supply Scheme in Trichur .	5457–58
2692	केरल में मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	Medium Irrigation Project in Kerala	5458
2693	केरल में सिंचाई-कर	Irrigation Taxes in Kerala . .	5458–59
2694	अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि	Rise in Prices of Essential Commodities	5459
2695	केरल म चेचक महामारी	Small pox in Kerala . . .	5459–60
2696	कन्नानूर जिला अस्पताल (केरल)	Cannanore District Hospital (Kerala)	5460
2697	जीवन बीमा निगम द्वारा केरल में आवास योजना के लिये दिया गया ऋण	L.I.C. Advance for Housing Scheme in Kerala . . .	5460–61
2698	कुष्ठरोगी पुनर्वास केन्द्र	Leprosy Rehabilitation Centre .	5461–62
2699	पेरियार नदी घाटी परियोजना	Periyar River Valley Project .	5462
2700	एर्णाकुलम अस्पताल	Ernakulam Hospital . . .	5462
2701	तटवर्ती क्षेत्रों में पेय जल संभरण योजनायें	Drinking Water Supply Schemes in Coastal Areas . . .	5462–63
2702	कैंसर का इलाज	Cancer Cure . . .	5463
2703	औद्योगिक गृह-निर्माण योजना	Industrial Housing Scheme .	5463

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2704	उर्वरकों के सम्बन्ध में अनुसंधान	Research on Fertilizers . .	5463–64
2705	ठेकेदारों को प्रशिक्षण	Training to Contractors . .	5464
2706	गैर-सरकारी वित्तीय कम्पनियों द्वारा ऋण दिया जाना	Advance of loans by Private Financial Companies . .	5464–65
2707	गोहाटी के लिये बाढ़ तथा भूमि कटाव योजना	Flood and Erosion Scheme in Gauhati	5465
2708	गंडक परियोजना	Gandak Project . . .	5465–66
2709	विलिंगडन अस्पताल	Willingdon Hospital . . .	5466
2710	दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली की सप्लाई बन्द किये जाने सम्बन्धी योजना	D.V.C. Withdrawal Plan . .	5466–67
2711	जीवन बीमा निगम द्वारा अर्जित लाभ	Profit Earned by L.I.C. . .	5467
2712	पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास	Development of Eastern U. P. .	5467–68
2714	मैसूर की वन तथा खनिज सम्पत्ति	Forest and Mineral Wealth of Mysore	5468
2715	सलाल जल-विद्युत् परियोजना	Salal Hydro-Electric Project .	5468
2716	उत्तर प्रदेश की सिंचाई और विद्युत् सम्बन्धी क्षमता	Irrigation and Power Potential of U. P.	5468–69
2717	मोनीभद्रा बांध परियोजना	Manibhadra Dam Project .	5469
2718	मकान बन्धक (मोरगेज) निगम	House Mortgage Corporation .	5469
2719	जीवन बीमा निगम द्वारा राजस्थान का कारोबार	Business secured by L.I.C. in Rajasthan	5469
2720	कृषि कार्यक्रम	Agricultural Programmes .	5469–70
2721	चक्षु शिविर	Eye Camps . . .	5470
2722	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	Primary Health Centres . .	5470
2723	राजस्थान में आय-कर की बकाया राशि	Income-tax Arrears in Rajasthan .	5470–71
2724	परिवार नियोजन सम्बन्धी सामग्री	Family Planning Accessories .	5471
2725	उड़ीसा में वसूल की गई आय-कर की बकाया राशि	Income-tax arrears realised in Orissa	5471
2726	दिल्ली में गन्दी बस्ती सफाई योजना के अन्तर्गत क्षेत्र	Area under Slum Clearance in Delhi	5472
2727	आवास तथा गन्दी बस्ती हटाये जाने सम्बन्धी योजनायें	Housing and Slum Clearance Schemes	5472
2728	उड़ीसा को सहायता	Assistance to Orissa . . .	5473
2729	पंजाब में पंचायत समिति उद्योग	Panchayat Samiti Industries in Punjab	5473
2730	मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	Malaria Eradication Programme .	5473

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2731	क्षय रोग सर्वेक्षण	T.B. Survey .	5474
2732	कान की बीमारियां	Ear Diseases	5474–75
2733	कलकत्ता बिजली सप्लाई निगम	Calcutta Electric Supply Corporation	5475
2734	जीवन बीमा निगम के लिये बिजली से चलने वाले संगणक (इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर्स)	Electronic Computers for L.I.C. .	5475
2735	नया बाजार, दिल्ली में छापा	Raid in Naya Bazar, Delhi . .	5476
2736	दिल्ली विद्युत् संभरण उपक्रम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का नोटिस	Strike Notice by D.E.S.U. Employees	5476–77
2737	मकान किराया भत्ता	House Rent Allowance	5477
2738	ऋणों का भूगतान	Repayment of Loans .	5477–78
2739	चीरफाड़ प्रयोगशालायें	Vivisection Laboratories . .	5478
2740	मैसूर में गृह-निर्माण कार्यक्रम	Housing Programme in Mysore .	5478
2741	दिल्ली की इन्द्रपुरी कॉलोनी को जल संभरण	Water Supply to Inderpuri Colony, Delhi	5479
2742	गोल मार्केट क्षेत्र, नई दिल्ली के क्वार्टर	Quarters in Gole Market Area, New Delhi	5479
2743	कचार में बारक मिट्टी बांध	Barak Earthen Dam in Cachar .	5479
2744	महाराष्ट्र में ग्रामीण औद्योगिक परियोजनायें	Rural Industrial Projects in Maharashtra	5480
2745	महाराष्ट्र में भारत सेवक समाज की शाखा	Bharat Sewak Samaj Branch in Maharashtra . . .	5480
2746	महाराष्ट्र में चेचक और हैजे के रोगी	Small Pox and Cholera Cases in Maharashtra	5480
2747	जीवन बीमा निगम द्वारा महाराष्ट्र में विनियोजन	L.I.C. Investment in Maharashtra	5480–81
2748	स्विटज़रलैंड से ऋण	Swiss Credit	5481
2749	जीवन बीमा निगम द्वारा दिल्ली के लिये ऋण	L.I.C. Advance for Delhi . .	5481
2750	स्वर्ण उत्पादन	Production of Gold . .	5481–82
2751	नदी घाटी परियोजना विवाद	River Valley Project Disputes .	5482
2752	विनियोजन विवादों के निबटारे सम्बन्धी अभिसमय	Convention on Settlement of Investment Disputes . . .	5482
2753	महाराष्ट्र में सिंचाई और विद्युत योजनायें	Irrigation and Power Schemes of Maharashtra . . .	5482–83
2754	कुष्ठ रोग की रोकथाम	Control of Leprosy.	5483

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2755	परियोजनाओं के लिये सहायता के सम्बन्ध में विश्व बैंक का प्रस्ताव	World Bank's proposal for assistance to Projects . . .	5483
2757	समेकित चिकित्सा सम्बन्धी केन्द्रीय परिषद्	Central Council of Integrated Medicine	5483–84
2758	चिकित्सा अनुसन्धान संस्थाये	Medical Research Institutes .	5484
2759	सोने का तस्कर व्यापार	Gold Smuggling . . .	5484
	विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re: Point of Privilege . . .	5485
	अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to the Matters of Urgent Public Importance—	
	(एक) इजराइल के राष्ट्रपति के साथ किये गये अशिष्ट व्यवहार का समाचार—	(i) Reported Discourtesy shown to the President of Israel—	
	श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath .	5485
	श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh . .	5485–88
	(दो) तथाकथित नागा संघीय सरकार द्वारा 'गणतन्त्र दिवस' मनाने का समाचार	(ii) Reported Celebration of 'Republic Day' by the so-called Naga Federal Government—	
	श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua .	5488,5522–23
	श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh . .	5489
	विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege—	
	लोक सभा में कही गयी कुछ बातों को गलत रूप से प्रकाशित करने के बारे में हिन्दुस्तान टाइम्स में सह-सम्पादक द्वारा क्षमा याचना	Apology by the Associated Editor, Hindustan Times re: Misrepresentation of Lok Sabha Proceedings	5490
	व्यवस्था के प्रश्न के बारे में	Re: Point of Order . . .	5490–91
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	5491–93
	प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
	चौरानबेवां और पिचानबेवां प्रतिवेदन	Ninety fourth and Ninetyfifth Reports	5493
	हैवी इंजिनियरिंग कारपोरेशन, रांची में आग लगने की घटना के बारे में	Re: Fire incidents in Heavy Engineering Corporation, Ranchi .	5493–94
	न्यायाधीश (जांच) विधेयक—	Judges (Enquiry) Bill—	
	संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाया जाना	Extension of Time for presentation of Report of Joint Committee . . .	5494

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
अनुदानो की मांगे (रेलवे), 1966-67 तथा	Demands for Grants (Railways), and 1966-67—	
अनुदानों की अनुपुरक मांगे (रेलवे) 1965-66—	and Demands for Supplementary Grants (Railways), 1965-66—	
श्री लाखन दास	Shri Lakhan Das . .	5494-95
श्री स० का० पाटिल	Shri S. K. Patil . . .	5495-99
विधेयक पुरःस्थापित किये गये—	Bills introduced —	
(एक) विनियोग (रेलवे) विधेयक, 1966	(i) Appropriation (Railways) Bill, 1966 . . .	5501
(दो) विनियोग (रेलवे) संख्या 2 विधेयक, 1966	(ii) Appropriation (Railways) No. 2 Bill, 1966 . .	5501
विनियोग (रेलवे) विधेयक, 1966—	Appropriation (Railways) Bill, 1966—	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider—	
श्री उ० मू० त्रिवेदी	Shri U. M. Trivedi . .	5501-02
श्री स० का० पाटिल	Shri S. K. Patil . . .	5502
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1 . . .	5502
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
श्री स० का० पाटिल	Shri S. K. Patil . . .	5502
विनियोग(रेलवे)संख्या 2 विधेयक, 1966—	Appropriation (Railways) No. 2 Bill, 1966—	
विचार किया गया तथा पारित किया गया	Considered and Passed . .	5503
अनुदानों की अनुपूरक मांगे (केरल) 1965-66—	Demands for Supplementary Grants (Kerala), 1965-66—	
श्री वारियर	Shri Warior . . .	5505-06
श्री रवीन्द्र वर्मा	Shri Ravindra Varma . .	5511
श्री अ० व० राघवन	Shri A. V. Raghavan . .	5511-12
श्री केप्पन	Shri Keppen . . .	5512-13
श्री उ० मू० त्रिवेदी	Shri U. M. Trivedi . .	5513
श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat . .	5513-15
केरल विनियोग विधेयक, 1966—	Kerala Appropriation Bill, 1966—	
पुरःस्थापित तथा पारित	Introduced and passed . .	5516-17

विषय	Subject	पृष्ठ Page
अनुदानों की मांगें, 1966–67—	Demands for Grants, 1966-67—	
वाणिज्य मंत्रालय—	Ministry of Commerce—	
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee .	5517–18
श्री राने	Shri Rane . . .	5518–19
श्री वारियर	Shri Warior . . .	5519–21
श्री मलाइछामी	Shri M. Malaichami . .	5521–22
श्री नारायण दांडेकर	Shri N. Dandekar .	5527–28
श्री व० बा० गांधी	Shri V. B. Gandhi . .	5529
श्री बड़े	Shri Bade . . .	5529–30
श्री श्रीनारायण दास	Shri Shree Narayan Das .	5530–31
श्री मोहन स्वरूप	Shri Mohan Swarup . .	5531–32
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain . .	5533
दिल्ली म एक ज्योतिषी के घर पर छापा मारने के बारे में आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-hour Discussion Re: Raid on Astrologer's House in Delhi—	
श्री सत्य नारायण सिंह	Shri Satya Narayan Sinha .	5533
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . .	5533–34
श्री मनोहरन	Shri Manoharan .	5534
श्री कपूर सिंह	Shri Kapur Singh .	5535
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh .	5535
श्री शचीन्द्र चौधरी	Shri Sachin Chaudhuri	5535–37

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 24 मार्च, 1966/3 चैत्र, 1888 (शक)

Thursday, March 24, 1966/Chaitra 3, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सिंचाई और जल-निकासी के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय आयोग सम्बन्धी कांग्रेस

+

*742. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री लाटन चौधरी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री राम हरख यादव :
श्री विभूति मिश्र :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री हेडा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री तुला राम :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दे० द० पुरी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंचाई और जल-निकास के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के छठे कांग्रेस का सम्मेलन जनवरी, 1966 में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया ; और

(ग) उस में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई और क्या-क्या निर्णय किये गये ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) 34 देश ।

(ग) निम्नलिखित विषयों पर विचार किया गया :—

(1) सिंचाई अधीन खारी भूमि का कृष्यकरण ;

(2) सिंचाई तथा जल-निकास नालियों में गाद;

(3) डैल्टा क्षेत्रों का विकास;

(4) सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण तथा अन्य उद्देश्यों के लिये जलाशयों का समाकलित प्रचालन ।

ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में कोई निर्णय नहीं लिये जाते, किन्तु इनमें लेखों तथा विचार-विमश से सदस्य देशों के अनुभव का अदान-प्रदान किया जाता है जो कि भागीदार देशों के लिये बहुत ही कीमती सिद्ध होता है ।

श्री सुबोध हंसदा : क्या इस संगठन के लिये कोई औपचारिक सदस्यता है ; यदि हां, तो कितने सदस्य देशों ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया और क्या सम्मेलन में उनके द्वारा भाग न लिये जाने के कारणों की सरकार को कोई जानकारी है ?

डा० कु० ल० राव : इस अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के 58 देश सदस्य हैं जिनमें से केवल 34 देशों ने भाग लिया । सरकार को इस बात से संबंध नहीं है कि किसने भाग लिया और किसने भाग नहीं लिया ।

श्री सुबोध हंसदा : क्या जल-निकासी और सिंचाई की समस्या वाले देशों में विशेषज्ञों के आदान-प्रदान के प्रश्न पर विचार किया गया था और क्या समस्या वाले देशों में विशेषज्ञों को भेजने से सम्बन्धित प्रस्तावों को कार्यरूप देने के लिये सम्मेलन में कोई संकल्प पारित किया गया था ?

डा० कु० ल० राव : ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में कोई संकल्प पारित नहीं किये जाते हैं, केवल विचार-विमर्श किया जाता है । उदाहरण के लिये 90 लेखों पर चर्चा हुई थी । प्रत्येक देश ने अपने अपने अनुभव बताये ।

श्री स० चं० सामन्त : इस आयोग का सदस्य बनने की क्या शर्तें ह ? क्या इसका कोई वित्तीय दायित्व भी होता है ?

डा० कु० ल० राव : कोई वित्तीय दायित्व नहीं है ; केवल शर्त यह है कि उस देश में सिंचाई होनी चाहिये और अन्तर्राष्ट्रीय संस्था उसे स्वीकार करे ।

श्री भागवत झा आजाद : हमें सदस्य देश होने के नाते इस सम्मेलन से क्या लाभ हुआ है ?

डा० कु० ल० राव : इस संस्था का संस्थापक सदस्य होने के नाते भारत को एक विशेष स्थान प्राप्त है । यही एकमात्र अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्यालय भारत में है । स्वभावतः ये समस्याएं अत्यधिक महत्व की हैं क्यों कि भारत विश्व में सबसे अधिक सिंचाई व्यवस्था वाला देश है । अतएव अन्य देशों के अनुभव हमारे लिये अत्यधिक कीमती हैं । खारी भूमि जैसी समस्याओं पर विचार-विमर्श हमारे लिये अत्यधिक उपयोगी रहा है ।

Shri M. L. Dwivedi : What problems relating to irrigation and drainage were placed before the conference by the Indian delegation and what was the reaction of other member countries thereto?

डा० कु० ल० राव : सिंचाई और जल-निकासी के सम्बन्ध में चर्चा नहीं हुई । केवल चार विषयों पर चर्चा हुई, जिनका मैं उल्लेख कर चुका हूं । एक खारी भूमि की समस्या थी कि उसे किस प्रकार कृषि योग्य बनाया जाये । भारत की खारी भूमि 150 लाख एकड़ है । इस सम्बन्ध में अन्य देशों ने अनेक उपयोगी सुझाव दिये और हम उनको अपने देश में प्रयोग में लायेंगे ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या ब्रह्मपुत्र जैसी विनाश कारी नदियों के तल की दिलहाबन्दी के तरीके पर सम्मेलन में विचार किया गया था ; यदि हां, तो क्या किये गये निर्णयों को क्रियान्वित किया गया है और क्या परिणाम निकले ?

डा० कु० ल० राव : इस विषय पर चर्चा नहीं हुई थी ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या रेगिस्तानी अथवा रेतीली भूमि की सिंचाई के प्रश्न पर चर्चा हुई थी ?

डा० कु० ल० राव : मैं समझता हूं इस पर चर्चा नहीं हुई थी ।

Shri Ram Harkh Yadav : While welcoming the conference the Irrigation Minister had said that only $\frac{1}{5}$th of our total area was irrigated though we had potential for the entire area. What steps have been taken by the Irrigation Ministry to provide Irrigation facilities in the rest of the area as early as possible?

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि भारत में इस समय 23 प्रतिशत भूमि में ही सिंचाई होती है यद्यपि हमारे संसाधनों की क्षमता इतनी है कि हम अपनी 50 प्रतिशत खारी भूमि में सिंचाई कर सकते हैं । सिंचाई और विद्युत मंत्रालय यथाशीघ्र सिंचाई की व्यवस्था करने का भरसक प्रयत्न करेगा ।

Shri Bibhuti Mishra : Which scientific process is being evolved to remove salinity from the saline land under irrigation?

डा० कु० ल० राव : सम्मेलन पर प्रकट किये गये विचारों से खारी भूमि को कृषि योग्य बनाने के सम्बन्ध में काफी लाभदायक जानकारी प्राप्त हुई ।

श्री श्रीनारायण दास : भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य कौन-कौन थे तथा भारतीय विशेषज्ञों ने इस कांग्रेस में क्या भाग लिया ?

डा० कु० ल० राव : सारे भारत से विभिन्न राज्यों के 239 प्रतिनिधि थे ।

Shri Onkar Lal Berwa : Was the problems of desert land in Rajasthan also discussed in the conference?

डा० कु० ल० राव : इस पर विचार नहीं हुआ ।

Shri Vishwa Nath Pandey : Was any long or short term plan for the countries facing serious problem of irrigation and drainage was considered?

डा० कु० ल० राव : चार विषयों पर चर्चा हुई थी और यह विषय उनमें से नहीं था ।

Shri Sheo Narain : Was the question of storing the water of rivers, which goes to the sea every year, also discussed?

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि भारत में बहुत सी नदियां हैं और बहुतसा पानी बहकर समुद्र में चला जाता है । हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि माननीय सदस्य के क्षेत्र में पानी का उपयोग हो ।

श्री बड़े : क्या विकासोन्मुख देशों के लिये धन की व्यवस्था पर भी जो भारत की मुख्य समस्या है, विचार किया गया था ?

डा० कु० ल० राव : नहीं, श्रीमान ।

गांवों में बिजली लगाना

+

*743. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :

श्री सुबोध हंसदा : **श्री महेश्वर नायक :**

श्री स० चं० सामन्त : **श्री राम हरख यादव :**

क्या सिंचाई और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कितने गांवों में अब तक बिजली लगाई जा चुकी है और रीतीस योजना के अंत तक कितने गांवों में बिजली लगाये जाने की आशा है ;

(ख) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कुल कितने प्रतिशत गांवों में बिजली लगाने का काम किया गया है ; और

(ग) चौथी योजना के लिए भारत में सामान्यत: और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में गांवों में बिजली लगाने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) : अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5877/66]**

(ग) चतुर्थ योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है । अभी यह प्रस्ताव किया गया है कि चौथी योजना के दौरान लगभग 1 लाख ग्रामों और 7 लाख पम्पों को बिजली दे दी जाए । प्रत्येक राज्य के सम्बन्ध में जिन ग्रामों में बिजली लगाई जाती है, उनके विस्तृत अन्तिम आंकड़े अभी तैयार नहीं किये गये हैं ।

श्री प्र० चं० बरुआ : आसाम का स्थान हमेशा की तरह सूची में सबसे नीचे है । आसाम में 260 गांवों में बिजली लगाने का प्रस्ताव है । कृषि के लिये बिजली के बढ़ते हुए प्रयोग को ध्यान में रखते हुए क्या इस प्रयोजन के लिये बिजली में छूट देने की सरकार की कोई योजना है ?

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि आसाम के 1.3 प्रतिशत गांवों में बिजली है, जो बहुत कम है । मैं आशा करता हूं कि चौथी योजना में स्थिति में सुधार होगा । किसानों को दी गई रिआयतें पहले चर्चा के दौरान बताई जा चुकी हैं और गांवों में बिजली लगाने को प्रोत्साहन देने के लिये प्रत्येक प्रकार की सहायता दी जा रही है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि आसाम के ग्रामीण क्षेत्रों में बागान उद्योग बिजली का लाभ नहीं उठा सका है क्यों कि वहां तक लाईन ले जाने की लागत 30,000 रुपये प्रति मील है जो यह उद्योग वहन नहीं कर सकता है । यदि हां, तो क्या सरकार दर में परिवर्तन करेगी ताकि आसाम के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित यह उद्योग बिजली का उपयोग कर सके ?

डा० कु० ल० राव : आसाम में, विशेष रूप से जहां गांव दूर-दूर पर हैं, बिजली पहुंचाने की लागत अधिक होगी लेकिन माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित मामले की मुझे कोई जानकारी नहीं है । यदि वे मुझे ब्यौरा देंगे तो मैं अवश्य जांच करूंगा ।

श्री प्र० चं० बरुआ : मैं अवश्य बताऊंगा । :

Shri M. L. Dwivedi : I find from the statement laid on the table of the House by the Hon. Minister that rural electrification programme in some states has been completed from 40 to 48 per cent and in some parts it is even cent per cent. What steps are being taken by the Government for extension of electricity in those parts who have been lagging behind so far and by what time the work would be completed?

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि देश में ग्रामीण विद्युतीकरण के मामले में बहुत असमानता है । आठ राज्यों में यह 9.6 प्रतिशत की राष्ट्रीय औसत से कम और बिहार भी उनमें से एक है । चौथी योजना में हम इस असमानता को बहुत कुछ दूर करने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री भागवत झा आजाद : इस वर्ष योजना में तथा आगामी योजना में बिहार जैसे राज्यों तथा अन्य भागों में, जहां बिजली तैयार तो होती है परन्तु वितरण नहीं होता है, वितरण की व्यवस्था नहीं की जा रही है । सरकार का विचार इस असमानता को किस प्रकार दूर करने का है ?

डा० कु० ल० राव : देश में बहुत अधिक असमानता है और कृषि के लिये बिजली की आवश्यकता तथा गांवों में बिजली लगाने के सामाजिक-आर्थिक पहलूओं का पता लगाने के लिये बहुत सावधानीपूर्ण अध्ययन करने की आवश्यकता है । हम यह अध्ययन करेंगे ।

श्री सुबोध हंसदा : क्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इस बिजली की दर में कोई अन्तर है और यदि हां, तो क्या अन्तर है तथा गांवों में बिजली कार्यक्रम के पिछड़े रहने का यह भी एक कारण है ?

डा० कु० ल० राव : मैं पहले बता चुका हूं कि सरकार गांवों में बिजली के लगाने के मामलों में, विशेष रूप से कृषि के लिये पम्पों के लिये, देश के सभी भागों में लगभग 12 पैसे छूट देने को तैयार है ।

Shri Vishwa Nath Pandey : There are $5\frac{1}{2}$ lakhs of villages in India. Have the Government formulated a phased programme for rural electrification and if so, by what time all the villages are likely to be electrified?

डा० कु० ल० राव : भारत के $5\frac{1}{2}$ लाख गांवों में से $3\frac{1}{2}$ लाख गांवों में प्रत्येक की जनसंख्या 500 से कम तथा 2 लाख गांव ऐसे हैं जहां प्रत्येक में 500 से अधिक लोग रहते हैं । पहले तो हमारा प्रयत्न यह होगा कि अधिक जनसंख्या वाले 2 लाख गांवों में बिजली लगाई जाये और बाद में अगली योजना में एक लाख गांवों में बिजली लगाने का हमारा कार्यक्रम है ।

Shri Ram Harkh Yadav : It is found from the statement placed on the table by the hon. Minister that cent per cent villages in Pondicherry and Delhi have been electrified. What are the reasons for not arranging even 10 per cent electrification in Uttar Pradesh, where Rihand Dam was built since long?

डा० कु० ल० राव : जब कभी गांवों की संख्या कम होती है तो ऐसा ही होता है । दिल्ली में 316 गांव हैं, यह काम शहरी किस्म का ही है और इसीलिये सभी गांवों में बिजली लगा दी गई है । यह ठीक है कि उत्तर प्रदेश में प्रतिशतता बहुत कम है । गांवों में बिजली लगाने में बिजली की मात्रा बाधक नहीं है बल्कि केवल वितरण प्रणाली दोषपूर्ण है, और हमें उसे ठीक करना है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : यह स्पष्ट है कि हमारे देश में यह असमानता आयोजन के कारण रही है, यही कारण है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रतिशतता क्रमशः 1.3 और 2.1 है । इन पिछड़े हुए राज्यों में, विशेष रूप से इन दोनों राज्यों में बिजली के प्रसार के लिये उन्हें शेष भारत के बराबर लाने के हेतु क्या विशिष्ट उपाय किये गये हैं ?

डा० कु० ल० राव : जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है हमारा विचार अगली योजना में बहुत से गांवों को शामिल करने का है, जिससे प्रतिशतता 20 से अधिक हो जायेगी । मध्य प्रदेश में गांवों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण कुछ कठिनाई है । वहां लगभग 70,000 गांव हैं जबकि जनसंख्या मद्रास के बराबर है, जहां केवल 20,000 के लगभग गांव हैं । हम इस पर विचार कर रहे हैं कि वहां किस प्रकार प्रभावी ढंग से बिजली लगाई जाये ।

डा० रानेन सेन : क्या बिहार में गिरडीह में भारत सरकार के तथा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अधीन कुछ बिजलीघर बन्द कर दिये गये हैं ? ये बिजलीघर कोयला खान क्षेत्र में आसपास के इलाकों को बिजली दे रहे थे । यदि हां, तो उन्हें चालू रखने के लिये मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

डा० कु० ल० राव : हमें राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के बिजलीघरों के बन्द हो जाने की जानकारी नहीं है ।

सम्भवत: वे भाप बिजलीघर (स्टीम स्टेशन) थे तथा पूर्वी क्षेत्र में कुछ फालतू बिजली है और यह सम्भव हो सकता है कि इसी कारण वे बन्द कर दिये गये हों। तथापि हम इस बारे में जांच करेंगे। परन्तु जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं बिजली की मात्रा के कारण गांवों में बिजली लगाने के काम पर कुप्रभाव नहीं पड़ रहा है अपितु वितरण प्रणाली के कारण अधिक प्रभाव पड़ रहा है।

श्री रंगा : उत्तर प्रदेश और बिहार में आवश्यक वितरण प्रणाली की व्यवस्था न कर सकने के लिये कौन उत्तरदायी है ? इसके लिये भारत सरकार तथा योजना आयोग दोनों द्वारा कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं कि इन कमियों को दूर करने के लिये राज्य सरकारों को धन दिया जाय ?

डा० कु० ल० राव : बिजली का विकास करने का काम राज्यों तथा केन्द्र दोनों का है तथा यह समवर्ती विषय है। उत्तर प्रदेश में वितरण प्रणाली बहुत प्रभावी नहीं रही है विशेषकर . . .

श्री रंगा : क्यों ? यह कहने से क्या लाभ है कि यह बहुत प्रभावी नहीं रही है ? इसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

डा० कु० ल० राव : हम इस मामले में कार्यवाही कर रहे हैं। प्रश्न धन की व्यवस्था करने का है। प्रत्येक राज्य की कुछ उच्चतम सीमायें होती हैं तथा विकास के विशिष्ट पहलू पर कुछ बल दिया जाता है जिससे अन्य पहलूओं पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ हम माननीय मंत्री के राज्य अर्थात आन्ध्र प्रदेश को ही लेते हैं। वहां पर सिंचाई पर अधिक और बिजली पर कम खर्च किया गया है, जिससे सिंचाई के मामले में तो वह राज्य सब से आगे हैं परन्तु बिजली के मामले में सब से पीछे।

श्री ही० ना० मुकर्जी : बहुत दिनों से अपनाई गई सरकार की विकेन्द्री करण की नीति को ध्यान में रखते हुए तथा यह देखते हुए कि राष्ट्रीय विस्तार योजनाए तथा सामुदायिक विकास खण्ड सारे देश में चालू हो गये हैं, क्या कारण हैं कि गांवों में बिजली लगाने का काम, जो औद्योगीकरण के बारे में बुनियादी मामला है, बन्द करने का प्रश्न खड़ा हो गया है ?

श्री रंगा: वे इस मामले में यथोचित पूर्ववर्तिता नहीं देते हैं।

डा० कु० ल० राव : इसमें कोई सन्देह नहीं कि गांवों में बिजली लगाने का काम बहुत आवश्यक है। परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि गांवों में बिजली की खपत इतनी कम है कि वहां से इतनी रकम भी नहीं मिलती है जिस से सूद की राशि भी वसूल हो सके। इस लिये और विशेषकर गांवों में बिजली लगाने के काम के लिये हमें धन प्राप्त करना होता है। ऐसा तभी हो सकता है जब कि और स्थानों पर बिजली देने के लिये लाइनें लगाई जायें और इसके लिये हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : माननीय मंत्री से यह सुनकर बहुत दुख हो रहा है कि मध्य प्रदेश के गांवों में बिजली लगाने का काम उन कठिनाओं के कारण रोका जायेगा जिसका उन्होंने उल्लेख नहीं किया हैं। इस बात के होते हुए भी कि मध्य प्रदेश में बड़े पन बिजलीघर हैं ऐसी स्थिति है। सरकार किसी न किसी तरह मध्य प्रदेश के लिये नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में व्यवस्था कर रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार मध्य प्रदेश राज्य को कैसे दोषी ठहराना चाहती है जब कभी मध्य प्रदेश को बिजली देने अथवा धन देने का प्रश्न उठता है। यह सौतली मां का सा रूख क्यों अपनाया गया है ?

डा० कु० ल० राव : मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश देश में सब से बड़ा राज्य है तथा बहुत फैला हुआ है। गांवों में बिजली लगाने के लिये वितरण प्रणाली थोड़ी दूरी पर होनी चाहिये।

मुझे खेद है कि जो मैंने पहले उत्तर दिया था उस के बारे में मुझे गलत समझा गया है। मैंने इस प्रकार कहा था। मध्य प्रदेश में बहुत से गांव हैं। वे लगभग 70,000 हो सकते हैं। इस लिये हमें इस बात पर विचार करना होता है कि किन गांवों में बिजली लगाई जाये तथा कैसे लगाई जाये।

श्री रंगा : वे विचार ही करते रहेंगे।

Cuts effected in 1965-66 Budget

\+

*744. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri P. C. Borooah :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :
Shrimati Savitri Nigam :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the cuts effected in the Budget for 1965-66 as a result of the last Pakistani aggression; and

(b) whether the details regarding the savings made in the various Ministries and Departments of the Government of India and other Government-controlled undertakings would be laid on the Table ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri L. N. Mishra) : (a) and (b). A statement showing Ministry-wise the economies effected in the Budget 1965-66 is laid on the Table. [**Placed in Library See No. L.T. 5878/66**].

Shri M. L. Dwivedi : I had asked for the details regarding the savings made in the various Ministries and Departments of the Government of India and other Government-controlled undertakings but from the statement laid on the Table of the House I find that information regarding Railways and public undertakings has not been given. I would therefore, request that necessary instructions be issued to the Ministers concerned who have not supplied full information. Cuts effected in Railways have not been mentioned though Railways is also a Ministry.

Shri L. N. Mishra : I admit that information regarding Railways and Public undertaking, has not been given in the statement. The information that we could collect during all these days has been given in the statement and the rest will also be laid on the Table as soon as it is collected.

Shri M. L. Dwivedi : According to the statement laid on the Table of the House about 61 crores of rupees have been saved by effecting various cuts. I would like to know whether more saving was possible had further steps been taken and how a sum of Rs. 61 crores has been utilised ?

Shri L. N. Mishra : I thought that the hon. Member would be satisfied. Efforts had been made earlier too and also last year. But this year we have been able to save more as compared to the last year and this is due to the fact that all the Ministries have extended their co-operation to us. Besides, our ex-Prime Minister had set up a committee and he had said that 10 to 15 per cent cut should be effected in non-planned expenditure. Efforts had been made to effect cuts in the Budget accordingly which amounts to about 61 crores. The hon. Member may remember that in answer to a question it was told last time that cut has been effected to the tune of Rs. 48 crores. This time it is more by 12-13 crores. Thus efforts will be made continuously to make savings as much as possible.

Shri M. L. Dwivedi : I had asked about the items on which this sum of Rs. 61 crores would be spent ?

Shri L. N. Mishra : As far as the question of spending the sum collected by savings is concerned it will be spent on planning or wherever there is need in planned resources.

Shri M. L. Dwivedi : Will this sum be spent on Defence purposes ?

श्री प्र० चं० बरुआ : अब इस समय जब हम विदेशी मुद्रा की गम्भीर स्थिति का सामना कर रहे हैं हम ने 1965 में विलास वस्तुओं समेत उपभोक्ता वस्तुओं के आयात पर 65 करोड़ रुपये खर्च किये है जो रकम 1964 में आयात पर खर्च की गई रकम से 4 करोड़ रुपये अधिक है। क्या इस से यह प्रतीत नहीं होता है कि हम खर्चे में कमी करने के लिये कोई ठोस प्रयास नहीं कर रहे हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : हम खर्चे में कमी करने के लिये ठोस प्रयास कर रहे हैं। मैं विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किये गये असैनिक व्यय का उल्लेख कर रहा था न कि उनकी विदेशी मुद्रा के हिस्से का ।

Shri Bhagwat Jha Azad : On the one side Government is emphasing that agricultural production should be enhanced and for that purpose the Ministry of Irrigation and Power is doing best efforts every year and on the other hand we see from the statement there that the Ministry of Irrigation and Power has effected a cut of Rs. 160 lakhs. May I know whether the way to increase agricultural production is to effect cuts in the Ministry of Irrigation and Power or to give it more and more assistance ?

Shri L. N. Mishra : We have not effected cut in projects or planned expenditure. We have effected cut in the administrative side where expenditure is incurred. We have effected cut where there was duplication of work. We have amalgamated two corporations into one. We have tried to avoid duplication and cut administrative expenditure. We have not made any cut in the expenditure of projects.

श्री सुबोध हंसदा : विवरण से पता चलता है कि शिक्षा मंत्रालय में 487.90 लाख रुपये की कटौती की गई है । स्कूल तथा कालेज अध्यापकों का देश भर में आन्दोलन हो रहा है । इस लिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उनकी मांग को पूरा करने के लिये यह कटौती न करने का अब विचार करेगी ?

श्री ल० ना० मिश्र : मेरे विचार से अध्यापकों की संख्या में कमी नहीं की जायेगी । जो कुछ हमने किया है हमने सम्बन्धित मंत्रालयों की रज़ामन्दी से किया है । मेरे विचार से अध्यापकों को नुकसान नहीं होगा । कटौती प्रशासन व्यय में की गई है ।

श्री स० चं० सामन्त : सब से अधिक कटौती परिवहन, नौवहन तथा पर्यटन विभाग में की गई है। क्या यह विभाग भी प्रतिरक्षा विभाग की सहायता कर रहा था ?

श्री ल० ना० मिश्र : परिवहन तथा नौवहन विभाग राष्ट्रीय प्रतिरक्षा में भी सहायता देता है । मेरा विचार है कि इन कटौतियों से प्रतिरक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

श्रीमती सावित्री निगम : कटौती किस किस मद में की गई है तथा क्या सलाहकारों, संयुक्त सचिवों, सचिवों, अवर-सचिवों तथा विभागीय कारों में, जिन की संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है, कटौती करने के लिये कोई प्रयास किया गया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : इस का आधार यह है कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सभी सम्बन्धित मंत्रालयों को नोट भेजा था जिस में यह प्रार्थना की गई थी कि वे इस बचत आन्दोलन में सहयोग दे तथा उन्होंने सहयोग दिया है । जहां तक इस बात का सम्बन्ध है यह प्रशासन व्यय का भाग है और हम प्रशासन व्यय में कटौती करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

Shri Yashpal Singh : What will be the harm if Government spends the amount spent on cultural programmes on developmental works? Do the Government propose to stop expenditure on dances and songs keeping in view the present circumstances?

Shri L. N. Mishra : I think, dances, songs etc. which are sources of entertainment, are also essential for life.

Shri Rameshwaranand : What will be the use of it?

Mr. Speaker : It may not be useful for both of you but it may be useful for others.

Shri Rameshwaranand : How it can be useful for you as well as for others?

Mr. Speaker : It may not be of any use to me. It would be better if you take me along with you and convert me into a Sadhu.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सभा पटल पर रखे गये विवरण से पता चलता है कि 61 करोड़ रुपये की कुल बचत में से लगभग 21 करोड़ रुपये या कुल बचत का लगभग एक-तिहाई भाग केवल एक विभाग अर्थात, परिवहन, नौवहन तथा पर्यटन विभाग के कारण मिला है । क्या मैं इससे यह समझ सकता हूं कि इस विभाग में फजूल खर्ची बहुत थी और इसी लिये कटौती की गुंजायश अधिक थी या इसका यह कारण है कि अन्य मंत्रालय अभी काफी बचत करना नहीं चाहते हैं ।

श्री ल० ना० मिश्र : मैं इस बारे में कोई राय नहीं देना चाहता । मैं केवल उस मंत्रालय की प्रशंसा करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत सहयोग दिया है ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या यह कटौती तदर्थ आधार पर की गई है अथवा कुछ विभाग चुने गये हैं जिनमें यह कटौती इस आधार पर की गई है कि परियोजनाओं के वास्तविक कार्य में बाधा न पड़े ।

श्री ल० ना० मिश्र : यह तदर्थ कटौती नहीं है । उचित तौर पर अध्ययन किया गया है । मंत्रालयों के बारे में अध्ययन किया गया है तथा यह कटौती उचित अध्ययन के परिणामस्वरूप की गई है । मेरे विचार से इस के कारण किसी परियोजना को नुकसान नहीं होगा ।

श्री रंगा : विरोधी सदस्यों तथा कुछ कांग्रेसी सदस्यों ने क्या सुझाव दिया था तथा भूतपूर्व वित्त मंत्री 10 से 15 प्रति शत कटौती के लिये सहमत हो गये थे । यह नहीं कहा गया था कि बचत केवल गैर-योजना व्यय पर ही की जाये । क्या वित्त मंत्री अब यह चाहते हैं कि बचत आन्दोलन अब केवल गैर-योजना व्यय तक ही सीमित रहे और किसी हालत में योजना व्यय पर नहीं तथा क्या कोई कटौती नहीं होगी ?

श्री रंगा : वरिष्ठ मंत्री को उत्तर देना चाहिये ।

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा । कटौती वहां की जायेगी जहां की जा सकती है, जहां कटौती करना अति लाभदायक है चाहे योजना अथवा गैर-योजना व्यय हो । इस बात पर विचार किया जायेगा । हमें इस बात पर विचार करना होगा कि बचत हो और जहां बचत की जा सकती है वहां की जायेगी ।

श्री रंगा : इससे हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके क्या उत्तर दिया गया है । केवल टाल मटोल किया गया है । क्या यह मेरे प्रश्न का विशिष्ट उत्तर है ? सरकार की क्या नीति है ? क्या वह इस पर विचार करेगी ? उन्हें ऐसा कहने दीजिये ।

श्री शचीन्द्र चौधरी : नीति यह है कि जहां सम्भव हो कटौती की जाये ।

.....

श्री रंगा : उन्होंने क्या कहा है ?

अध्यक्ष महोदय : नीति यह है कि जहां बचत की जा सकती है वहां की जाये ।

श्री रंगा : इसीलिये बचत आन्दोलन के लिये कोई सामान्य नीति नहीं है । क्या हमें ऐसा समझ लेना चाहिय ? अब हमें पता लग गया है कि हमारी नीति क्या होगी ।

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं केवल उत्तर दे सकता हूँ, समझ नहीं दे सकता ।

श्री रंगा : तभी तो अपने वचन से पीछे हट रहे हैं ?**(अन्तर्बाधायें)** ।

श्री हेम बरुआ : यदि वित्त मंत्री इस प्रकार कहते हैं कि वह उत्तर दे सकते हैं समझ नहीं, तो यह क्या सम्बन्धित सदस्य के प्रति कटाक्ष नहीं है ? नियमानुसार हमारा कर्तव्य यहां सूचना प्राप्त करना है, जिसे देना मंत्री का कर्त्तव्य है । मंत्री महोदय तो बड़े अभिमान से पेश आ रहे हैं ।

श्री रंगा : वह वित्त मंत्री भी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कई बार कहा है कि हमें संयमपूर्ण भाषा का प्रयोग करना चाहिये ।

श्री रंगा : आप यह संदेश केवल हमें ही देते हैं ..... **(अन्तर्बाधायें)** जब उन्होंने उस भाषा का प्रयोग किया था आप को उन्हें कहना चाहिये था । हमें आशा थी कि अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं अब माननीय सदस्य से कह रहा हूं ? यदि माननीय मंत्री ने ऐसा कहा है तो मैं उन्हें ही तो कह रहा हूं और प्रो० रंगा को नहीं ।

श्री रंगा : यदि मेरे माननीय मित्र ने आपत्ति उठाने का कष्ट नहीं किया ?

अध्यक्ष महोदय : यदि खुले दिल से बात सुनी जाये तो मुझे आपत्ति करनी भी नहीं चाहिये ? यदि आपत्ति न की जाती तो मुझे उस में कोई हस्तक्षप नहीं करना था ।

श्री रंगा : मेरी यही शिकायत है । क्योंकि अध्यक्ष पीठ से यह आशा की जाती है कि वह न केवल विरोधी सदस्यों के बारे में ही सतर्क रहे बल्कि जो माननीय मंत्री कहे उसके बारे में भी ..... **(अन्तर्बाधायें)** इस प्रकार उन्हें अपनी करनी का फल मिल जायेगा ।

श्री कपूर सिंह : क्या यह नियमानुसार आवश्यक नहीं है कि इस सभा की कार्यवाही के दौरान कोई कटाक्ष नहीं किया जाना चाहिये ? क्या मंत्री महोदय ने यह कटाक्ष नहीं किया है कि मेरे नेता को समझ नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिये ।

श्री हेम बरुआ : परन्तु क्या वह समझ दे सकते हैं ।

Shri Sarjoo Pandey : From the statement it appears that the minimum cut has been effected in Community Development Department. While in this Department there is heavy extravagance. Keeping that in view do the Government propose to take back jeeps of C.D. Blocks ?

Shri L. N. Mishra : I cannot say anything regarding jeeps of Blocks. The hon. Member, Shri Bhagwat Jha Azad has said that more amount should be spent on agriculture and irrigation. I think that the cut in expenditure effected in the Department of Community Development is the administration side. We will effect further cut if possible.

Mr. Speaker : Next Question. Dr. Singhvi.

Shri Sheo Narain : Mr. Speaker.....

Mr. Speaker : I cannot give opportunity to the hon. Member in every Question. I don't find his name anywhere. I have also to call those Members whose names are with me.

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker even those Members whose names are there with you, are not called. In this very Questions five names were there out of us but none has been called. We are not called whether our names are there or not.

पी० एल० 480

\+

*745. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री महेश्वर नायक :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री मधु लिमये :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में पी० एल० 480 के अन्तर्गत किये गये आयात के लिये भाड़े के रूप में कुल कितनी विदेशी मुद्रा देनी पड़ेगी;

(ख) क्या यह भाड़ा बहुत अधिक समझा जाता है; और

(ग) इस भाड़े को किस प्रकार चुकाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) पी० एल० 480 के अन्तर्गत किये गये आयात के लिए भाड़े के रूप में अनुमानतः कुल 36 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा चालू वित्त-वर्ष में दी गयी ।

(ख) जहाज खुले बाजार में, भाड़े पर, जहां तक हो सकता है, अच्छी से अच्छी शर्तों पर लिये जाते हैं ।

(ग) भाड़े की रकमें देश के उन्मुक्त विदेशी मुद्रा साधनों से चुकानी पड़ती हैं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या वित्त मंत्री, महोदय ने विदेशी मुद्रा के रूप में भाड़े की बढ़ती हुई राशि का विशिष्ट रूप से मूल्यांकन किया है और क्या सरकार ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इन आयातों से अब हमारे देश को कोई लाभ नहीं हो रहा है क्योंकि भाड़े के रूप में काफी विदेशी मुद्रा खर्च हो जाती है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैंने भाड़े के 1965–66 के अनुमानित आंकड़े दे दिये हैं । हमें आगामी वर्ष में काफी बड़ी मात्रा में अनाज का आयात करना है और भाड़ा अधिक देना होगा । हमें उसे ध्यान में रखना है और जिससे हमें लाभ होगा वही किया जायेगा । इन विदेशी आयातों से अधिकतर अनाज तथा कुछ मात्रा में कपास का आयात किया जाता है हमारे देश को होने वाले लाभ का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है । यह महसूस किया गया है कि विदेशी मुद्रा के रूप में भाड़े के खर्च के बावजद भी इन वस्तुओं का आयात हमारे लिये लाभदायक है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार ने इस मामले में अमरीकी सरकार से बातचीत की है कि विदेशी मुद्रा में भाड़े का भुगतान इस समय संभव नहीं है क्योंकि हमारे यह विदेशी मुद्रा का संकट उत्पन्न हो गया है और यदि अमरीका हमारी मदद करना चाहता है तो उसे और कुछ वर्षों के लिये इस शर्त को हटा लेना चाहिये ? क्या ऐसी बातचीत की गई है और यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : ऐसे मामले को हमेशा ध्यान में रखा जाता है और जहां तक बातचीत करना संभव था वैसा किया जा चुका है । हमें यह ध्यान में रखना है कि इस वर्ष हमारे यह अनाज का संकट उत्पन्न हो गया है और हम कोई कड़ा रवया नहीं अपना सकते जबकि हमें अनाज का आयात करना ही है । फिर भी माननीय सदस्य के सुझाव को ध्यान में रखा जायेगा और जितना भी अच्छा सौदा किया जा सकेगा किया जायेगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय मंत्री ने कहा है कि भाड़े के रूप में 36 करोड़ रूपये की विदेशी मुद्रा खर्च की गई है और उन्होंने यह भी कहा है कि जहाज खुले बाजार में भाड़े पर लिये जाते हैं । क्या यह

सच नहीं है कि नये करार की नई शर्तों के अनुसार पी० एल० 480 के अन्तर्गत किये जाने वाले आयात का कुछ भाग अमरीकी जहाजों द्वारा ही ले जाया जायेगा और इस प्रकार उन्हें कितना भाड़ा अदा करना होगा ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : कुल भाड़े का 50 प्रतिशत अमरीकी जहाजों को देना होगा और वह भाड़ा उसी समय दिया जायेगा ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वह 36 करोड़ का 50 प्रतिशत है अथवा वह इसके अतिरिक्त है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जी नहीं । 36 करोड़ में 50 प्रतिशत भी शामिल है । वास्तव में सारे का सारा 36 करोड़ रुपया अमरीका को ही नहीं दिया गया है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सरकार ने अमरीकी सरकार से पी० एल० 480 के अन्तर्गत किये जाने वाले अनाज के आयात का भाड़ा रुपये में स्वीकार किये जाने के लिये अनुरोध किया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : मने इसका उत्तर डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी के प्रश्न का उत्तर देत हुए दे दिया है कि हमने इस शर्त में अधिक से अधिक छूट प्राप्त करने की कोशिश की है और अन्त में 50 प्रतिशत पर ही समझौता हो सका है ।

Shri M. L. Dwivedi : Was a certain part of these foodgrain imports under P.L. 480 carried in Indian vessels and if so, the amount of freight charges thus saved? I want exact figures.

श्री शचीन्द्र चौधरी : जहां भी भारतीय जहाजों का प्रयोग करना संभव था उनका प्रयोग किया गया है । मैं माननीय सदस्य को सही आंकड़े बताने की स्थिति में नहीं हूं । यदि उनकी सही आंकड़े जानने की इच्छा है तो मैं उन्हें वे आकड़े भिजवा दूंगा । वह मेरे पास आकर वे आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : भाड़े का व्यय प्रति दिन बढ़ता ही जा रहा है और 36 करोड़ रुपये में से 18 करोड़ रुपये का भुगतान डालरों में किया जाना है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या खुले बाजार में दिया जाने वाला भाड़ा अनाज के आयात पर किये जाने वाले अन्य व्यय की तुलना में अनाज अमरीकी जहाजों में ले जाने की अनिवार्यता–प्रतिस्पर्धा के आधार पर दिया जाता है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जी हां, 50 प्रतिशत अनाज अमरीकी जहाजों द्वारा ले जाया जायेगा । शेष या तो हमारे जहाज ले जायेंगे या अन्य देशों से जिनके पास जहाज हैं इस बारे में बातचीत की जाती है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यही प्रतिस्पर्धात्मक है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जी हां, यह प्रतिस्पर्धात्मक है क्योंकि विभिन्न देशों के आंकड़े भिन्न भिन्न होते ह ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या सरकार को पता है कि कुछ भारतीय जहाज कम्पनियां अपने जहाजों को पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयातों के लिये प्रयोग में नहीं ला रही हैं और उन्होंने इन जहाजों को अन्यत्र लगाया हुआ है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जहां भी जहाज उपलब्ध होते हैं हम उन्हें प्राप्ति कर लेते हैं ; मैं इस प्रश्न का एकदम उत्तर नहीं दे सकता । यदि माननीय सदस्य का कथन ठीक है तो मैं इसके कारण बता सकता हूं । हो सकता है कि वे जहाज हमारे लिये उससे अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त कर रहे होते हैं जो इन आयातों से प्राप्त होती ।

Shri Madhu Limaye : Fifty per cent of the freight charges is to be paid in dollars. The whole world is aware that there is famine in India and they are contributing their mite. Has the U.S. Government been approached to waive this condition at least for this year?

श्री शचीन्द्र चौधरी : अभी इसी वर्ष फरवरी में तो आगामी वर्ष के लिये एक करार हुआ है। उस समय यह प्रश्न उठाया गया था और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1087.5 लाख डालर का ऋण मंजूर कर दिया है ताकि हम भाड़े का कुछ अंश वहन कर सके ।

Shri Yashpal Singh : P.L. 480 supplies have been tried out by the Government for sowing purposes and that has proved a failure. In such circumstances, how Indian citizens can maintain their health by the U.S. wheat? From the day it is available in the markets, people are becoming sick and the doctors are making money. Has the Government ever thought of providing medical aid to the citizens and taxing the doctors?

श्री शचीन्द्र चौधरी : इस प्रश्न का उत्तर देना बड़ा कठिन है, क्योंकि मैं यह स्वीकार नहीं करता कि पी० एल० 480 अनाज खाने से रोगों में वृद्धि हुई है। परिणामतः मैं प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दे सकता ।

Shri Yashpal Singh : Its sowing experience may be carried out.

श्री ही० ना० मुकर्जी : यह स्पष्ट है कि अमरीकी जहाजों को 50 प्रतिशत भाड़ा दिया जाना अनिवार्य है और यह भी सब को पता है कि अमरीकी जहाज सब से अधिक भाड़ा लेते हैं। उस 50 प्रतिशत पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है । इस बात को देखते हुए कि हम पिछले काफी वर्षों से अनाज के आयात पर जहाजों के भाड़े के रूप में लगातार खर्च करते आ रहे हैं, क्या विशेष रूप से अनाज का आयात करने के लिय जो इस समय हमारे लिये अनिवार्य हो गया है जहाजों को कराये पर लेने की योजना बनाने की दिशा में कोई प्रयत्न किये गये हैं ? क्या वित्त मंत्रालय अपने देश के जहाजों को किराये पर लेने के बारे में विशेष कर कोई शुरुआत करती है चाहे उसे उनको अधिक पैसा देना पड़े क्योंकि अन्य देशों के जहाज मालिकों की जेबों में जाने वाली राशि एक तरह से बेकार ही जाती है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि यह सब को पता है कि अमरीकी भाड़ा दरें विश्व में सबसे अधिक है। ऐसी स्थिति में मैं उनकी बात का खण्डन नहीं कर सकता। परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि इस मामले पर हर समय विचार किया जाता है कि भाड़े के लिये सबसे अच्छी व्यवस्था की जाये। मैं यह नहीं मानता कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात आगामी काफी वर्षों तक किया जाता रहेगा और इसलिये कोई दीर्घकालीन करार किया जाना चाहिये । इसीलिये कोई दीर्घकालीन व्यवस्था नहीं की गई है। जहां तक अल्पकालीन व्यवस्था का प्रश्न है, अवश्य ही जहाज किराये पर लिये जाते हैं ।

योजना विकास पर व्यय

+

***746. श्री मधु लिमये :**

श्री किशन पटनायक :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी देशों द्वारा विदेशी सहायता बन्द कर दिये जाने और बढ़ते हुए प्रतिरक्षा व्यय को ध्यान में रखते हुए योजना विकास पर कुल व्यय के कम किये जाने की सम्भावना है; और

(ख) कृषि, सिंचाई और उर्वरक उत्पादन पर विकास व्यय कम कर देने से क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय विकास परिषद् ने सितम्बर 1965 में चौथी पंचवर्षीय योजना की जो व्यय-व्यवस्था तथा आकार स्वीकार स्वीकृत किया था उसे, "चौथी पंचवर्षीय योजना संसाधन, व्यय-व्यवस्था और कार्यक्रम" नामक दस्तावेज में दिया गया है। इस दस्तावेज की प्रतियां माननीय सदस्यों को दी जा चूकी हैं। इसके बाद जो परिवर्तन हुए, उनको ध्यान में रखते, हुए, योजना की ब्यौरेवार विषय-वस्तु में जो कतिपय सम्जन किये जाएंगे, उनपर विचार किया जा रहा है। कृषि उत्पादन संबंधी कार्यक्रमों को जो उच्च प्राथमिकता दी जा रही है उसको ध्यान में रखते हुए, कृषि, सिंचाई और उर्वरक उत्पादन पर होने वाले व्यय में कटौती होने की सम्भावना नहीं।

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister has stated in his reply that most of the administrative expenditure is being incurred on developmental schemes. Under these schemes that expenditure is incurred on items like buildings, *aiyashi*, extravagance and Bunglows. Will that expenditure be reduced keeping in view innumerable hardships being experienced by the people?

Shri K. N. Tiwary : On a point of order. The word "*Aiyashi*" is not proper.

Shri Madhu Limaye : What is wrong with it?

Mr. Speaker : The word *Aiyashi* is not proper, as is often said by Shri Yashpal Singh that this word is used in the context of singing and dancing or cultural programmes.

Shri Madhu Limaye : For example, in several irrigation projects dak bunglows have been constructed after incurring an expenditure of Rs. five lakhs each.

Mr. Speaker : This cannot be termed *aiyashi*. It can be called an extravagant expenditure. *Aiyashi* has bad connotation. Perhaphs, by *aiyashi* he means luxury.

Shri Sheo Narain : The word that is termed improper in society cannot be used in parliament.

श्री कपूर सिंह : "ऐयाशी" का अर्थ शानोशौकत से जीवन बिताना है। शब्दकोष में इसका यही अर्थ है।

अध्यक्ष महोदय : शानोशौकत से जीवन बिताने में कुछ ऐसी चीजें भी आ जाती है जिन्हें पसन्द नहीं किया जाता।

Shri L. N. Mishra : I have already stated that we want to spend money on projects and also to reduce administrative expenditure. He has mentioned the construction of a dak-bunglow in Bihar. He should realise how the engineers lived there in jungles, on hills, in the sun or in rains for 4-5 years while the project was under completion. If some dak-bunglows have been constructed for them, it does not tantamount to their living in luxury.

Shri Madhu Limaye : My question has not been answered fully. My question was about administrative expenditure. As for example, a magnificant building has been erected for the Heavy Engineering Factory at Ranchi. But in East Germany I saw a ship-yard with a very simple building. There stress is laid on production and not on erecting magnificant buildings. My question should be answered.

Shri L. N. Mishra : This is only a suggestion, and it would be taken into consideration.

Shri Madhu Limaye : Keeping in view the increasing importance of agriculture, irrigation and fertilizers, do the Government propose to further restrict expenditure on other departments and spend more on these works?

Shri L. N. Mishra : It is correct that the expenditure should be curtailed. It is not that unlimited expenditure is incurred on administration. Such expenditure should be between 7 to 10 percent. It cannot be more than that. But so far as this suggestion is concerned, the less the expenditure, the better it is.

श्रीमती सावित्री निगम : इस बात को देखते हुए कि अपंग बच्चों की शिक्षा पर, जिनकी संख्या लगभग दो करोड़ है, अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है, क्या चौथी योजना में इसके लिये पर्याप्त राशि नियत की गई है अथवा नहीं ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस पुस्तिका में उल्लिखित कार्यक्रम के समाज कल्याण सम्बन्धी पहलू की ओर दिलाना चाहता हूं । उन्हें वह जानकारी उससे मिल जायेगी । विस्तृत कायक्रम का बाद में ही पता चलेगा ।

Shri Rameshwaranand : The hon. Minister has stated that in Bihar, the engineer braved the sun, the chill of the winter season or the rainy season, and so we should not grudge construction of such bunglows for them. But quite near the Parliament House, there is a seven-storeyed Transport Bhavan. What kind of *tapasya* is being done by these people for whom this building has been erected?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : These seven storeyed buildings are being constructed for want of space. Lands are very costly nowadays and we want to make the utmost use of them.

Shri Rameshwaranand : The Government is wasting money like this.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Is the Prime Minister going abroad, and the Foreign Minister taking charge from her?

Hunger strike by Income-tax Employees in Delhi

*747. **Shri D. N. Tiwary :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the non-gazetted staff of Income Tax Department went on hunger strike in front of the Delhi Office in December, 1965; and

(b) if so, the reasons therefor and the action taken thereon?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri B. R. Bhagat) : (a) No, Sir. There was no hunger strike in front of the Delhi Office of the Income-tax Department.

(b) Does not arise.

Shri D. N. Tiwary : Did they stage a hunger strike in front of the office or elsewhere in Delhi, and if so, the reasons thereof?

Shri B. R. Bhagat : We have no information about the hunger-strike, but during the lunch break meetings were held to voice some grievances.

Shri D. N. Tiwary : It appears that the hon. Minister does not study the newspapers. In December last it was published in the newspapers that they

were on hunger strike, they even had an interview with the Minister at his residence. May I know whether any of their demands were considered by the Government or not?

Mr. Speaker : It is for the Minister to say as to whether they resorted to hunger-strike or not.

उपभोक्ता सहकारी समितियां

+

*749. **श्री कपूर सिंह :**

श्री प्र० के० देव :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने एक प्रतिवेदन में लिखा है कि संस्थागत ऋणदाता अभिकरणों के अन्यमनस्क रवैये और कार्यकारी वित्त की अपर्याप्तता के कारण उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा व्यापार का विविधकरण नहीं हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) और (ख): जी हां। योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने 1964 के अन्त में जो मुल्यांकन अध्ययन किया, उससे पता चला है कि कतिपय उपयोक्ता सहकारी भण्डार पर्याप्त कार्यकारी वित्त न होने तथा संस्थागत ऋण अभिकरणों से सुविधा की कमी के कारण, अपने कारोबार में पर्याप्त वैविध्य लाने में असमर्थ रहे हैं ।

भारत सरकार ने रिजर्व बैंक आफ इंडिया से परामर्श कर, समस्या के विभिन्न पहलूओं की जांच की और यह निश्चय किया कि, थोक सहकारी समितियों और उनकी फेडरेशनों को दिये जाने वाले ऋण तथा पेशगियों की कार्यप्रणाली में आधारभूत परिवर्तन किया जाय। 1965 के अन्त में किये गये इस निश्चय के अनुसार, भण्डारों को अब अपने साधनों से उपलब्ध किये जाने वाले सामान की दस प्रतिशत कीमत देनी होगी और बाकी रकम बैंकों द्वारा रेहन ऋण के रूप में दी जायेगी । इस प्रकार बैंकों द्वारा भण्डारों की दी गई पेशगी के 25 प्रतिशत की गारंटी, भारत सरकार द्वारा गारंटी की योजना के रूप में दी जायेगी, और उपभोक्ता भण्डार, अपने साधनों के दस गुना तक सामान एक समय में प्राप्त कर सकेंगे ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार के विचार में उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन तथा समितियों के विकास के रास्ते में संस्थागत ऋण की कमी ही एकमात्र बाधा है या अन्य कोई कठिनाइयां भी हैं और यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : हमारे विचार में सहकारी आन्दोलन के विकास के रास्ते में मुख्य कठिनाई यही है । हम इस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं और परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

बम्बई में छापा

+

*750. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री किन्दर लाल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के आय-कर अधिकारियों ने नवम्बर, 1965 में एक धनी व्यापारी के यहां, जिसकी छिपी आय लगभग 2 करोड़ रुपये बताई जाती है, छापा मारकर एक ट्रक भार के बराबर

ऐसे मूल दस्तावेजों पर कबजा किया जिनका सम्बन्ध उसके व्यापक व्यापारिक मामलों से है और जिनमें लेन देन का विवरण दिया हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां । छापा मारा गया था और कुछ बहियां व दस्तावेज पकड़े गये हैं । छिपाई गयी आय का अन्दाजा पकड़े गये कागजों की जांच समाप्त होने के पश्चात् ही लगाया जा सकता है ।

(ख) जांच अभी जारी है ।

Shri Vishwa Nath Pandey : May I know the name of the businessman from whom so much money and other goods were recovered?

Shri B. R. Bhagat : May I disclose his name?

Mr. Speaker : Name of such persons must be disclosed.

Shri B. R. Bhagat : His name is Chiranjit Lal Shyam Lal Goenka.

Shri Madhu Limaye : I had raised this matter twice. *(Interruptions)*.

अध्यक्ष महोदय : क्या यह 2 करोड़ रुपये थी ?

Shri Madhu Limaye : Rs. 50 lakhs.

श्री ब० रा० भगत : जी नहीं । इस समय ठीक ठीक रकम बताना कठिन है । एक स्थान से 85.6 किलोग्राम सोना और कुछ नकदी बरामद हुई । करापवंचन सम्बन्धी कुछ बहियां पकड़ी गई हैं ।

श्री रंगा : बहियों के अलावा उन्हें कुछ धन भी अवश्य मिला है, यह कितना था ?

श्री ब० रा० भगत : वास्तविक रकम के बारे में मुझे जानकारी नहीं हैं ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, I rise on a point of order. Ministry of Finance knows the person but it does not disclose it.

Shri Vishwa Nath Pandey : By what time enquiry is likely to be completed and when the report will be submitted to the Government.

Shri B. R. Bhagat : It is difficult to say anything about it at this moment. Several accounts are being examined. After the scrutiny they will be served with notices. It will take some time. Efforts will be made to expedite the matter as early as possible.

Shri Vishwa Nath Pandey : After all how much time will it take ?

श्री ब० रा० भगत : पकड़ी गई नकदी तथा माल के सम्बन्ध में मैं जानकारी दे सकता हूं । पकड़े गये 85.6 किलोग्राम सोने का मूल्य 45,87,40 रुपये है । लगभग 12 किलोग्राम सोने के जेवर थे । 15,785 रुपये नकद थे । इन के अतिरिक्त 7,000 रुपये के चांदी के सिक्के थे ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Is it a fact that the person, whose house was raided, had to pay the arrears of income tax amounting to rupees 25 lakhs; if so was the matter investigated and was any stringent action taken against him and is he associated with a particular company? If so, what is the name of that company.?

Shri B. R. Bhagat : He is associated with several companies and individual assessment was made in respect of these companies. Therefore, it is difficult to say anything at this moment.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : My question has not been answered.

Mr. Speaker : Hon. Member may give separate notice in this regard.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि यद्यपि बम्बई कार्यालय पर मारे गये छापे में केवल कुछ नकदी मिली इसके साथ साथ राजस्थान में मारे गये छापों में अधिक रकम का पता चला और यदि हां, तो राजस्थान में किस स्थान की तलाशी ली गई थी और तलाशी के बाद क्या बरामद हुआ ? क्या केवल आयकर अधिकारी ही इन मामलों को निबटाते हैं अथवा केन्द्र द्वारा मामला निबटाया जाता है ?

श्री ब० रा० भगत : तलाशी के दौरान राजस्थान में जिस स्थान से नकदी तथा सोना बरामद हुआ उसका नाम रामगढ़ है ।

श्री स० मो० बनर्जी : जो आयकर अधिकारी यह कार्य कर रहे हैं वे झुन झुनुवाला के निवासी हैं । क्या सरकार ने इसका अनुमान लगाया है कि यह झुनझुनुवाला के निवासियों और गोयनका के बीच झगड़ा है ? क्या केन्द्रीय सरकार कोई कार्यवाही करने जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या इस कार्यवाही के प्रभारी केवल आयकर अधिकारी हैं अथवा केन्द्रीय सरकार यह काम कर रही है ?

श्री ब० रा० भगत : आयकर अधिकारी केन्द्रीय सरकार के अधीन हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या इतना बड़ा कार्य केवल आयकर अधिकारियों पर छोड़ा गया है ?

श्री ब० रा० भगत : अधिनियम के अन्तर्गत कर निर्धारण निदेशकों तथा वरिष्ठ अधिकारियों की देख रेख में सदैव आयकर अधिकारी करते है ।

Shri R. S. Tiwary : According to the report published in the "Saptahik Purvi Punjab Bhiwani" dimonds weighing 300 tolas and of value of Rs. 6 crores were sized but according to the hon. Minister the value of the property seized is much less. May I know that actual facts in this regard, is the inquiry wrong or the report ?

Shri Madhu Limaye : Last time when I wanted to know the amount of income tax paid by that person during the last five years, the chair had directed the hon. Minster to collect the information. May I know the reasons for not taking any strong action against such a person from whom so much quantity of gold was seized. Is there any defect in the working of the Income-tax Department or the officers are protecting him? If there is any defect in the Income-Tax Department, it should be investigated.....

Mr. Speaker : Investigation is now being conducted.

Shri B. R. Bhagat : I can give you figures about the income tax personally paid by him during the last five years. He paid his income-tax in 1961-62 Rs. 55186, in 1962-63 Rs. 32749, in 1963-64 Rs. 44785, in 1964-65 Rs. 30343 and in 1965-66 Rs. 30083.

परिवार पेंशन सम्बन्धी लाभ

+

*751. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० के० देव :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री राम हरख यादव :

श्री नरसिम्हा रेड्डी : **श्री मुरली मनोहर :**

श्री कपूर सिंह : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकार के उन असैनिक कर्मचारियों के जिनकी मृत्यु उनके सेवाकाल में हुई हो, परिवारों को दी जाने वाली पेंशन दुगनी करने का निर्णय किया है ;

(ख) बढ़ाई गई पेंशन किन विशिष्ट शर्तों पर दी जाती है ; और

(ग) मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार को कितनी अवधि के लिये बढ़ी दर पर पेंशन दी जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) : हाल ही में एक जनवरी 1966 से प्रभावी आदेश जारी किए गए हैं कि यदि कोई असनिक सरकारी कर्मचारी नौकरी में रहते हुए मर जाए, जिसका सेवा-काल 7 साल से कम न हो, तो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए परिवार पेंशन योजना, 1964 के अनुसार मिलने वाली परिवार पेंशन दुगनी कर दी जाएगी, पर शर्त यह है कि वह रकम अन्तिम प्राप्त मूल वेतन की आधी रकम से अधिक न हो। सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद 7 वर्ष की अवधि तक या यदि वह जीवित रहा होता तो बुढ़ापे की सामान्य आयु तक, इन दोनों अवधियों में से जो भी कम हो, बढ़ी हुई दर से पेंशन दी जाएगी। इस अवधि के बाद सामान्य परिवार पेंशन दी जाएगी ।

आदेशों की प्रतिलिपि सभा पटल पर रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल०टी० 5879/66]**

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या उन लोगों के बच्चों को, जिनकी मृत्यु उनके सेवाकाल में हुई हो, रोजगार, मकान की व्यवस्था अथवा शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं के मामलों में प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री ल० ना० मिश्र : प्रश्न केवल पेंशन के बारे में हैं। शिक्षा भत्ते के बारे में अलग नियम हैं ।

श्री अ० प्र० शर्मा : उपमंत्री महोदय ने कहा है कि पेंशन सात वर्ष तक अथवा सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु तक, जो भी कम हो, दी जायेगी । उन मामलों में किस आधार पर हिसाब लगाया जायेगा, जिनमें सेवानिवृत्ति की अवधि सात वर्ष से अधिक हो ?

श्री ल० ना० मिश्र : हमने सात वर्ष की अवधि इस सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की है कि मृत-व्यक्ति के परिवार को पहले के कुछ वर्षों में अधिक सहायता की आवश्यकता होती है। यही मुख्य आधार है ।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether Government have made any survey to ascertain the number of employees to whom pension will be given?

Shri L. N. Mishra : This scheme has been introduced with effect from 1st January. It is difficult to say anything at this stage.

श्री उ० मू० त्रिवेदी : श्री कपूर सिंह द्वारा उठाये गये प्रश्न के बारे में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्री कपूर सिंह ने कहा था कि आप ऐयाशी के इस अर्थ से सहमत थे कि ऐयाशी विलास पूर्ण जीवन बिताना होती है । इसका यह अर्थ नहीं है। ऐयाशी शब्द का अर्थ है विलासिता, विषय भोग, कामुकता तथा लम्पटता का आदी होना ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सहमत नहीं था। उनके पास कोई दूसरा शब्द कोश होगा। मने उस समय कहा था कि शान शौकत के जीवन में कुछ ऐसी बाते भी होती है जो आपत्तिजनक होती है ।

श्री उ० मू० द्विवेदी : क्या माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई बात आपत्तिजनक है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि कम से कम हमारे लिये आपत्तिजनक है ।

श्री कपूर सिंह : ऐयाशी उर्दू भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ वैभवपूर्ण जीवन बिताना होता है । ऐयाशी और इशरत सम्मानसूचक शब्द हैं और लखनऊ के नबाब का नाम इशरत हुसैन खां था । यदि इस शब्द का अभिप्राय अपमानजनक होना तो यह लखनऊ के नबाब का तरीका नहीं हो सकता । यदि इसका प्रयोग भद्दे रूप में किया जाये तो यह बात दूसरी है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

डाक्टरों की कमी

*748. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री 2 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1739 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों को चलाने के लिये डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए अब तक क्या प्रयत्न किये गये हैं ; और

(ख) चौथी योजना की अवधि में देश में कितने स्वास्थ्य केन्द्र तथा अस्पताल खोलने का विचार किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) राज्य सरकारों ने डाक्टरों के वेतन-क्रम और भत्ते बढ़ाकर, उन्हें निःशुल्क आवास अथवा मकान किराया भत्ता देकर, सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्त करके, मेडिकल कालेजों की संख्या आदि बढ़ाकर डाक्टरों की कमी को पूरा करने के हेतु अनेक कदम उठाये हैं । इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों/प्रशासनों द्वारा किये गये उपाय सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 5880/66]**

(ख) तीसरी योजना अवधि के अन्त तक प्रत्येक विकास खण्ड में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य था । संभव है कि यह लक्ष्य पूरा न हो जिसके परिणामस्वरूप चौथी योजना अवधि में भी कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने पड़े । चौथी योजना में इस प्रकार खोले जाने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की ठीक संख्या इस समय नहीं दी जा सकती, लेकिन इसकी संख्या लगभग 500 होने की आशा है ।

देश में खोले जाने वाले प्रस्तावित अस्पतालों की संख्या के बारे में जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है और राज्य सरकारों से मंगानी पड़ेगी । तथापि चौथी योजना अवधि में 60,000 बिस्तर बढ़ाने का प्रस्ताव है । इस सम्बन्ध में ब्यौरा अभी तैयार नहीं किया गया ।

जापान का आर्थिक मिशन

*752. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विभूति मिश्र :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :
श्री काजरोलकर :
श्री राम हरख यादव :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री धर्मलिंगम :
श्री इन्द्रजीत गप्त

श्री किशन पटनायक : **श्री हरि विष्णु कामत :**

डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री रामनाथन चेट्टियार :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक सहयोग के लिये भारत और जापान का एक निकाय बनाने के बारे में विचार विमर्श करने के लिये जापान का एक उच्च स्तरीय आर्थिक मिशन जनवरी, 1966 में भारत आया था ;

(ख) उनका यह दौरा जापान सरकार तथा जापान के व्यापारियों को इस बात का विश्वास दिलाने में कहां तक सहायक सिद्ध हुआ है कि भारत में और अधिक जापानी पूंजी बिना किसी जोखिम के लगाई जा सकती है ; और

(ग) जापान की सहायता सम्बन्धी समूची नीति के विस्तार की क्या सम्भावनायें है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल संघ के निमन्त्रण पर जापान के उद्योग-धन्धों, बैंक-कारबार और व्यापार की महत्वपूर्ण शाखाओं के प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधि-मण्डल ने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों के बारे में बातचीत करने के लिए 28 जनवरी से 5 फरवरी 1966 तक भारत की यात्रा की। जापान और भारत के व्यावसायिक क्षेत्रों के परस्पर सम्पर्क और परामर्श की सुविधा के लिए भारत-जापान व्यवसाय सहयोग समिति स्थापित करने के लिए जापानी प्रतिनिधिमण्डल और संघ सहमत हो गये।

(ख) इस यात्रा से प्रतिनिधिमण्डल को भारत में, सरकार, उद्योग-धन्धों और व्यापारियों के प्रतिनिधियों से मिलने का अवसर मिला। तकनीकी और वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देने में लगातार पारस्परिक सम्पर्क बहुत सहायक होता है।

(ग) जापान, भारत सहायता संघ का सदस्य है जिसकी बैठकें भारत को विकास सम्बन्धी सहायता देने का विचार करने के लिए विश्व बैंक के तत्वावधान में समय-समय पर होती रहती है। जापान से और अधिक सहायता का मिलना, अधिकतर भारत सहायता संघ द्वारा भारत की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं का निर्धारण किये जाने पर ही निर्भर होगा।

आसाम की परिवहन व्यवस्था

*753. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल, सड़क और नदी परिवहन व्यवस्था के बीच समन्वय करके आसाम की परिवहन व्यवस्था के विकास की योजना बनाने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त कार्यकारी दल बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो रेल, सड़क और नदी परिवहन के समन्वित योजना का स्वरूप क्या होगा ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : नवम्बर, 1965 में एक समिति गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य वाणिज्य अधिक्षक तथा सदस्य रीवर्स स्टीम नैवीगशन कम्पनी, केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम और असम सरकार के प्रतिनिधि हैं। समिति का मुख्य काय केवल उन विशिष्ट प्रश्नों पर विचार करने तक ही सीमित है जो इस क्षेत्र में रेल, सड़क परिवहन और जल परिवहन के संचालन के कारण उत्पन्न होंगे।

कंक्रीट ब्लाक फैक्टरी

*754. **श्री भागवत झा आजाद :** **श्री सुबोध हंसदा :**

श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री प्र० चं० बरुआ :**

श्री स० चं० सामन्त :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैण्ड की सहायता के साथ सैल्यूलर कंक्रीट ब्लाक फैक्टरियां स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) क्या इस बारे में कोई करार किया गया है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी, हां । बन्डेल (पश्चिमी बंगाल) तथा एन्नोर (मद्रास) में इस प्रकार की दो फैक्टरियां स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(ख) पोलेन्ड की कम्पनी के प्रतिनिधियों से जिन्हें कि संयंत्र सप्लाई करने हैं, करार की शर्तों पर बातचीत चल रही है ।

सरकारी कर्मचारियों के वेतन सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति

*755. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**

श्री कृ० चं० पन्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों के वेतन के बारे में एक राष्ट्रीय नीति बनाने के लिये आवश्यक कदम उठा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इस मामले में राज्यों से परामर्श किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ): ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

ठेकेदारों को भुगतान

*756. **श्री राम हरख यादव :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने ठेकेदारों के बिलों का शीघ्र भुगतान किये जाने के लिये कहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिश का सम्बन्धित मंत्रालयों पर, विशेष रूप से निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय पर, क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) (क) जी, हां ।

(ख) निर्माण, आवास तथा नगर विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संचार (डाक व तार) ने सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के लिए अपेक्षित हिदायतें जारी कर दी हैं । अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों से उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

Domestic Power Consumption in Delhi

*757. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**

Shri Bade :

Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether Government have appealed that domestic consumption of power be reduced to the minimum in Delhi;

(b) whether it is also a fact that persons using power in the Capital have to pay charges for a minimum of 25 units to the corporation, even if they consume less number of units; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed) : (a) Appeals were issued by the Delhi Electric Supply Undertaking in the context of reduced power supply from Bhakra.

(b) Yes, Sir, only for domestic power connection.

(c) Minimum charges are levied by the Delhi Electric Supply Undertaking to cover expenses on consumers' Services for the maintainance of meters, service lines and subsequent meter reading and billing etc. irrespective of whether the consumer uses electricity or not.

बागान श्रमिक आवास योजनाएं

*758. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान अब तक बागान श्रमिक आवास योजनाओं के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) उक्त अवधि में इस प्रयोजन के लिए अब तक कितना खर्च किया गया है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) 1210 मकान बनाने के लिए लगभग 22.01 लाख रुपयों की राशि मंजूर हुई थी। 678 मकान तैयार हो चुके है ।

(ख) राज्य सरकारों के द्वारा अब तक 18.26 लाख रुपये खर्च किये गये हैं ।

चौथा वित्त आयोग

*759. **डा० चन्द्रभान सिंह :**

श्री वाडिवा :

श्री रा० स० तिवारी :

श्री लखमू भवानी :

श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :

श्री राम सहाय पाण्डेय :

श्री शिव दत्त उपाध्याय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने ऋणों का भुगतान करने के बारे में जिसमें ऋणों को कम करने के उद्देश्य से शोधन-निधियां बनाए रखने की व्यवस्था भी शामिल है सभी राज्यों की आवश्यकताओं के मानकीकरण में तथा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायक अनुदान के बारे में विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं का पता लगाने में चौथे वित्त आयोग की असफलता के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या चौथे वित्त आयोग द्वारा सुझाए गये मानकीकरण के लिये एक सुक्षम निकाय स्थापित करने सम्बन्धी सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है ;

(घ) यदि हां, तो सरकार आवश्यक आदेश कब तक जारी कर देगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो सिफारिशों को स्वीकार न करने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) सरकार को हाल ही में एक राज्य सरकार से अभ्यावेदन मिला है ।

(ख) से (ङ) : राज्य सरकार ने भारत सरकार से 15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त सहायक अनुदान देने का अनुरोध किया है, ताकि वह जनता से लिये गये ऋणों के परिशोधन के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर सके। यह केवल उसी राज्य की समस्या नहीं है जिस ने अभ्यावेदन भजा है, बल्कि कई दूसरे राज्यों की भी समस्या है। यद्यपि साधारणत: राज्यों की अतिरिक्त आवश्यकताओं का विचार आयोजना का आकार, राज्यों के साधनों और आयोजना के लिए राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता का निर्धारण करते समय, किया जायगा, पर इस सारे प्रश्न की जांच चौथे वित्त आयोग की शिफारिशों के अनुसार की जायेगी।

गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को सरकारी ऋण

*760. **श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा प्रायोजित वित्त निगमों ने, अर्थात भारत के औद्योगिक विकास बैंक, भारत के औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम तथा भारत के औद्योगिक वित्त निगम, गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को कितनी राशि के ऋण दिये ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में कितने प्रतिशत ऋण की वसूली की गई; और

(ग) क्या सरकार ने सम्बन्धित उद्योगों द्वारा इन ऋणों का उचित उपयोग किये जाने के बारे में पता लगाने के लिये समय समय पर जांच की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5881/66**।]

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जी, नहीं। इस प्रकार की जांच, ऋण देने वाले निगमों द्वारा, सहायताप्राप्त प्रतिष्ठानों से उनकी प्रगति का विवरण प्राप्त करके और नियतकालिक निरीक्षण करके समय समय पर की जाती है। सरकार द्वारा अलग से जांच किया जाना आवश्यक नहीं समझा जाता।

मध्य प्रदेश में कताई मिलें

*762. **श्री अ० सिं० सहगल :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री रणंजय सिंह :
श्री वाडीवा :
श्री लखमू भवानी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 1965–66 के वित्तीय वर्ष में कताई मिलों की पुंजीगत लागत में अपने अंश के रूप में अपने सहकारिता विभाग को वार्षिक योजना व्यय से 10 लाख रुपये से अधिक की रकम दी है ; और

(ख) यदि हां, तो कताई मिल स्थापित करने के प्रस्ताव को राज्य की तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के सम्बन्ध में योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दिये जाने के बारे में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने जो सूचना भेजी है उसके अनुसार 1964–65 में (न कि 1965–66 में) सहकारी क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले तीन कताई मिलों की शयर पूंजी में अपने अंश के रूप में मध्य प्रदेश सरकार ने 30.60 लाख रुपये की राशि उपलब्ध की।

(ख) राज्य सरकारने हाल में ही जो कतिपय अतिरिक्त सूचना उपलब्ध की है उसको ध्यान में रखते हुए, वाणिज्य मंत्रालय से परामश कर के यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

केरल में हैजे का महामारी के रूप में फैल जाना

*763. **श्री वासुदेवन नायर :**

श्री वारियर :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में, विशेषकर अलप्पी जिले में, हैजा महामारी के रूप में फैल गया है;

(ख) यदि हां, तो इससे कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई; और

(ग) इस महामारी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) फिलहाल कोई नहीं।

(ख) जनवरी और फरवरी 1966 में हैजा की 13 घटनायें (पुष्ट) हुई तथा 19 व्यक्ति जठर आन्त्रशीथ और हैजा से मरे।

(ग) सुभेद्य क्षेत्रों सामूहिक टीका अभियान चल रहा है और सभी चिकित्सा संस्थाओं में पर्याप्त उपचार सुविधायें उपलब्ध हैं। जल स्रोतों का शुद्धीकरण किया जा रहा है।

अमरीकी ऋण

*764. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री मधु लिमये :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका की सरकार ने औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय औद्योगिक ऋण और विनियोजन निगम को 35 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो ये बैंक इस ऋण को कैसे प्रयोग में लाएंगे; और

(ग) इन बैंकों को अमरीका ने अब तक कुल कितना ऋण मंजूर किया है ?

वित्त मंत्री (श्री सचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अधिकरण (युनाइटेड स्टेटस एजेंसी फार इंटरनेशनल डेवलपमेण्ट) के भारत-स्थित मिशन और भारत सरकार ने नवम्बर, 1965 में दो प्रायोजना-करार किये थे जिनके अनुसार अन्त र्ष्ट्रीय विकास अभिकरण ने भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (इंडस्ट्रियल डेवलपमेण्ट बैंक आफ इण्डिया) और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (इन्डस्ट्रियल क्रेडिट ऐण्ड इन्वस्टमेण्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया) को ऋण देने के लिए क्रमश: 30 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये की दो रकमें भारत सरकार को उधार के रूप में दे दी है। ये दोनों संस्थाएं, इन ऋणों को अपने-अपने अधिकार पत्रों के अनुसार, उधार देने के अपने सामान्य कार्यों के लिए इस्तेमाल करेंगी।

(ग) इन दोनों संस्थाओं को ऋण देने के उद्देश्य से भारत सरकार को उधार देने के लिए, विकास अभिकरण के भारत-स्थित मिशन ने जिन कुल ऋणों के सम्बन्ध में करार किये हैं उनका ब्योरा यह है :

(1) भारतीय औद्योगिक विकास बैन्क को जिसमें भारतीय पुनर्वित्त निगम शामिल है जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में मिला दिया गया है	66 करोड़ रुपये
(2) भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम को	25 " "

Central Government Health Scheme

*765. **Shri M. L. Dwivedi :** **Shri Subodh Hansda :**
Shri P. C. Borooah : **Shri S. C. Samanta :**
Shri Bhagwat Jha Azad :

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) the programme for the expansion of the C.G.H. Scheme in case Government consider the scheme successful on the basis of the experience gained during the last few years;

(b) the yearly income from the beneficiaries of the C.G.H. Scheme and the amount contributed by Government towards the same;

(c) whether it has been considered to make the scheme self-sufficient; and

(d) Government's reaction to the proposal in regard to the introduction of this scheme in other centrally administered territories as well?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) and (d). The scheme has been a success. It is the desire of Government to extend the scheme to other large cities besides Delhi and Bombay, where in there is sizeable concentration of Central Government servants, *e.g.* Madras, Calcutta, Nagpur, Amritsar, etc. but due to financial stringency it has not yet been possible to do so.

(b) The total expenditure on the Scheme during 1964-65 was Rs. 1,33,40,885 exclusive of Hospital care and the contribution realised from the beneficiaries was Rs. 72,89,492.

(c) No, Sir. The scheme cannot be made fully self-sufficient since many of the beneficiaries are low paid, and make a very small contribution.

विदेशी मुद्रा नियम उल्लघंन

*766. **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा नियम उल्लंघन किये जाने, अनुचित रूप से प्राप्त करने (लीकेज) के विरुद्ध अपने अभियान की स्थिति विवरण तैयार कर ली है;

(ख) क्या कुल मिलाकर अभियान सफल रहा है अथवा असफल; और

(ग) यदि असफल रहा, तो इसके क्या करण हैं?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) से (ग) : पिछले पांच वर्षों में विदेशी मुद्रा विनिमय विनियम अधिनियम 1947 के उपबंधों के अधीन प्रवर्तन निदेशक द्वारा दर्ज व न्याय नि ीत किये गये मामलों तथा लगाये गये दण्डों के तुलनात्मक आंकड़ों का एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5882/66]** इस विवरण-पत्र से, विदेशी मुद्रा विनिमय के उल्लंघनों के खिलाफ सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही की सफलता का पता चलता है ।

मकान बनाने के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण

*767. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों द्वारा मकान की वचनबद्ध योजनाओं पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए जीवन बीमा निगम ने 15 करोड़ रुपये दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों के लिये किस सिद्धांत के आधार पर राशि नियत की गई है; और

(ग) अपनाये गये सिद्धान्त के बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी हां ।

(ख) आपात काल में अत्याधिक बचत की आवश्यकता को देखते हुए इस वर्ष यह सिद्धान्त अपनाया गया था कि तृतीय पक्षों को दिये गये वचनों से संबंधित चल रहे निर्माण कार्यों को केवल पूरा करने की सीमा तक आवश्यक निधियों का नियतन किया जाये ।

(ग) राज्य सरकारों ने यह सिध्दांत स्वीकार कर लिया है ।

संयुक्त राज्य अमरीका से सहायता

*768. **श्री लिंग रेड्डी :**
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री म० रं० कृष्ण :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में कोई परिवर्तन किया है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की तथा कितनी सहायता दी जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री शचिन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : दिसम्बर 1965 से संयुक्त राज्य अमेरिका ने तीन ऋण देना स्वीकार किया है जो इस प्रकार हैं :

मेसर्स हर दिल्लिया केमिकल्स के लिए पूंजीगत सामान के आयात के लिए 16 दिसम्बर 1965 को मंजूर किया गया 33.40 लाख डालर का ऋण; रासायनिक खाद के आयात के लिए भारत सरकार को दिया जाने वाला 5 करोड़ डालर का ऋण जो 4 जनवरी, 1966 को मंजूर किया गया; और औद्योगिक और कृषि उत्पादन के लिए कच्चे माल और पुर्जों के आयात के लिए 10 करोड़ डालर का ऋण। (पहले दो ऋणों के करारों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और तीसरे ऋण के करार पर जल्दी ही हस्ताक्षर हो जाने की आशा है ।)

सिंधु जल आयोग

*769. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 मार्च, 1966 को सिंधु जल आयोग की बैठक दिल्ली में हुई; और

(ख) यदि हां, तो उस बैठक का क्या परिणाम निकला ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) विवरण संलग्न है ।

विवरण

जैसा कि सिन्धु जल संधि की धारा 6(1) में दिया गया है दोनों आयुक्तों ने नदियों के अन्त: प्रवाह और उनके पानी के उपयोग के सम्बन्ध में आंकड़ों का आदान-प्रदान किया। आंकड़ों का यह आदान प्रदान भारत और पाकिस्तान में संचार व्यवस्था के छिन्न भिन्न होने के कारण सितम्बर, 1965 के आरम्भ से ले कर अब तक नहीं हुआ था।

आयोग ने विचार विमर्श भी किया और

(1) अन्त: कालीन अवधि के चरण 2 के लिये जल के हिसाब-किताब के फार्म 14 और 15 को अन्तिम रूप दिया।

(2) खरीफ 1965 के लिये जल के हिसाब-किताब के एक अतिरिक्त फार्म को अन्तिम रूप दिया।

(3) पाकिस्तान में मई-जून, 1966 में द्वितीय साधारण निरीक्षण दौरे के प्रथम भाग और जून, 1966 में भारत में दौरे के दूसरे भाग को करने के लिये और पाकिस्तान में मई 1966 में आयोग की अगली बैठक करने के लिये अपनी प्राथमिक स्वीकृति दी।

(4) इस बैठक के दौरान आदान प्रदान किए गये गाज और जल निस्सार सम्बन्धी आंकड़ों के अध्ययन के पश्चात सितम्बर, 1965 और इससे आगे की अवधि के लिये पाकिस्तान को पूर्वी नदियों से पानी देने के प्रश्न पर अपनी अगली बैठक में विचार विमर्श करने के लिये राजी हुआ।

(5) टिम्बर के मालिकों को उस लकड़ी के लिये देय धन देने के लिये अदायगी की प्रक्रिया पर विचार किया गया जो कि रावी और चैनाब नदियों में बह कर पाकिस्तान में चली गई थी और जो पाकिस्तान में 31-3-63 और 1963-64 को खत्म होने वाले वर्ष के दौरान मिली थी।

(6) यह मान लिया गया कि चरण 2 से सम्बन्धित सिन्धु जल सन्धि के उपबन्ध 1 अप्रैल, 1966 से लागू होंगे।

पेंशनरों को महंगाई भत्ता

*770. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री स० मो० बनर्जी :

श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में 1,000 रुपये से लेकर 2,250 रुपये तक वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या बढ़ते हुए मूल्यों के कारण बढ़ी हुई कठिनाइयों को देखते हुए पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि करने के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार का निर्णय किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। सेवा कर रहे सरकारी कर्मचारियों की स्थिति पेंशनरों की स्थिति से भिन्न है। सिद्धान्त रूप में, पेंशनरों को वही रियायतें नहीं मिल सकतीं, जो सेवा कर रहे सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती हैं।

ब्रिटेन से कच्चे माल तथा पुर्जों का आयात

*771. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन की सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया है कि वह भारत को कच्चे माल तथा पुर्जो की वर्तमान अत्यधिक कमी को दूर करने के लिये सहायता देने को तैयार है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि हाल ही में भारत आये फेडरेशन आफ ब्रिटिश इण्डस्ट्रीज के एक सलाहकार ने सरकार को आश्वासन दिया है कि वह ऐसी अविलम्बनीय सहायता देने के लिये ब्रिटेन को सरकार से अनुरोध करेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्रिटेन की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख): "खाद्य स्थिति से उत्पन्न मौजूदा समस्याओं को हल करने में सहायता देने के भारत सरकार के अनुरोध की तात्कालिक प्रतिक्रिया के रूप में" ब्रिटेन की सरकार ने 11 फरवरी, 1966 को भारत सरकार को 75 लाख पौंड का ऋण दिया। इस ऋण का ब्योरा, 11 फरवरी 1966 को जारी की गयी एक प्रेस-विज्ञप्ति में दिया गया है जिसकी एक प्रति सभा पटल पर रख दी गयी है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5883/66]**

(ग) जी नहीं—हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

केरल को केन्द्रीय सहायता

2690. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रिज़र्व बैंक से नियत रकम से अधिक रकम (ओवरड्राफ्ट) निकालने पर लगाई गई सीमा के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई कठिनाइयों को समाप्त करने के लिये केरल सरकार ने केन्द्र से वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो केरल की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए केन्द्र का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : भारत के रिज़र्व बैंक से बराबर नियत रकम से अधिक रकम (ओवरड्राफ्ट) निकालने को रोकने के लिये केरल सरकार ने केन्द्र से वित्तीय सहायता मांगी है। जैसा कि केरल के 1966–67 के आयव्ययक सम्बन्धी वक्तव्य में वित्त मंत्री द्वारा बताया जा चुका है, अपनी आयव्ययक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये राज्य सरकार को 6 करोड़ रुपए का ऋण देने का निर्णय किया गया है।

त्रिचूर में जल संभरण योजना

2691. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिचूर लोक स्वास्थ्य इंजिनियरी डिवीजन ने नत्तिका फरका के लिए एन्नादियूर से आला तक एक जल संभरण योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह योजना मंजूर कर ली गई है ; और

(ग) इस योजना के लिये वित्तीय सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशील नायर) : (क) त्रिचूर जिले में नत्तिका फारका के हैजा पीड़ित क्षेत्रों में एंगदियूर से आला तक सुरक्षित पेय जल पहुंचाने की एक योजना तैयार करने के प्रारम्भिक कार्य के रूप में राज्य जन स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग जांच कर रहा बतलाया गया है ।

(ख) अभी तक यह योजना भारत सरकार के पास नहीं भेजी गई है ।

(ग) केन्द्रीय सहायता सामान्य स्वरूप के अनुसार दी जायेगी अर्थात् नगर क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत ऋण तथा ग्राम क्षेत्र के लिये 50 प्रतिशत अनुदान ।

केरल में मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

2692. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1964–65 और 1965–66 के दौरान मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिये केरल सरकार ने केन्द्र से 50 लाख रुपये देने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) और (ख): केरल सरकार ने फरवरी, 1965 में राज्य में सिंचाई परियोजनाओं की गति को तेज करने के लिये 1965–66 के दौरान 181 लाख रुपयों के अतिरिक्त नियतन के लिये प्रार्थना की थी । विविध परियोजनाओं पर कार्य तथा व्यय की प्रगति को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इस प्रार्थना पर विचार किया गया और निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं के लिये जून, 1965 में 110 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय स्वीकार किया गया :

स्कीम का नाम	लाख रुपयों में
(1) नेय्यार 1 तथा 2	22.00
(2) पोथुन्डी	15.00
(3) चित्तुरपुझा	13.00
(4) पेरियार घाटी	30.00
(5) गायत्री	10.00
(6) पम्बा	20.00
कुल	110.00

केरल में सिंचाई-कर

2693. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में चित्तूर-पालीघाट जिले के किसानों को 1956 की अवधि के भतलक्षी प्रभाव से सिंचाई-कर देने के लिये बाध्य किया जा रहा है ;

(ख) क्या इससे छूट पाने के लिये किसान लोग सरकारी दफ्तरों के सामने सत्याग्रह कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद): (क) से (ग) : पालघाट जिले के चित्तूर तालुक में चित्तर सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचित भूमि से लाभान्वित व्यक्तियों को ट्रावनकोर-कोचीन सिंचाई अधिनियम, 1956 की धारा 15(2) के अन्तर्गत 20 नवम्बर, 1956 से जल-कर देना था ।

कुछ किसानों ने 3 दिसम्बर से 16 दिसम्बर, 1965 तक चित्तूर में तालूक आफिस के सामने और फिर 17 दिसम्बर, 1965 से पालघाट में कलक्टर के दफ्तर के सामने सत्याग्रह किया और मांग की कि उन से जल-कर न लिया जाए । सत्याग्रह 23 दिसम्बर, 1965 को वापिस ले लिया गया ।

सब पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् 22 दिसम्बर, 1965 को राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किये गये जिससे किसानों को इजाजत दी गई कि वे बकाया जल-कर की अदायगी छमाही किश्तों में मार्च, 1966 तक कर दें । बकाया जल-कर पर 31 मार्च, 1966 तक के सूद को भी छोड़ दिया गया है ।

Rise in Prices of Essential Commodities

2694. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to reply given to Starred Question No. 620 on the 2nd December, 1965 and state :

(a) how the rationing has affected the prices of essential commodities; and

(b) the arrangements being made for the supply of milk and vegetables at reasonable rates?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) As a result of the introduction of rationing in Delhi, rice, wheat and wheat products, and sugar have become available to the ration card-holders at fixed prices.

(b) The Delhi Milk Scheme arranges for the supply of milk at reasonable rates; in order to augment the supply of vegetables, kitchen gardening for growing vegetables is being encouraged under Emergency Food Production drive.

केरल में चेचक महामारी

2695. श्री प० कुन्हन : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इस वर्ष समूचे केरल में चेचक की महामारी फैल गई है, हालांकि इस के उन्मूलन के लिये सरकार गत कई वर्षों से कार्यवाही कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका पूरी तरह उन्मूलन करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) केरल के पांच जिलों से चेचक की घटनाओं की सूचना मिली है ।

1 जनवरी 1966 से जिलावार आंकड़े इस प्रकार हैं :

जिला	रोगग्रस्त	मृत्यु
एल्लेप्पी	1	1
त्रिचूर	2	1
पालघाट	9	2
कोझीकोढ़े	24	8
कन्नानूर .	93	28
	129	40

त्रिवेन्द्रम, क्विलन, कोट्टायम और एर्नाकुलम के शेष चार जिलों को इस रोग से मुक्त बतलाया गया है ।

(ख) इस रोग का पूर्ण रूप से उन्मूलन करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(1) जिन्होंने अभी तक प्राथमिक टीका नहीं लगाया था उन्हें प्राथमिक टीका लगाया जा रहा है ताकि शत प्रतिशत जनसंख्या अन्तर्हित हो जाय ।

(2) लोगों को हर तीन या चार साल बाद दो बारा टीका लगाने का काम भी चलाया जा रहा है ।

इस रोग के स्थानीय रूप से फैलने को काबू करने के लिये निम्नलिखित उपाय बरते गये :

(1) रोग के और आगे फैलाव को रोकने के लिये रोगियों के निकट सम्पर्क तथा दूर सम्पर्क में रहने वाले व्यक्ति ों को टीका लगाने के लिये गठित टीका अभियान को तीव्र करना ।

(2) बिना टीका लगे व्यक्तियों, जिनमें नवजात शिशु भी सम्मिलित हैं, की सुरक्षा के लिये ऐसे व्यक्तियों को खोज खोज कर टीका लगाने का काम किया जाता है ।

(3) स्वास्थ्य शिक्षा तथा प्रचार साधनों को भी और प्रभावकारी बना दिया जाता है ।

कन्नानुर जिला अस्पताल (केरल)

2696. **श्री प० कुन्हन :** क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में कन्नानूर जिले के जिला मुख्यालय अस्पताल में चेचक (स्माल पाक्स) तथा छोटी माता (चिकन-पाक्स) के इलाज के लिए कोई अलग बने हुए वार्ड नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशिला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) सूचना मंगाई गई है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी । हर जिला अस्पताल में चेचक और छोटी माता के रोगियों के लिये अलग वार्ड होना जरूरी नहीं है ।

जीवन बीमा निगम द्वारा केरल में आवास योजना के लिये दिया गया ऋण

2697. **श्री प० कुन्हन :** क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम द्वारा क्रमश: वर्ष 1963–64, 1964–65 और 1965–66 में केरल में निम्न आय-वर्गो तथा मध्यम आय वर्गो के व्यक्तियों के हेतु आवास योजनाओं के लिये कुल कितनी राशि का ऋण दिया गया ; और

(ख) इस काम के लिये राज्य सरकार ने कितनी राशि का उपयोग किया ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जीवन बीमा निगम निधियां प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों को इकट्ठी नियत (पैकेज एलोकेशन) की जाती ह । राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर स्वयं योजनानुसार वितरण करती ह । केरल सरकार

के द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग आवास योजनाओं के अन्तर्गत निधियों का वितरण निम्न प्रकार है :

वर्ष	निम्न आय वर्ग आवास योजना	मध्यम आय वर्ग आवास योजना
	(संख्या लाख रुपयों में)	
1963–64	7.00	7.00
1964–65	10.00	10.00
1965–66	14.00	40.00

(ख) आवश्यक सूचना राज्य सरकारों से इकट्ठी की जा रही है तथा जब वह प्राप्त हो जायेगी सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कुष्ठरोगी पुनर्वास केन्द्र

2698. **श्री वासुदेवन नायर :**

श्री वारियर :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल राज्य के पल्लीकल पंचायत, कुमथूर ताल्लुक के कुष्ठरोगी पुनर्वास केन्द्र में रहने वाले लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस केन्द्र में रहने वाले लोगों की क्या शिकायतें हैं ; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) भारत सरकार को ऐसा कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है । तथापि केरल सरकार को पल्लीकल के कुष्ठ रोगी पुनर्वास केन्द्र में रहने वाले लोगों से एक अभ्यावेदन मिला है ।

(ख) इस अभ्यावेदन की मांगें इस प्रकार हैं :

(1) खेती करने के लिए उन्हें अच्छे बीज दिये जायें ।

(2) जब तक वे आत्म-निर्भर न हो जाय तब तक प्रति व्यक्ति प्रतिमास 30 रुपये का निर्वाह भत्ता का दिया जाना जारी रखा जाये ।

(3) राशन वाले खाद्यान्नों में वृद्धि की जाये ।

(4) उनकी जमीन वाले इलाके में पीने के पानी की व्यवस्था की जाये ।

(5) रोशनी की व्यवस्था की जाये ।

(6) इस केन्द्र के भतपूर्व कुष्ठ रोगियों के उपचार के लिए एक औषधालय की स्थापना की जाये ।

(7) केन्द्र के नियमित कर्मचारियों के रूप में धोबी, नाई, ड्रेसर तथा इन्जेक्टरों की नियुक्ति की जाये ।

(8) उनके प्लाटों में छोटे छोटे शेडों का निर्माण किया जाये ।

(9) केन्द्र के सदस्यों के हित के लिए लघु उद्योग चलाये जायें ।

(10) कुष्ठ रोग के प्रति फैले हुए पूर्वग्रहों को समाप्त करने के लिये संलग्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा एवं प्रचार की व्यवस्था की जायें ।

(ग) कुछ शिकायतों को राज्य सरकार ने दूर कर लिया है और शेष शिकायतों पर उस के द्वारा गौर किया जा रहा है ।

पेरियार नदी घाटी परियोजना

2699. **श्री वासुदेवन नायर :**

श्री वारियर :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पेरियार नदी घाटी परियोजना तैयार हो गई है और उसे चालू किया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो उससे कितनी भूमि को लाभ पहुंचेगा ; और

(ग) इस परियोजना पर कुल कितनी लागत आयी है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) : नई परियोजना अंशरूप में चालू कर दी गई है जिससे 8,000 एकड़ भूमि को लाभ पहुंचेगा । यह 1971 में पूर्ण रूप से चालू कर दी जाएगी जिससे 63,300 एकड़ भूमि लाभान्वित होगी ।

(ग) परियोजना की अनुमित लागत 640 लाख रुपये है ।

एर्णाकुलम अस्पताल

2700. **श्री वासुदेवन नायर :**

श्री वारियर :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला विकास परिषद, एर्णाकुलम, केरल राज्य ने सिफारिश की है कि जिला अस्पताल का दर्जा बढ़ाकर उसे जनरल अस्पताल बनाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) राज्य सरकार को ऐसी कोई सिफारिश नहीं मिली है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

तटवर्ती क्षेत्रों में पेय जल संभरण योजनायें

2701. **श्री वासुदेवन नायर :**

श्री वारियर :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने तटवर्ती क्षेत्रों तथा कुठनाड तालूक में क्रियान्वित की गई ताजे पेय जल संभरण संबंधी योजनाओं के अलावा कोई अन्य योजनायें प्रस्तुत की हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य प्रस्ताव क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने उन योजनाओं को स्वीकृति दे दी है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) : इन क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए केरल सरकार से निम्नलिखित योजनाएं प्राप्त हुई थी :

(1) पोन्नानी

(2) गुरुवयूर, कुन्नमकुलम् और चौघाट

(3) तैरीकारीपुर–कादापरम

(4) पूवार कारिचल

इन में से पूवार कारिचल योजना को मंजूर कर दिया गया है और शेष को तकनीकी टिप्पणी के साथ संशोधन के लिए राज्य सरकार को लौटा दिया गया है ।

कैंसर का इलाज

2702. **श्री लखमू भवानी :** क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'सर्पगन्धा' से कैंसर का प्रभावकारी ढंग से उपचार किया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पौधे को पर्याप्त मात्रा में उगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : जी नहीं। जहां तक सरकार को मालूम है, सर्पगन्धा कैंसर का इलाज नहीं है ।

औद्योगिक गृह-निर्माण योजना

2703. **श्री प० कुन्हन :** क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कलामैसरी में प्रीमीयर टायर्स लिमिटेड के कर्मचारियों के लिये औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत अब तक कोई मकान बनाये गये हैं ;

(ख) क्या इस काम के लिये सरकारने कोई राशि नियत की है ;

(ग) यदि हां, तो कुल कितनी व्यवस्था की गई है और कितना खर्च किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (घ) : सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत परियोजनायें स्वयं राज्य सरकारों के द्वारा मंजूर की जाती है । प्रीमियर टायर्स लिमिटेड के कर्मचारियों से संबंधित सूचना राज्य सरकार से मांगी गयी है तथा जैसे ही वह प्राप्त होगी सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Research on Fertilizers

2704. **Shri M. L. Dwivedi :** **Shri Subodh Hansda :**
Shri P. C. Borooah : **Shri S. C. Samanta :**
Shri Bhagwat Jha Azad :

Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether he had suggested that some kind of technological cell or wing should be set up in the Fertilizer Association of India;

(b) whether he had also suggested that the production of micro-nutrients should be increased along with the increase in the production of chemical fertilizers so as to neutralise the effect of the latter on the quality of the soil; and

(c) if so, the action taken in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri L. N. Mishra) : (a) and (b). Addressing the National Seminar on Fertilizers held in New Delhi on December 21-23, 1965, the Deputy Chairman of the Planning Commission referred to the rapid advances in the fertiliser technology and expressed the hope

that the Fertilizer Association of India would set up some kind of a technological cell or wing in the Association with those technologists who are interested in it. He also referred to the role of micronutrients in maintaining the fertility of the soil and suggested that the perspective of ensuring balanced growth all along the line simultaneously with the production of chemical fertilizers should be kept in view.

(c) The Fertilizer Association of India is a private body consisting of the manufacturers of fertilizers in India. It is for them to take suitable action on the suggestions made by the Deputy Chairman.

Training to Contractors

2705. **Shri M. L. Dwivedi :** **Shri S. C. Samanta :**
Shri Bhagwat Jha Azad : **Shri P. C. Borooah :**
Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state :

(a) the progress made in the work started by the Government to train all those contractors, who are engaged in construction work in all the Industrial Training Institutes as recommended by the International Labour Organisation;

(b) whether it is a fact that the present contractors experience difficulty in pre-fabricated or pre-stressed construction works; and

(c) The Institutes where training in construction work has started and the number of persons for which there is provision for training ?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) The Government of India have no scheme for training building contractors as such. However, the Directorate General of Employment and Training have initiated two training schemes—a pilot scheme for training instructors and another for training craftsmen in the building trade. The two schemes are complementary and are being implemented with expert assistance from the U.N. Special Fund. 14 instructors have been trained and another 12 are receiving training. 224 Seats have been sanctioned in selected Industrial Training Institutes in some of which the training programme has been started.

(b) Pre-fabricated and pre-stressed construction works require specialised equipment and machinery involving foreign exchange and also advanced technical know-how, which are beyond the resources of ordinary contractors. They cannot, therefore, undertake such works.

(c) A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in library. See No. L.T.—5884/66]**

Advance of Loans by Private Financial Companies

2706. **Shri M. L. Dwivedi :** **Shri S. C. Samanta :**
Shri P. C. Borooah : **Shri Subodh Hansda :**
Shri Bhagwat Jha Azad :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the financial companies and firms in Delhi advancing loans to the private parties for the purpose of purchasing buses and trucks charge interest at the rate of 18 per cent or even more;

(b) whether the charging of such interest is permissible under the law and if not, the steps being taken to check the same; and

(c) whether it is also a fact that the aforesaid companies confiscate the involved buses and trucks by using unlawful methods if the debtors delay the payment of any instalments and if so, the steps taken to check the same?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) There are complaints and allegations that the rates of interest charged by hire-purchase financiers, particularly in the Delhi area, are very high, but Government has no exact or precise information regarding the actual or effective rates or the parties charging or paying them.

(b) The rates charged by hire-purchase financiers are not controlled at present, but it is open to any borrower under the Usurious Loans Act, 1918 as modified by the Punjab Relief of Indebtedness Act, 1934 and extended to the Union Territory of Delhi, to seek relief from a court, if the rates are regarded as being excessive.

(c) Government has no precise information about the conditions which are included in individual hire-purchase contracts and the extent to which these conditions are violated. The question of codifying the law relating to hire-purchase transactions, in the light of the Law Commission's report on this subject, is however, under consideration.

गोहाटी के लिये बाढ़ तथा भूमि कटाव योजना

2707. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोहाटी को ब्रह्मपुत्र की बाढ़ तथा भूमि कटाव से बचाने के लिये सरकार ने हाल में एक योजना मंजूर की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना सम्बन्धी खर्च तथा अन्य ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) गोहाटी शहर की ब्रह्मपुत्र के भूमि कटाव से सुरक्षा के लिये योजना आयोग ने मई, 1965 में एक स्कीम स्वीकार की थी ।

(ख) स्कीम की अनुमित लागत 35.45 लाख रुपये है जिसमें भू-कटाव से स्थाई रक्षा करने हेतु उचित एप्रन सहित पुश्ता का निर्माण और सुलकेसवर घाटसे ब्रह्मपुत्र के वाम तट पर गोहाटी में एन० सी० सी० भवन स्थल तक रोक दिवारों का निर्माण सम्मिलित है ।

Gandak Project

2708. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that iron sheets of suitable quality for the gate of the barrage of Gandak Project have not so far been available;

(b) if so the reason therefor; and

(c) whether the absence of the gate will delay the irrigation programme of the Gandak Project?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed) : (a) and (b). 900 Tons of MS plates have been supplied to the manufacturers of gates. Further 900 tons have been arranged for to be supplied from indigenous manufacture. Attempts are being made to arrange supply of the balance 1200 tons. Due to great demand, there has been difficulty in securing the steel.

(c) If steel is not supplied in time and gates not manufactured, commissioning of the barrage will be delayed but attempts are being made to avoid this.

Willingdon Hospital

2709. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the New Delhi Municipal Committee filed a claim for suitable land and also for the cost of buildings in lieu of the Willingdon Hospital and Nursing Home, New Delhi;

(b) whether the amount of compensation was not determined at the time of its transfer; and

(c) if so, Government's decision thereon ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) to (c). The claim of the New Delhi Municipal Committee was finally settled in 1963 by the payment of Rs. 80,647. The Committee have, however, forwarded a fresh representation recently, which is under examination.

दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली की सप्लाई बन्द किये जाने सम्बन्धी योजना

2710. श्री श्रीनारायण दास : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम द्वारा दामोदर घाटी के बाहर के कुछ स्थानों तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दामोदर घाटी क्षेत्र के स्थानों को बिजली की सप्लाई बन्द किये जाने के बारे में बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा तैयार किये गये योजना-बद्ध कार्यक्रमपर विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) बिजली की सप्लाई बन्द किये जाने सम्बन्धी योजना की, जिस के बारे में दामोदर घाटी निगम तथा बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकारों के बीच अब समझौता हुआ है, मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) : पश्चिम बंगाल में घाटी के बाहर दामोदर घाटी निगम द्वारा पूरी की जाने वाली मांगे, कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कार्पोरेशन को छोड़ कर, पहले से ही पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड को हस्तान्तरित कर दी गई है। वर्तमान प्रबन्धो के अन्तर्गत कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कार्पोरेशन को दी जाने वाली बिजली की सप्लाई पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा 1-1-1970 को अर्थात् दामोदर घाटी निगम और कलकत्ता इलेट्रिक्क सप्लाई कार्पोरेशन के बीच हुए समझौते की समाप्ति के पश्चात, अपने हाथ में ली जानी है। पश्चिम बंगाल सरकार इस समय अपने उत्पादन में से घाटी के गन्दर लगभग 35.4 मैगावाट की मांग पूरा कर रहीं है। दामोदर घाटी निगम को मांगों के हस्तान्तरण के प्रश्न को पहले से ही राज्य सरकार के साथ उठाया गया है और इस पर विचार किया जा रहा है ।

बिहार सरकार अपने उत्पादन से घाटी के अन्दर उपभोक्ताओं को बिजली की सप्लाई नहीं कर रही है। दामोदर घाटी निगम एक स्वीकृत प्रावस्था भाजित कार्यक्रम के आधार पर घाटी से बाहर बिहार में मार्च 1966 से बिजली की सप्लाई को कम करना आरम्भ

कर देगा। इस समय दामोदर घाटी निगम बिहार में बाहर की लगभग 200 मैगावाट की मांगों को पूरा कर रहा है। इस के प्रति दामोदर घाटी निगम जून, 1968 तक, जिस तिथि तक प्रावस्था भाजित कार्यक्रम तैयार किया गया है, केवल 99 मैगावाट सप्लाई कर रहा होगा।

जीवन बीमा निगम द्वारा अर्जित लाभ

2711. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम ने 1964–65 में कुल कितना लाभ अर्जित किया;

(ख) इसका वितरण किस प्रकार किया जायेगा; और

(ग) यह लाभ गत वर्ष के लाभ से अधिक है या कम?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 1 अप्रैल, 1963 से 31 मार्च, 1965 तक की 2 वर्ष की अवधि के लिए, 31 मार्च, 1965 को मूल्यांकन से जाहिर हुए लाभ की रकम 62,90,32,455 रुपये थी।

(ख)

	1-4-1963 से 31-3-1965 तक की अवधि
1. अदा किये गये अंतरिय बोनसों की रकम . .	87,11,775
2. लाभ में भाग लेने वाले पालिसीदारों में वितरित रकम .	58,93,04,646
3. केन्द्रीय सरकार के लिये निर्धारित रकम .	3,10,16,034
	62,90,32,455

(ग) 1 जनवरी, 1962 से 31 मार्च, 1963 तक की अवधि के लिये 31 मार्च 1965 को मूल्यांकन से जाहिर हुए लाभ की रकम 26,70,72,897 थी।

पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास

2712. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **योजना** मंत्री 18 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 874 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटेल समिति की सिफारिशों के अनुसरण में पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर और देवरिया जिलों के विकास कार्यों में अब तक की प्रगति के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया है;

(ख) इस कार्य पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि विकास की गति सन्तोषजनक नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) 1964-65 में योजना में स्वीकृत व्यय-व्यवस्था 10·67 करोड़ रुपये थी और सम्भावित व्यय 10·90 करोड़ रुपये बताया गया है। 1965-66 के लिये सम्भावित व्यय-व्यवस्था के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) विकास के कतिपय क्षेत्रों में प्रगति संतोषप्रद है, जब कि अन्य क्षेत्रों में कमी हुई है।

(घ) विशेष कार्यक्रम के कार्यान्वियन के प्रथम वर्ष में कतिपय प्रक्रियासम्बन्धी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कुछ मुख्य उत्पादक तत्वों और सामग्री यानी उर्वरक, अलोहीय धातुओं, सीमेंट इत्यादि की कमी के कारण भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

मैसूर की वन तथा खनिज सम्पत्ति

2714. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **योजना** मंत्री मैसूर की वन तथा खनिज सम्पत्ति के बारे में 11 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 406 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों के दल ने सरकार को इस बीच अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सलाल जल-विद्युत् परियोजना

2715. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बाल्मीकी :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री 18 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 882 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने सलाल जल-विद्युत् परियोजनाओं का अपना जांच-कार्य समाप्त कर लिया है और अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं। जम्मू तथा कश्मीर सरकार अब भी परियोजना का अनुसन्धान कर रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश की सिंचाई और विद्युत् सम्बन्धी क्षमता

2716. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965–66 के दौरान राज्य के सिंचाई और बिजली संबंधी क्षमता के विकास के लिये अतिरिक्त सहायता देने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किये गये अनुरोध पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) नवम्बर, 1965 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 1965-66 के दौरान अपने बिजली कार्यक्रम पर धन लगाने के लिये 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त ऋण सहायता के लिये प्रार्थना की थी। यह राशि चालू वर्ष की राज्य योजना में बिजली के लिये स्वीकृत नियतम से अधिक थी। समस्त संसाधनों की सीमितता तथा अन्य प्रबल व तात्कालिक आवश्यकताओं से सरकार की बजट सम्बन्धी बिकट स्थिति के कारण भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस प्रार्थना को मानना संभव न समझा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि के लिये पम्पिग सैटों को उर्जित करने हेतु 1965-66 के दौरान 5.25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिये भी कहा था। इस के प्रति 2.25 करोड़ रुपये स्वीकार किये गये।

मोनीभद्रा बांध परियोजना

2717. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री 11 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 412 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार से इस बीच मोनीभद्रा बांध परियोजना के बारे में प्रतिवेदन मिल गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मकान बन्धक (मोरगेज) निगम

2718. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री घुलेश्वर मीना :**

क्या **वित्त** मंत्री 18 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 897 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मकान बन्धक निगम स्थापित करने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : इस विषय में अभी विचार किया जा रहा है।

Business secured by L.I.C. in Rajasthan

2719. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount of business by the Life Insurance Corporation secured so far in each district of Rajasthan;

(b) the district in which the maximum business was secured;

(c) the districts which have so far been covered by the House Building Loan Scheme of the Life Insurance Corporation ; and

(d) the basis and criterion for granting the house building and industrial loans?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) to (d): The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as available.

कृषि कार्यक्रम

2720. **श्री किन्दर लाल :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने कृषि कार्यक्रमों की योजना तैयार करने तथा विस्तार करने के मामले में अत्याधिक असंतुलन बताया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चक्षु शिबिर

2721. श्री किन्दर लाल :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोतियाबिंद के रोगियों की नयन-ज्योति को पुनः प्राप्त कराने के लिय रायल कामनवेल्थ सोसायटी फॉर दि ब्लाइन्ड के तत्वावधान में भारत में चक्षु शिबिर स्थापित किये जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो कब और इस योजना पर कितना खर्च आयेगा; और

(ग) इस योजना से कितने लोगों को लाभ पहुंचेगा?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

2722. श्री घुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा क गे कि :

(क) राजस्थान में इस समय कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे हैं ;

(ख) वर्ष 1966-67 में राजस्थान में ऐसे कितने केन्द्र खोलने का विचार किया गया है; और

(ग) उक्त अवधि में इस कार्य के लिये राजस्थान के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) राजस्थान में इस समय 219 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे हैं।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) राज्य सरकार ने अभी अपनी बजट व्यवस्था को अन्तिम रूप नहीं दिया है । तथापि प्राथमिकता स्वाथ्य केन्द्रों तथा उप-केन्द्रों आदि के लिये भवनों के निर्माणाथ स्वास्थ्य कार्यकारी वग ने 1966-67 में राज्य वार्षिक स्वास्थ्य योजना में सम्मिलित करने के लिय 1.74 लाख रुपये की पूंजी का सुझाव दिया है।

राजस्थान में आय-कर की बकाया राशि

2723. श्री घुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1966 के अन्त तक राजस्थान में आय-कर की कुल कितनी बकाया राशि वसूल की गई; और

(ख) उस राज्य में अभी कितनी राशि वसूल करनी बकाया है?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

परिवार नियोजन सम्बन्धी सामग्री

2754. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन संबंधी सामग्री के निर्माण चे मामले में हमारा देश आत्म-निर्भर हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) : रासायनिक एवं अन्य गर्भरोधकों के उत्पादन के मामले में, जिसके वार्षिक उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है, देश आत्मनिर्भर है:—

1	झाग वाली टिकिया	2 करोड़ 95 लाख टिकिया
2	जेली / क्रीम / पेस्ट	214 टन
3	गर्भाशयी-गर्भरोधक युक्ति (छल्ला)	6 लाख

रबर के गर्भरोधकों का उत्पादन अभी कम हो रहा है। इस समय देश में 3 करोड़ 74 लाख 40 हजार तक कण्डोमों का निर्माण किया जाता है। इस वीत्तीय वर्ष में 1 करोड़ कण्डोम आयात किये जा रहे हैं। गर्भरोधकों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

1 कतिपय फर्मों को रबर के गर्भरोधकों का उत्पादन करने के लिये लाइसेन्स दिये गये हैं। पूर्णरूप से विकसित हो जाने पर उनकी उत्पादन क्षमता 17 करोड़ 71 लाख 70 हजार हो जायगी। अभी तक उत्पादन का काम केवल एक फर्म ने शुरू किया है। लघू उत्पादन क्षेत्र के अधीन चार फर्मों ने फैक्टरियां खोल दी हैं और उनकी उत्पादन क्षमता 6 करोड़ की है किन्तु अभी उनके द्वारा तैयार किया गया माल सरकार द्वारा निर्धारित मानक से घटिया है। इन फर्मों से अपने माल की किस्म में सुधार करने के लिए अनुरोध किया गया है।

2 भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र में रबर के गर्भनिरोधक बनाने का निर्णय कर लिया है और इस उद्देश्य के लिए केरल में एक फैक्टरी स्थापित की जा रही है।

3 भारत सरकार मेडिकल स्टोर डिपो मद्रास में झाग वाली टिकिया तैयार कर रही है। मेडिकल स्टोर डिपो, बम्बई में भी गर्भनिरोधक क्रीम तैयार करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

उड़ीसा में वसूल की गई आय-कर की बकाया राशि

2725. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1966 के अन्त तक उड़ीसा में आय–कर की कुल कितनी बकाया राशि वसूल की गई; और

(ख) उस राज्य में अभी भी कितनी राशि बकाया है?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा संभव शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायगी।

दिल्ली में गन्दी बस्ती सफाई योजना के अन्तर्गत क्षेत्र

2726. श्री शिवचरण गुप्त :

श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गन्दी बस्ती सफाई योजना के अन्तर्गत कितनी बस्तियां तथा कटरे हैं;

(ख) 1961 तथा 31 मार्च, 1965 तक उनमें से कितने क्षेत्रों का सुधार किया गया था ;

(ग) उन पर कितना खर्च किया गया; और

(घ) भूस्वामियों और/अथवा किरायेदारों से कितनी राशि मिली है और कितनी राशि देना अभी शेष है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) 2445।

(ख) मार्च 1961 के अन्त तक 326 तथा अप्रैल 1961 और 31 मार्च 1965 के मध्य 1,317 और कटरों तथा बस्तियों का सुधार किया गया।

(ग) लगभग 36.74 लाख रुपये, इसमें निजी कटरों पर सुधार के 8.27 लाख रुपये शामिल हैं।

(घ) भूस्वामियों से 7.33 लाख रुपयों की राशि वसूल की जा चुकी है तथा 0.94 लाख रुपये बकाया हैं।

आवास तथा गन्दी बस्ती हटाये जाने सम्बन्धी योजनायें

2727. श्री कोल्ला वेंकेय्या : क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आवास तथा गन्दी बस्ती हटाये जाने सम्बन्धी योजनाओं के बारे में ठक्कर समिति के प्रतिवेदन पर कोई निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये हैं;

(ग) क्या इस योजना के लिये बराबरी के आधार पर राज्यों को दिये गये अनुदान तथा ऋण इस बारे में धीमी प्रगति को ध्यान में रखते हुए सीधे अनुदान तथा ऋणों में बदल दिये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों को कितना अनुदान तथा ऋण दिया गया है; और

(ङ) यदि भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां।

(ख) आवास मंत्रियों को लिखे गये पत्र की प्रतिलिपि, जिसमें निर्णयों की स्थूल रुप रेखा दी गयी है, सभा पटल पर रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रखी गई। दखिये सख्या एल० टी० 5885/66]**

(ग) से (ङ) : सहायता का पुनरीक्षित रूप 1 अप्रल 1966 से कार्यान्वित होगा तथा केवल 1966-67 से स्वीकार हुई परियोजनाओं पर ही लागू होगा, इस तथ्य को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा को सहायता

2728. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा को 1965-66 में कम सहायता दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने जितनी राशि देने का वायदा किया था उतनी राशि दे कर कठिनाई दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : उड़ीसा राज्य को 1965-66 के लिये जो सहायता देने का वचन दिया गया था, वह विभिन्न योजनाओं के अनुमित खर्च को देखते हुए, विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा दी जा रही है। सहायता में यदि कोई कमी हुई, तो उसका अनुमान वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद ही लगाया जा सकता है।

पंजाब में पंचायत समिति उद्योग

2729. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1965-66 में पंजाब में पंचायत समितियों को उद्योग स्थापित करने के लिये कोई वित्तीय सहायता दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं। पंजाब सरकार ने इस प्रकार की कोई भी योजना अपनी 1965-66 की सालाना योजना में शामिल नहीं की है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Malaria Eradication Programme

2730. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that nine independent teams had been sent to the various States in January, 1966 to assess the progress of the National Malaria Eradication Programme, and

(b) if so, the recommendations made in their report and action taken there on?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) and (b). Nine Independent Appraisal Teams were consituted by the Government of India in January, 1966 for carrying out independent appraisal of the National Malaria Eradication Programme for determining the ripeness or otherwise of the units for entry into consolidation/maintenance phases of the programme during 1966-67. These teams after visiting various States/Union Territory have recommended withdrawal of spray operations and entry into the consolidation phase of 24.41 unit areas and into the maintenance phase of 60.68 unit areas from 1st April, 1966. The State-wise recommendations of the Independent Appraisal Teams are placed on the table of the house. **[Placed in Library. See No. L.T.-5886/66].**

T.B. Survey

2731. Shri Onkar Lal Berwa :

Shri P. Kunhan :

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government with the help of the State Governments have carried out Tuberculosis survey; and

(b) if so, the outline thereof?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) and (b). No Tuberculosis survey has been carried out by the Central Government with the help of the State Governments, but a national sample survey of Tuberculosis was conducted by the Indian Council of Medical Research in the years 1955-58 in six zones in the country namely, Delhi, Patna, Calcutta, Madanapalle, Trivandrum and Hyderabad. The main findings of the survey were as follows :

(a) About 1.5 of the population is suffering from active pulmonary disease.

(b) Nearly 0.4% of the population is suffering from infectious pulmonary tuberculosis disease.

(c) The prevalance of the disease is almost to the same extent in the rural areas as in the urban areas.

(d) Prevalance rates were lower for females than for males especially in age group above 35 years.

(e) In general the prevalance rates showed a continuous increase with age.

(f) In the cities, the higher prevalance among persons in Kutcha houses as compared to those in pucca houses indicated the possible effect of economic and sanitary conditions.

(g) A large majority of the 'active' and 'probably active' cases had moderately advanced disease.

(h) Definite cavities were observed in 4-33% of the 'active' and 'probably active' cases, the percentage being generally smaller in the cities.

Local group populations (limited) have also been surveyed at Tumkur (Mysore) by the National Tuberculosis Institute Bangalore in 1960, Madnapalle and New Delhi (in police and Central Government employees) by the New Delhi T.B. Centre. The findings of these surveys are in general the same as found by the National Sample Survey during 1955-58.

Ear Diseases

2732. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are about, 1,85,80,000 deaf students in schools;

(b) if so, the steps contemplated by Government to check this disease;

(c) the number of those hospitals in India which only treat ear diseases; and

(d) whether there is any proposal to obtain the services of foreign specialists for the purpose?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) No reliable statistics are available of all the deaf students in schools. However, the number of students on the rolls of 68 schools for the deaf in India is about 4,000.

(b) Since a great deal of preventable deafness arises from inflamatory conditions of the ears, nose and throat in childhood, school health services are being extended under this scheme. On the detection of abnormalities, the cases are to be referred to appropriate hospitals for treatment.

(c) There are no hospitals in this country exclusively for treatment of the ear. Facilities for the treatment of ailments of the ear, nose and throat are provided in almost all major hospitals. About 800 beds are available in the various teaching hospitals for the treatment of diseases of the ear.

(d) There is no proposal before the Government to invite foreign specialists for the purpose.

कलकत्ता बिजली सप्लाई निगम

2733. श्री मुहम्मद इलियास :

डा० रानेन सेन :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार दामोदर घाटी निगम द्वारा की जाने वाली बिजली की सप्लाई से होने वाले वित्तीय लाभ की हकदार है;

(ख) क्या हाल ही में राज्य सरकार को दामोदर घाटी निगम से वास्तव में कोई लाभ पहुंचा है; और

(ग) यदि दामोदर घाटी निगम से बिजली लेने की कलकत्ता बिजली सप्लाई निगम की मांग को अस्वीकार कर दिया जाये तो क्या इस शर्त को हटाना पड़ेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । 1963-64 के वर्ष में दामोदर घाटी निगम को बिजली सप्लाई कार्य से 69 लाख रुपये का शुद्ध वितरणीय लाभ हुआ । इसमें से पश्चिम बंगाल सरकार को 23 लाख रुपये मिले । 1964-65 के वर्ष में वितरणीय लाभ में से राज्य सरकार को 29.5 लाख रुपये मिलने की सम्भावना है ।

(ग) जी, हां । यदि कलकत्ता बिजली सम्भरण निगम की बिजली मांग को दामोदर घाटी निगम से वापस ले लिया गया तो भागी सरकारों को वितरण होने वाले शुद्ध लाभ के कम हो जाने की सम्भावना है ।

जीवन बीमा निगम के लिये बिजली से चलने वाले संगणक (इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर्स)

2734. श्री स० मो० बनर्जी :

श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम के लिये बिजली से चलने वाले कुल कितने संगणक आयात किये गये हैं;

(ख) क्या बम्बई और कलकत्ता में इन संगणकों से काम आरम्भ हो गया है; और

(ग) उन की क्षमता कितनी है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) दो ।

(ख) बम्बई में कम्प्यटर नवम्बर 1965 में लगाया गया था तथा दूसरा कलकत्ता में 1966 के अन्त तक लग जाने की आशा है ।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायगी ।

Raid in Naya Bazar, Delhi

2735. Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a party headed by an Officer of the Central Investigation Bureau, raided the premises of a businessman in Naya Bazar, Delhi in January, 1965 and recovered gold and hundis worth crorers of rupees and bogus account books;

(b) whether it is also a fact that no action has been taken so far in connection with this evasion of Income-tax and if so, the reasons therefor; and

(c) in case any action has been taken, the details thereof?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) Yes, Sir, a raid did take place in Naya Bazar, Delhi and branches at Jaipur and Bhiwani. Cash amounting to Rs. 17,500 and guineas, gold, jewellery worth Rs. 2,17,820 were seized. Hundis and incriminating books of accounts were also seized.

(b) No, Sir. Investigations are in progress.

(c) Action for assessing the concealed income has been taken and proceedings are pending.

दिल्ली विद्युत् संभरण उपक्रम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का नोटिस

2736. श्री कोल्ला वेंकेय्या :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत् बोर्ड कर्मचारी संघ ने दिल्ली विद्युत् संभरण उपक्रम के प्रबन्धकों को आम हड़ताल के बारे में नोटिस दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों के बीच विवाद क्या है जिसके कारण हड़ताल का नोटिस दिया गया;

(ग) कर्मचारियों की मांगें क्या हैं ;

(घ) प्रबन्धकों ने इन मांगों के बारे में क्या कार्यवाही की है;

(ङ) इसमें कितने कर्मचारी शामिल हैं; और

(च) हड़ताल टालने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) संघ ने सड़ताल का नोटिस देने के लिये निम्नलिखित कारण बताएं हैं :—

(1) प्रबन्धकों और संघ के बीच विविध वार्तालापों में निम्नलिखित विषयों पर हुए समझौतों का पालन न किया जाना :—

(1) कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण,

(2) स्टाफ की कुछ श्रेणियों के वेतन-मानों का पुनरीक्षण, उन के मतानुसार दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों की परिपालना में नहीं किया गया है।

(3) सहायक लेखाकारों और अन्य अस्थायी कर्मचारियों का स्थायीकरण।

(4) कार्य प्रभारित कर्मचारियों का सुव्यवस्थापन।

(2) नियमों और अधिनियमों की प्रबन्धकों द्वारा अभिकथित उल्लंघना।

(3) कर्मकों के एक दल को प्रबन्धकों द्वारा उत्तेजित करना, एक दल की परवाह न करना, एक संघ को दूसरे संघ की कीमत पर सहायता करना, घूसखोर व्यक्तियों को बचाना, और नाजायज तरक्कियां देना।

(ग) मांगों की सूची सभा पटल पर रख दी गई है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5887/66**]।

(घ) समझौता अधिकारी की सहायता से मांगों पर कर्मकों के साथ बातचीत हो रही है।

(ङ) दिल्ली राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी संघ उत्पादन क्षेत्र में मान्य है किन्तु दिल्ली राज्य बिजली श्रमिक संघ जो, कि वितरण क्षेत्र में मान्य है, के सदस्य उत्पादन क्षेत्र में भी हैं। अतः दिल्ली राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी संघ द्वारा दिये गये हड़ताल के नोटिस में कितने श्रमिक हैं यह कहना कठिन है।

(च) दिल्ली प्रशासन के समझौता अधिकारी ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन समझौता कार्यवाही करने के लिये संघ और प्रबन्धकों के प्रतिनिधियों को बुलाया है। 1, 2 और 3 मार्च, 1966 को प्रारम्भिक विचार विमर्श किया गया था इसके पश्चात् 8 मार्च 1966 को यह समझौता वार्ता फिर की गई जब 1,2 और 3 मार्च, 1966 को हुए प्रारम्भिक विचार विमर्श का पुनरीक्षण किया गया और यह मान लिया गया कि दो उपसमितियां बनाई जाएं जिनमें प्रबन्धकों और संघ के प्रतिनिधि शामिल हों और यह समितियां मांगों पर उनका शीघ्र हल करने के लिये विचार करें। दोनों उप समितियों ने कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

मकान किराया भत्ता

2737. **श्री प्र० चं० बरुआ:** क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाता जिन्हें सरकारी मकान अलाट कर दिया जाता है और उनके वेतन से विशिष्ट दर पर मकान किराया लिया जाता है जो उनके वेतन का 25 प्रतिशत होता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें कुछ मकान किराया भत्ता देकर इस अधिक प्रतिशतता को कम करने के बारे में कोई प्रस्ताव है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जिन्हें वर्गीकृत शहरों में सरकारी वास नहीं दिया गया है व मकान किराया भत्ता के पात्र है। यह उन्हें ऐसे शहरों में रिहायशी वास के बढ़े हुए किराय के लिए मुआवज़े के रूप में दिया जाता है। जिन सरकारी कर्मचारियों को सरकारी वास आवंटित है उनसे मूल नियम 45ए की व्यवस्था के अंतर्गत किराया वसूल किया जाता है तथा ऐसी वसूली कर्मचारियों की परिलब्धियों के 10 प्रतिशत (150 रुपये प्रति माह से कम पाने वाल कर्मचारियों के मामले में $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत) से अधिक नहीं होती।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ऋणों का भुगतान

2738. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**

श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने जापान सरकार से ऋणों के भुगतान के लिये सहायता देने (रीफाइनेन्सिंग आफ डेट) का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस में कुल कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(ग) इस पर जापान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) से (ग) : सहायता देने वाले देशों से बाहरी सहायता के लिए बातचीत के वक्त सहायता के समय, रूप और परिमाण आदि कई विषयों पर लगातार विचार विनिमय करना पड़ाता है । सहायता देने वाले देशों में जापान एक प्रमुख देश है और सहायता के विषय में, स्वभावतः हम वहां की सरकार के साथ सम्पर्क बनाये रहते हैं; पर चूंकि सहायता के क्षेत्र और रूप के बारे में की गयी बातचीत अभी गोपनीय है, इसलिए यह बताना सार्वजनिक हित में नहीं होगा कि वर्तमान विचार-विनिमय किस ढंग का है और किस विषय पर हुआ है ।

चीरफाड़ प्रयोगशालायें

2739. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में पशुओं पर प्रयोग करने वाली लाइसेंस प्राप्त तथा बिना लाइसेंस वाली कितनी चीरफाड़ प्रयोगशालायें हैं;

(ख) इन प्रयोगशालाओं में वर्ष भर में विभिन्न नसल के कुल कितने पशु तथा कितने प्रकार के पक्षी प्रयोग के काम लाये जाते हैं;

(ग) कितने पशुओं / पक्षियों पर चेतना शून्य करने वाली औषधि के बिना प्रयोग किया गया; और

(घ) इन प्रयोगों के क्या परिणाम निकले हैं ।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायगी ।

मैसूर में गृह-निर्माण कार्यक्रम

2740. श्री लिंग रेड्डी : क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मैसूर राज्य में गृह-निर्माण कार्यक्रमों के लिये कितनी राशि दी गई;

(ख) विभिन्न गृह-निर्माण मदों के अंतर्गत अब तक कितनी राशि खर्च की गई ;

(ग) खर्च में कमी होने के क्या कारण हैं; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में मसूर में गृह-निर्माण कार्यक्रमों के लिये कितनी राशि अलग रख ली जायेगी ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5888/66]** ।

(ग) कुछ तो बिजली, सिंचाई तथा खेती आदि परियोजनाओं की तुलना में आवास योजनाओं को कम प्राथमिकता देने तथा कुछ एमरजैन्सी के कारण रक्षा तथा उससे संबंधित गतिविधियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण । उपयुक्त भूमि की समुचित मूल्य पर अनुपलब्धिता तथा सीमेन्ट, स्टील, और ईंटों आदि भवन सामग्री की कमी भी, खर्चे की कमी के कारण रहे हैं ।

(घ) इसका अभी निर्णय नहीं किया गया है ।

दिल्ली की इन्द्रपुरी कॉलोनी को जल संभरण

2741. **श्री रामपुरे :** क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की इंद्रपुरी कालोनी को जमुना का पानी नहीं दिया गया है यद्यपि इसे बने हुए 15 वर्ष बीत चुके हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इसके समीप के क्षेत्र में पानी जमा करने का एक टैंक बनाया गया है; और

(ग) क्या इस कालोनी को इस टैंक से पानी देने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : जी हां।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकार ने पानी जमा करने के इस टैंक को इन्द्रपुरी के लिए नहीं बल्कि अपनी बस्तियों के लिए बनाया है। अभी दिल्ली नगर निगम ने इस बस्ती को नहीं लिया है। निगम पर्याप्त पानी देने तथा मलनिष्कासन की व्यवस्था तभी कर सकता है जब प्राइवेट बस्तियां के संबंधित निर्धारित नीति के अधीन प्लाट-होल्डर 3.50 रुपये प्रतिवर्ग गज के हिसाब से विकास शुल्क देंगे। यह कार्य तभी किया जा सकेगा जबकि दो तिहाई प्लाट होल्डर ऐसे शुल्क दे देंगे।

गोल मार्केट क्षेत्र, नई दिल्ली के क्वार्टर

2742. **श्री जेधे :** क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से ऐसे सरकारी कर्मचारियों ने जिन्हें गोल मार्केट क्षेत्र में सरकारी क्वार्टर मिले हुए हैं अपने क्वार्टरों के आगे वाली बजरी की सड़कों पर बाड़ और कटीले तार लगा कर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अलाटमेंट नियमों के अन्तर्गत ऐसा किया जा सकता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी हां। कुछ स्थानों में।

(ख) जी नहीं।

(ग) अनधिकृत रूप से कब्जा हटाने के लिए संबंधित व्यक्तियों को एस० आर० 317—बी०—19 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये जायेंगे।

कचार में बारक मिट्टी बांध

2743. **श्री नि० रं० लास्कर :** क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री 16 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2301 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के कचार जिले में नारायणघर नामक स्थान पर बारक मिट्टी बांध के बारे में व्यवहार्यता अध्ययन समाप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) यदि नहीं, तो उपरोक्त योजना के बारे में अन्तिम निर्णय करने के सम्बन्ध में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) : अब तक इकट्ठे किये गये आंकड़ों के आधार पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने कचार जिले में नारायणघर नामक स्थान पर बरक के ऊपर एक बांध की तकनीकी संभाव्यता के बारे में रिपोर्ट के एक मसौदे को तैयार किया है। इस मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई एक विशेषज्ञ तकनीकी समिति प्राथमिक संभाव्यता रिपोर्ट का विस्तारपूर्वक अध्ययन कर रही है। इस परियोजना के वित्तीय पहुलओं की भी जांच हो रही है।

महाराष्ट्र में ग्रामीण औद्योगिक परियोजनायें

2744. **श्री द्वारका दास मंत्री :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में इस समय कितनी ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाएं चल रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1966 में केन्द्रीय सरकार का उस राज्य को इस कार्य के लिये कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) चार परियोजनाएं ।

(ख) 1965-66 के कार्यक्रम के लिए, महाराष्ट्र सरकार को केन्द्रीय सहायता के रूप में 20 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई । 1966-67 के आवंटन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

महाराष्ट्र में भारत सेवक समाज की शाखा

2745. **श्री द्वारका दास मंत्री : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965 तथा 1966 में अब तक भारत सेवक समाज की महाराष्ट्र शाखा को विभिन्न शिविर चलाने के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) योजना आयोग ने भारत सेवक समाज की महाराष्ट्र शाखा को, शिविर चलाने के लिए, 1965 तथा 1966 के दौरान कोई अनुदान नहीं दिया ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

महाराष्ट्र में चेचक और हैजे के रोगी

2746. **श्री द्वारका दास मंत्री** : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार महीनों में महाराष्ट्र में कितने व्यक्तियों को चेचक और हैजे का रोग हुआ; और

(ख) इस अवधि में महाराष्ट्र में उक्त रोगों के कारण कितने व्यक्तियों की मृत्यू हुई ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : गत चार महीनों (नवम्बर से दिसम्बर 1965 और जनवरी से फरवरी, 1966) में महाराष्ट्र म चेचक और हैजा की घटनाओं तथा इनके कारण हुई मौतों की संख्या इस प्रकार है :—

	घटनाए	मृत्यू
चेचक	1,626	273
हैजा	41	15

जीवन बीमा निगम द्वारा महाराष्ट्र में विनियोजन

2747. **श्री द्वारका दास मंत्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम ने महाराष्ट्र राज्य में औद्योगिक परियोजनाओं में 1964-65 और 1965-66 में अब तक कितनी राशि का विनियोजन किया है; और

(ख) क्या राज्य सरकार ने कोई अभ्यावदन दिया है कि जीवन बीमा निगम को ऐसी योजनाओं में विनियोजन करना चाहिए, जो इस समय वित्त की कमी के कारण रुकी हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचींद्र चौधरी) : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायगी ।

स्विटजरलैंड से ऋण

2748. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रा० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्विटजरलैंड ने भारत को पूंजीगत वस्तुओं तथा पुर्जों की खरीद के लिये 70,00,000 स्विस फ्रैंक ऋण के रूप में दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऋण की शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) आधा ऋण स्विटजरलैंड की सरकार देगी और आधा ऋण स्विटजरलैंड के बैंकों का एक सार्थ-संघ देगा । स्विटजरलैंड की सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण पर ब्याज की दर 3 प्रतिशत वार्षिक होगी तथा ऋण की वापसी समान रकम की 15 वर्षों में 10 अर्धवार्षिक किश्तों में करनी होगी और प्रथम दस वर्ष में कोई भुगतान नहीं करना होगा । बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण पर ब्याज की दर $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत होगी तथा ऋण की वापसी 10 वर्षों में समान रकम की 10 अर्धवार्षिक किश्तों में करनी होगी और प्रथम 5 वर्षों में कोई भुगतान नहीं करना होगा ।

जीवन बीमा निगम द्वारा दिल्ली के लिये ऋण

2749. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों को गृह-निर्माण के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण की अधिकतम राशि किस आधार पर निश्चित की जाती है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि इस का रहन रखी गई जीवन बीमा निगम की पालिसियों के मूल्य से सम्बन्ध रखता है, और यदि हां, तो कितना ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

स्वर्ण उत्पादन

2750. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम हरख यादव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्वर्ण उत्पादन बढ़ाने के लिए कई योजनाएं आरम्भ की जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और प्रत्येक योजना का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : इस समय देश में खानों से स्वर्ण निकालने का काम कोलार गोल्ड माइनिंग अंडरटेकिंग तथा हट्टी गोल्ड माइन्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है । तीसरी पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित स्वर्ण उत्पादन बढ़ाने

की योजनाओं के ब्यौरे का विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5889/66**] इन योजनाओं के अतिरिक्त कोलार गोल्ड माइनिंग अंडरटेकिंग में स्वर्ण उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में 230 लाख रुपए की अनुमानित लागत की 20 योजनाएं हैं, जिन्हें चौथी पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये योजना आयोग सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।

नदी घाटी परियोजना विवाद

2751. **श्री जसवन्त मेहता :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में कितने अन्तर्राज्यीय विवाद सरकार के पास अनिर्णीत पड़े हुए हैं; और

(ख) उनको निबटाने में क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5890/66**]

विनियोजन विवादों के निबटारे सम्बन्धी अभिसमय

2752. **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विनियोजन विवादों के निबटारे सम्बन्धी अभिसमय का अनुसमर्थन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जो विश्व बैंक ने मार्च, 65 में विभिन्न सदस्य देशों की सरकारों को भेजा था;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने भी इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिये हैं ;

(ग) कितने देशों ने अब तक इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(घ) इस अभिसमय की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : विश्व बैंक ने निवेश सम्बन्धी विवादों को तय करने के उद्देश्य से एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने के लिए एक अभिसमय (कनवेन्शन) तैयार किया है। इस अभिसमय को स्वीकार करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(ग) 9 फरवरी, 1966 को तेंतीस देश इस पर हस्ताक्षर कर चुके थे।

(घ) अभिसमय की मुख्य बातें सभा पटल पर रख दी गई हैं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-5891/66**]

महाराष्ट्र में सिंचाई और विद्युत योजनायें

2753. **श्री द्वारका दास मंत्री :**

श्री दे० शि० पाटिल :

श्री कांबले :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय महाराष्ट्र सरकार की कितनी तथा कितनी लागत की सिंचाई और विद्युत योजनायें स्वीकृती के लिये केन्द्रीय सरकार के पास पड़ी हैं और इस से कितना लाभ होने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : योजना में सम्मिलित परियोजनाओं, जिन के लिये स्वीकृती देनी बाकी रहती है, की अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०–5892/66**]

Control of Leprosy

2754. **Shri Kamble :**
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri D. S. Patil :

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of persons suffering from leprosy in the country at present;

(b) the number of States where arrangements have been made for their treatment by opening centres for these patients;

(c) whether the number of such patients has gone down consequent upon the opening of these centres; and

(d) the effect of the measures taken for its control during the last five years?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) The number of persons suffering from leprosy in the country is estimated to be between 20 to 25 lakhs.

(b) A statement indicating the Leprosy Control Units etc. functioning under the National Leprosy Control Programme in the different States is laid on the Table of the House. [**Placed in Library. See No. LT—5893/66**].

(c) Yes.

(d) The effect of the measures has been that a large number of cases have become symptom free and there has been marked and moderate improvement in other cases.

परियोजनाओं के लिये सहायता के सम्बन्ध में विश्व बैंक का प्रस्ताव

2755. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है की विश्व बैंक ने तेल वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस से उर्वरक तैयार करने की परियोजना के लिये सहायता देने का प्रस्ताव रखा है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : विश्व बैंक के अध्यक्ष ने 25 फरवरी 1966 को संयुक्त राष्ट्र संघ को आर्थिक और सामाजिक परिषद में अपने भाषण में इस संभावना का सार्वजनिक रूप से उल्लेख किया है। भाषण के उद्धरण की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी–5894/66**] । अनुमान है कि बैंक इस बारे में और घोषणा करेगा ।

समेकित चिकित्सा सम्बन्धी केन्द्रीय परिषद

2757. **श्रीमती अकम्मा देवी :** क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा संघ ने एक समेकित चिकित्सा संबंधी केन्द्रीय परिषद् की स्थापना के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चिकित्सा अनुसन्धान संस्थायें

2758. डॉ० मा० श्री अणे : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने देश में पांच स्नातकोत्तर चिकित्सा अनुसन्धान संस्थाएं खोलने का निर्णय किया है जिन में से एक संस्था महाराष्ट्र राज्य में खोली जायेगी ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान नागपुर के प्रख्यात नागरिकों की सभा में, डाक्टर, तथा विधायक भी सम्मिलित थे, स्वीकृत किये गये उस प्रस्ताव की ओर दिलाया गया है जिसमें महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा महाराष्ट्र के लिये स्वीकृत प्रस्तावित स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्था नागपुर में स्थापित की जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशिला नायर) : (क) स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं योजना समिति की सिफारिशों के अनुसार देश के विभिन्न क्षेत्रों में जिनमें एक महाराष्ट्र में भी है स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान खोलने का इरादा है। इन प्रस्तावित स्नातकोत्तर संस्थानों की सख्या और स्थिति के बारे में अभी भारत सरकार ने अन्तिम निर्णय नही लिया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Gold Smuggling

2759. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 5th March, 1966 gold was recovered from the plaster-covering on the feet of four passengers in Madras Mail;

(b) if so, the quantity of gold recovered; and

(c) the particulars of the persons concerned, the place they come from and the action taken against them?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) and (b). On 28th February, 1966, 198 pieces of gold each of 10 tolas bearing foreign markings, were sized by the Police Officers of Agripada Police Station from four persons opposite Nair Hospital, Bombay and not from passengers travelling in Madras Mail. The gold slabs were found tied round the thighs of these persons with adhesive tapes.

(c) The names of these persons are as follows :

(1) Shri Mohmed Noohu S/o Shamsuddin.

(2) Shri Sahul Hamid S/o Mohamed Meera.

(3) Shri M. S. Kedar Mohamed S/o Meerasaheb.

(4) Shri Mohamed Ismail S/o Magdum Meerasaheb.

All of them are from Kayalpatnam, Tirunelveli District, Madras State. They have been arrested, further investigations are in progress.

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
RE : POINT OF PRIVILEGE

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : महोदय, अन्य विषय लेने से पहले मैं आपका ध्यान अपने विशेषाधिकार प्रश्न की ओर दिलाता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्य को लिखा था कि वह इस विशेषाधिकार के प्रश्न न उठायें। मैंने उसकी अनुमति नहीं दी थी। माननीय सदस्य ने मुझे फिर लिखा कि इसकी अनुमति दी जाये। मैं समझता हूं कि इसमें विशेषाधिकार प्रश्न की कोई बात नहीं है। हो सकता है कि न्यूयार्क टाइम्स के सम्पादक ने भूल से माननीय सदस्य को 71 वर्ष का बताया हो।

अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

(एक) इज़राइल के राष्ट्रपति के साथ किये गये अशिष्ट व्यवहार का समाचार

श्री हरि विष्णु कामत : (होशंगाबाद) : मैं ध्यान दिलाने वाली सूचना को पढ़ने से पहले आप से अनुरोध करता हूं कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ मंत्री सभा में उपस्थित रहें। मैंने इस सम्बन्ध में उनसे बातचीत की थी। मंत्री महोदय को किसी कार्य से इस समय दूसरी सभा में जाना है। वह डेढ़ बजे उत्तर देने के लिये सहमत हैं। क्या यह विषय डेढ़ बजे लिया जा सकता है?

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। माननीय सदस्य अभी पढ़ें।

श्री हरि विष्णु कामत : यह विषय एक अन्य देश के राज्याध्यक्ष से सम्बन्धित है :—

मैं वैदेशिक-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोकमहत्व के निम्न लिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"हाल ही में इज़राइल के राष्ट्रपति के दिल्ली होकर काठमण्डू जाते समय उनके साथ किये गये अशिष्ट व्यवहार का समाचार।"

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : इज़राइल विदेश कार्यालय के एशियाई प्रभाग के निदेशक ने अप्रैल 1965 में पहले-पहल इज़राइल के राष्ट्रपति का भारत से होकर जाने का सवाल उठाया था। उन्होंने उस समय भारत सरकार को यह सूचना दी थी कि राष्ट्रपति भारत से गुज़रते हुए "बिल्कुल निजी हैसियत" से दिल्ली में रुकेंगे और "उन्हें राजकीय अतिथि के रूप में नहीं माना जाएगा और न उनके प्रति कोई विशेष ध्यान दिया जाएगा"। इसके बाद बंबई-स्थित इज़रारल के कौंसल ने भारत सरकार को उनकी यात्रा की सूचना दी जो कि तब सितंबर में होनी थी, और उन्होंने आवश्यक मार्ग संबंधी तथा रुकने की सुविधाओं के लिए अनुरोध किया। इज़राइल के राष्ट्रपति की काठमांडू की यात्रा करते समय पालम से होकर जाने और कलकत्ता में रुकने के लिये जो आचार विहित प्रबंध किए जाने थे, उसकी सूचना कौंसल को दे दी गई थी।

इसके बाद, इज़राइल की सरकार ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष के कारण यात्रा को स्थगित कर दिया।

इस वर्ष फरवरी में, इज़राइली कौंसल ने भारत सरकार को सूचना दी कि स्थगित यात्रा मार्च में होगी और समुचित सुविधाओं के लिए अनुरोध किया। उन्हें सूचित किया गया कि राज्याध्यक्षों के लिए वैसे ही आचारविहित तथा सुरक्षा प्रबंध पालम और कलकत्ता, दोनों जगहों पर किए जाएंगे, जैसे कि उन्हें सितंबर की स्थगित यात्रा के लिए पहले बताए गए थे।

5—43 L. S./66

[श्री दिनेश सिंह]

इज़राइली राष्ट्रपति को लानेवाला एयर फ्रांस का अनुसूचित विमान 14 तारीख को तड़के ही पालम पर 40 मिनट के लिए रुका और 40 मिनट बाद कलकत्ता के लिए रवाना हो गया। पालम पर अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों का कमरा राष्ट्रपति के लिए ही सुरक्षित रखा गया और नाश्ते के लिए प्रबंध भी कर दिए गए थे लेकिन राष्ट्रपति हवाई जहाज़ से नीचे नहीं उतरे।

कलकत्ता में जहां इज़राईल के राष्ट्रपति रात भर के लिए रुके थे, ग्रांड होटल के दरवाजे पर 11 अरब विद्यार्थियों के एक छोटे से दल ने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया और धारा 144 का उल्लंघन करने के अपराध में उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर दिया। राष्ट्रपति अथवा उनके दल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।

इज़राईल सरकार को अगस्त 1965 से इस बात की अच्छी तरह जानकारी थी कि नेपाल जाते हुए राष्ट्रपति के रुकने के लिए और मार्ग के लिए क्या प्रबन्ध किए जाएंगे। इसलिए, इज़राइली राष्ट्रपति के प्रति कोई अशिष्ट व्यवहार दिखाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार को पता है कि इज़राइल के राष्ट्रपति का विमान से न उतरना इस बात का सूचक है कि वह इस बात को जानते थे कि उनके साथ अशिष्ट व्यवहार किया जायेगा .....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य केवल तथ्य रखें।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि इजराइल के महावाणिज्यदूत ने विमान उतारने तथा दिल्ली अथवा कलकत्ता में रहने के लिये किसी होटल की व्यवस्था करने को कहा था और दिल्ली में ऐसी सुविधाएं देने से मना कर दिया और यदि हां तो क्या सरकार को पता है कि एक एशियाई लोकतंत्र मित्र देश के राज्याध्यक्ष के साथ, दुर्भाग्य से जिसके साथ हमारे राजनयिक सम्बन्ध नहीं है, इस प्रकार का व्यवहार करना इस बात का सूचक है कि हम अरब देशों से डरते है.....**(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। यह उचित नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह असंसदीय है ? इसमें क्या खराबी है और क्या आपत्तिजनक है ?

अध्यक्ष महोदय : जब हम मित्र देशों की चर्चा कर रहे हैं, तो हमें इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार को पता है एक मित्र देश के राज्याध्यक्ष को कतिपय सुविधाएं मिलने से मित्र देश अप्रसन्न है ?

श्री दिनेश सिंह : इज़राइल के राष्ट्रपति के साथ अशिष्ट व्यवहार करने का न तो कोई विचार था और न ही उनके साथ अशिष्ट व्यवहार किया गया। हमसे जो भी सुविधा मांगी गई हमने देने से इन्कार नहीं किया।

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : अब छात्रों के एक दल द्वारा इजराइल के राष्ट्रपति के विरुद्ध कलकत्ता में किये गये प्रदर्शन को सरकार ने रोकने का प्रयत्न क्यों नहीं किया ? क्या इज़राइल के प्रति हमारी राजनयिक उदासीनता इसका कारण है ?

श्री दिनेश सिंह : मैंने अपने वक्तव्य में बताया है कि हमने प्रदर्शन को रोका और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.....

श्री हेम बरुआ : प्रदर्शन की समाप्ति के पश्चात्, दण्ड संहिता की धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में उनके विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया । इज़राइल की संसद ने एक संकल्प पारित किया है जिस में यह कहा गया है कि इजराइल के राष्ट्रपति के प्रति अशिष्टता प्रदर्शित की गई है ।

श्री दिनेश सिंह : सरकार को किसी भी प्रस्तावित प्रदर्शन के बारे में जानकारी नहीं थी और ज्यों ही पुलिस को यह पता चला कि वे प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर लिया गया ।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : क्या सरकार यह महसूस करती है कि इस विशेष घटना तथा पिछले अवसरों पर इसी प्रकार का स्वतः हमारी नीतियों ने विदेशों में यह भावना उत्पन्न कर दी है कि भारत संयुक्त अरब गण राज्य तथा अरब लीग का पिछलग्गू है ?

श्री दिनेश सिंह : यह बात सरासर गलत है । किसी भी देश में इस प्रकार की कोई भी भावना व्याप्त नहीं है ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, this is quite clear that the demonstration or discourtsey shown to the President of Israel has, no doubt, created some misunderstanding in the minds of the people of Israel. May I know whether Government have given consideration to this fact that these misunderstandings and complaints are due to non-pursuance of a right policy in regard to recognition of and establishment of diplomatic relations with long existing states such as East Germany, Israel, North Korea and Formosa ?

Shri Dinesh Singh : No, Sir. It is not so. We adopt policy keeping in view our own national interest.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Government of India have accorded de-jure recognition to Israel but they have not established diplomatic relations with her. In the context of this, I want to know the legal aspect of the matter and the Government of India's stand in regard thereto; and whether citizens of our country or those of other countries can be prevented from seeing the President of a recognised country on the occasion of his arrival and whether Government of India prevented any reception of this kind ?

Shri Dinesh Singh : We did not prevent any reception. So far as recognition is concerned, we have accorded full recognition to Israel but diplomatic relations have not been established between the two countries.

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : भारत से गुजरते समय इजराइल के राष्ट्रपति के प्रति पालम तथा कलकत्ता में क्या शिष्टता प्रदर्शित की गई ?

श्री दिनेश सिंह : उनके प्रति बरती गई शिष्टताओं का पूरा ब्यौरा मैं पहले ही दे चुका हूं ।

श्री हनुमन्तैया (बंगलौर नगर) : क्या मंत्री महोदय को यह पता है कि इज़राइल के राष्ट्रपति के प्रति यथोचित शिष्टता बरती जाने के बावजूद भी, समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार के अनुसार, इज़राइल के मंत्रिमंडल ने कल इस बात पर खेद व आश्चर्य व्यक्त किया है कि पिछले सप्ताह जब इज़राइल के राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान पालम पर रुके तो भारत सरकार ने उनके प्रति यथोचित सम्मान प्रदर्शित नहीं किया ?

श्री दिनेश सिंह : मैंने भी प्रकाशित समाचार पढ़े हैं । किन्तु जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में बताया है, इज़राइल के राष्ट्रपति को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में उन्हें भली भांति जानकारी थी और अब उनका यह कहना उचित नहीं है कि उनके राष्ट्रपति के लिय शिष्टता नहीं बरती गई ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार बरती गई शिष्टता को यथोचित समझती है, क्योंकि इज़राइल के राज्याध्यक्ष के प्रति किसी प्रकार की अशिष्टता प्रदर्शित न करने के बावजूद भी वहां के लोगों में कुछ गलतफहमी जरुर है ? अथवा क्या सरकार का विचार उनके समक्ष पत्रव्यवहार के माध्यम से अपना दृष्टिकोण करने का है ? सदस्य गण केवल यह जानना चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है।

श्री दिनेश सिंह : इस मामले पर सरकार ने इज़राइल के वाणिज्य दूत के साथ बातचीत की है। उन्हें स्थिति के बार में जानकारी है।

श्री हरि विष्णु कामत : मंत्री महोदय ने अभी यह बताया कि इस सम्बन्ध में इजराइल के वाणिज्य दूत से उनकी बातचीत हो गई है। उन्होंने इस सम्बन्ध में बातचीत कब की, इस घटना से पहले अथवा उसके बाद में ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि इज़राइल के वाणिज्य दूत को इस सम्बन्ध में सूचित कर दिया गया है।

श्री हनुमन्तैया : मेरे द्वारा पूछे गये प्रश्न का सन्तोषजनक उतर नहीं दिया गया है। यह मामला काफी गंभीर है, इजराइल-मंत्रिमंडल ने एक संकल्प पारित किया है। मंत्री महोदय स्थिति की गंभीरता से उत्पन्न संभाव्य परिणाम के बारे में भली भांति अनुमान नहीं लगा पाये हैं। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं।

श्री दिनेश सिंह : इज़राइल-मंत्रिमंडल द्वारा पारित विषय-वस्तु के बारे में सरकार को कोई जानकारी नही है। यदि उन्हें हमसे किसी प्रकार की शिकायत है, तो वे भारत स्थित अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कह सकते हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जब इजराइल मंत्रिमंडल ने एक संकल्प पारित किया है, तो क्या-वैदेशिक कार्य मंत्रालय की यह जिम्मेदारी नही है कि वह इस सम्बन्ध में जानकारी रखे ?

श्री जी० भ० कृपलानी (अमरोहा) : इज़राइल एक ऐसा देश है जिससे कृषि के सम्बन्ध में हमें काफी जानकारी प्राप्त हो सकती है। उन्होंने अपने यहां के मरुस्थल को थोड़े से समय में हरी-भरी तथा उपजाऊ भूमि के रूप में बदल दिया है। इसलिए क्या सरकार उनके प्रति सामान्य शिष्टता बरतना भी आवश्यक महसूस नही करती है; क्या कोई मंत्री उनका स्वागत करने नहीं जा सकता था ? क्या सरकार यह समझती है कि ऐसा किये जाने पर उसकी प्रतिष्ठा को धक्का लग जाता ?

अध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय का नाम हस्ताक्षर कर्ताओं में नहीं है, अतः मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता।

(दो) तथाकथित नागा संघीय सरकार द्वारा 'गणंतन्त्र दिवस' मनाने का समाचार

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : मैं वैदेशिक कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वह उस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"तथाकथित नागा संघीय सरकार द्वारा 22 मार्च, 1966 को कोहिमा के आस-पास अपना 'गणतंत्र दिवस' मनाये जाने के समाचार जिसकी ओर उनका ध्यान 23 मार्च, 1966 को दिलाया गया था।"

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : सरकार को इस के संकेत मिले थे कि छिपे नागा कोहिमा नगर में, अपना तथा कथित 'गणराज्य दिवस' मनाने की योजना बना रहे हैं और इस प्रयोजन के लिए उनका वहां पर अपने सशस्त्र व्यक्तियों को लाने का विचार था।

राज्य सरकार ने शान्ति मिशन को और उसके माध्यम से छिपे नेताओं को सूचित कर दिया कि कोई सैनिक प्रदर्शन नहीं होने चाहिए जिनसे समझौते की भावना दूषित हो जाये।

प्राप्त समाचारों से मालूम हुआ है कि छिपे नागाओं ने कोहिमा नगर से तीन मील दूर यह दिवस मनाया। वहां सार्वजनिक बैठक हुई तथा संगीत और नृत्य किये गये। उस उत्सव में श्री स्कॉट, कुछ छिपे नेता और अन्य लोग शामिल हुए।

कुछ छिपे हुए सशस्त्र नागा भी वहां उपस्थित थे परन्तु कोई सैनिक परेड नहीं की गई। हिंसा की किसी घटना की सूचना नहीं मिली।

श्री हेम बरुआ : तथाकथित नागालैंड फेडरल सरकार ने विरुद्ध खुले आम क्रान्ति की है और तथाकथित उस सरकार के अध्यक्ष ने उस अवसर पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराया और इस उत्सव में शान्ति मिशन के सदस्य भी स्काट तथा ऑबजर्वर टीम के सदस्य मरजेरी साइक्स ने भाग लिया। इस संदर्भ में क्या सरकार इसे तथाकथित युद्ध-विराम समझौते के उल्लंघन में खुले-आम एक क्रान्ति समझती है और क्या सरकार यह नहीं समझती कि नागा विद्रोहियों के साथ काफी लम्बे अरसे से चल रही शान्ति वार्ता सारहीन तथा व्यर्थ है?

श्री दिनेश सिंह : हम इस कार्यवाही को क्रान्ति के रुप में नहीं मानते... (**व्यवधान**)

श्री त्यागी (देहरादून) : मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। इसका अभिप्राय क्या है? हम पार्टी की ओर से ऐसी बात कहने की अनुमति नहीं दे सकते। हमारी देशभक्ति की भावना पर यह एक कलंक है।

श्री हरि विष्णु कामत : इस का उत्तर किसी अन्य अधिक सक्षम व्यक्ति को देना चाहिए।

Shri Hukumchand Kachhvaiya (Dewas) : The Hon. Minister is abetting ribellion and he should apologize for his words .....(**interrputions**)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति, क्या सदस्यगण मंत्री महोदय को उत्तर नहीं देने देंगे?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : छिपे नागाओं ने इस सम्बन्ध में अनुमति मांगी थी और मेरे विचार में राज्यपाल, श्री विष्णु सहाय ने उन्हें अनुमति दे दी थी। हम राज्यपाल के साथ सम्पर्क बनाये हुए हैं। किन्तु मुझे इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं है।

श्री त्यागी : हम राज्यपाल के विरुद्ध महाभियोग चलाने की मांग करते हैं..... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। आज 4 बजे वैदेशिक कार्य मंत्री तथ्यों की पूरी जानकारी करके इस सम्बन्ध में उत्तर देंगे। तब तक के लिए इस विषय को मैं स्थगित करता हूं।

श्री हरि विष्णु कामत : यदि प्रधान मंत्री अत्यधिक व्यस्त हों, तो राज्य मंत्री, श्री दिनेश सिंह नहीं, अपितु वैदेशिक-कार्य मंत्री इस सम्बन्ध में उत्तर दें। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगली कार्यवाही आरम्भ करते हैं।

विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGE

लोक-सभा में कही गयी कुछ बातों को गलत रूप से प्रकाशित करने के बारें में 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के सह सम्पादक द्वारा क्षमा याचना

अध्यक्ष महोदय : इस सभा को विदित है कि 18 मार्च, 1966 को श्री मौर्य ने सभा में विशेषाधिकार का एक प्रश्न उठाया था जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि 17 मार्च, 1966 को उनके द्वारा सभा में कही गई कुछ बातों को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' (सायंकालीन समाचार) ने गलत रूप में प्रकाशित किया है।

मुझे सभा को अब यह सूचित करना है कि 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के सह-सम्पादक ने दिनांक 22 मार्च, 1966 के अपने उत्तर में बिना शर्त खेद व्यक्त किया है और कहा है कि समाचार-पत्र को यह सूचना 'यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया' सामान्य संचार सेवा के रूप में प्राप्त हुई थी और उसे सद्भावनापूर्वक प्रकाशित किया गया था। यह अभिप्राय कदापि नहीं था कि श्री मौर्य के नाम से ऐसी बातें प्रकाशित की जो उन्होंने नहीं कहीं अथवा जो उनका आशय नहीं था।

मैं समझता हूं कि व्यक्त किया गया यह खद पर्याप्त है और इस मामले को समाप्त कर दिया जाये।

व्यवस्था के प्रश्न के बारे में
RE : POINT OF ORDER

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Sir, on a point of order. I tried on several occasions to raise a question under rule 376 relating to business of the House on the 17th March, the Prime Minister made two wrong statements in the House. Firstly, she said that the position of the Prime Minister should be regarded as something special so far as traffic regulations were concerned. But nowhere the constitution or Rules of the House envisage such a position for the Prime Minister.

Secondly, the Prime Minister said that in most countries, there were special traffic regulations etc. which was also not a fact. The Prime Minister must withdraw what she had said.

Mr. Speaker : There is no point of order involved in it. It was a question of Breach of Privilege the notice of which has been given by the hon. Member, Dr. Lohia. This matter cannot be brought by way of point of order under Rule 376. The other day he had raised this question in the House and I told him that I was in receipt of his letter and a reply would be sent to him after it was examined.

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda) : Sir, I would like to submit that the point raised by the hon. Member, Dr. Lohia does not constitute a Breach of Privilege.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : जब आप खड़े हैं तो प्रधान मंत्री उठकर बाहर चली गई हैं। यह बहुत बुरी, अनुचित बात है। क्या यह उनका विशेषाधिकार है ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): The walking out by the Prime Minister in this manner is an insult to you and the House.

Mr. Speaker : Hon. Members should resume their seats. Why five six members rise like this and go on speaking?

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : It is an insult to the House.

श्री हेम बरुआ : जब आप खड़े हैं तब प्रधान मंत्री उठकर बाहर चली गई हैं। क्या यह उनका विशेषाधिकार है ? यह आपका ही नहीं हमारा भी अपमान है।

Dr. Ram Manohar Lohia : Mr. Speaker, Sir, you should recall the Prime Minister. This House can not proceed like this.

Shri Rameshwaranand (Karnal) : The Prime Minister has insulted you, we are inviting your attention to it.

Mr. Speaker : It is true when the presiding officer is on his legs no member or minister should rise or go out. I really regret that inspite of the fact the Breach of Privilege was being discussed, that too concerning the Prime Minister, and I was also standing, the Prime Minister left the House. It was not proper on her part.

श्री हरि विष्णु कामत : उन्हें सदन से माफी मांगनी चाहिये।

Mr. Speaker : Dr. Lohia raised the point whether Prime Minister enjoys a privilege under the Constitution so as to hold up other in allowing him to pass. The hon. Members want me to give ruling in the matter. They also said that I should not grant him such a right. I want to make it clear to the hon. Members that it is not my job to interpret the Constitution and decide it he has such a right or not. They may have their own views on the subject. It is a matter for the court to decide. If Dr. feels that there has been a violation of the Constitution in its letter or spirit, he can seek a verdict in the court. I do not think that there has been any breach of privilege.

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : मेरा अपना विचार यह है कि वह देख नहीं सकी कि आप खड़े थे, लेकिन मैं सदन की भावनाओं के बारे में संदश भेज रहा हूँ। संभवत: वे आयेंगी और क्षमा याचना करेंगी।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

दामोदर घाटी निगम के बजट प्राक्कलन

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : मैं दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1966-67 के बजट प्राक्कलनों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी–5871/66]**

केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्यचालन के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : मैं केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्यचालन के बारे में वर्ष 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। **[पुतकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5872/66]**

बंगाल वित्त विक्री-कर अधिनियम 1941 के अन्तर्गत दिल्ली विक्रीकर (संशोधन) नियम, 1966

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र में लागू रूप में बंगाल वित्त (बिक्री-कर) अधिनियम, 1941 की धारा 26 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली बिक्री-कर (संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति, जो दिनांक 10 मार्च, 1966 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 3 (6)/65–फिन (ई) में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5873/66]**

[श्री ब० रा० भगत]

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) विकृतीकृत स्पिरिट (अभिनिश्चयन तथा निर्धारण करना) संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 26 फरवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 281 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) जी० एस० आर० 294 जो दिनांक 1 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(तीन) जी० एस० आर० 295 जो दिनांक 1 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(चार) जी० एस० आर० 296 जो दिनांक 1 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(पांच) जी० एस० आर० 320 जो दिनांक 5 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(छः) जी० एस० आर० 321 जो दिनांक 5 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(सात) सीमा-शुल्क बांडों में निर्माण (सामान्य) चौथा संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 5 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 322 में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) सीमा-शुल्क बांडों में निर्माण (सामान्य) तीसरा संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 5 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 323 में प्रकाशित हुए थे ।

(नौ) जी० एस० आर० 324 जो दिनांक 5 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी०—5874/66]**

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 30वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 5 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 313 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 31 वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 5 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 314 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 32वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 5 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 315 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 33वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 5 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 316 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 34वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 5 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 317 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 35वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 5 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 318 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 36वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 5 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 319 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०-5875/66]**

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

चौरानववां और पिचानवेवां प्रतिवेदन

श्री अ० चं० गुह : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) प्रतिरक्षा मंत्रालय (प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन)--प्रतिरक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद, के बारे में चौरानवेवां प्रतिवदन।

(2) प्रतिरक्षा मंत्रालय (प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन)--इलेक्ट्रानिक्स तथा राडार विकास संस्थान, बंगलौर, और प्रतिरक्षा इलेक्ट्रानिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद--के बारे में पिचानवेवां प्रतिवेदन।

हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में आग लगने की घटना के बारे में
RE. : FIRE INCIDENTS IN HEAVY ENGINEERING CORPORATION, RANCHI

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक दल के नेता अथवा उस दल के एक सदस्य को एक प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : जब पिछली बार मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिया था तो डा० नागराज राव के आचरण पर आपत्ति की गई थी और आपने यह सुझाव दिया था कि मंत्री महोदय को एक वक्तव्य दना चाहिये। अब उन्होंने वक्तव्य दिया है जो 5-6 पृष्ठ का है। चन्द प्रश्न रखकर इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती।

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं माफी मांगती हूँ और आपको यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती थी और मैंने नहीं देखा था कि आप खड़े थे। मुझे विश्वास है कि सभा भी इस बात को जानती है कि मैं जानबूझकर कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करूंगी।

अध्यक्ष महोदय : एक सुझाव दिया गया है कि चर्चा होनी चाहिये। मंत्री महोदय इस बारे में क्या कहना चाहते हैं ?

श्री संजीवय्या : मैं समझता हूँ कि यह अच्छा होगा यदि चर्चा हो।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर चर्चा होगी।

श्री हरि विष्णु कामत : यह चर्चा कब होगी ? अनुदानों की मांगें समाप्त होने पर ? मई में ?

Shri Madhu Limaye : I had sent a letter to you, you know it better how difficult it is to have 2½ hours discussion on such matters. I want that time should be allotted within a day or two where we may put a few questions.

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे कि कब समय मिल सकता है। मैं वचन नहीं दे सकता।

न्यायधीश (जांच) विधेयक

JUDGES (ENQUIRY) BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाया जाना

श्री स० वा० कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि उच्चतम न्यायालय के या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अनुसन्धान तथा सिद्ध करने की ओर संसद् द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष समावेदन रखने की प्रक्रिया के विनियमनार्थ विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय को और आगे बढ़ाकर चालू अधिवेशन के अंतिम दिन तक कर दिया जाय।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उच्चतम न्यायालय के या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अनुसन्धान तथा सिद्ध करने की ओर संसद् द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष समावेदन रखने की प्रक्रिया के विनियमनार्थ विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय को और आगे बढ़ाकर चालू अधिवेशन के अन्तिम दिन तक कर दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। / *Motion was adopted*

अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1966-67
तथा
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), 1965-66—(जारी)

DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS) 1966-67
AND
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS), 1965-66—*Contd.*

Shri Lakhan Das (Shahjahanpur) : Wide disparity in the salary scales of the employees should be reduced particularly when we have a socialist Government in the country. The Railway coolies should be treated as employees of the Railways.

First class or air conditioned travel on the Railways should be done away with and instead Third class travel should be made more comfortable. This will result in more revenues to the railways because in the First class or air-conditioned coaches majority of the travellers travel on Government expense. Moreover, we

should not discriminate between our countrymen when we profess to follow socialist policies. The running of special bogies for high officials should also be done away with as it results in huge expenditure to the Government.

The number of ticket-less travellers has been on the increase on the railways. It is high time that this tendency is checked with a firm hand.

The Shahjahanpur Mailani line which was dismantled in the1914 war should be restored. Birampur halt station has been dismantled after the opening of Batlayya station on that route. Birampur halt station should be revived as the Batlayya station has now been dismantled. The Delhi-Allahabad passenger should stop at the Birampur halt station.

A railway line from Farrukhabad to Mailani or to Gola should be constructed for the convenience of the public and also for the movement of timber.

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : माननीय सदस्यों द्वारा बहुत से सुझाव दिये गये हैं और चूंकि उन सब पर अमल करने के लिये बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता होगी इसलिये सुझावों के महत्व को देखते हुए ही उनपर कार्यवाही की जायेगी। इसके लिये माननीय सदस्य मुझे क्षमा करेंगे।

जहां तक कटौती प्रस्तावों आदि का प्रश्न है, उन सब का यहां पर उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। उन सब का उत्तर एक विशेष पुस्तिका में दे दिया जायेगा जिसकी एक प्रति पुस्तकालय में रखी जाती है।

श्री त्रिवेदी ने कोटा तथा छोत्रगढ़ के बीच यातायात सम्बन्धी सर्वेक्षण किये जाने के बारे में सुझाव दिया है। ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य इन दोनों स्थानों के बीच एक वैकल्पिक मार्ग के पक्ष में हैं। परन्तु जब तक इस बारे में वे अपने विचार स्पष्ट रूप से नहीं बताएंगे तब तक इसका उत्तर देना संभव नहीं है। एक अन्य कटौती प्रस्ताव जिसका उत्तर दिया जा सकता है वह पश्चिम रेलवे पर ऊंचे किये गये पदों विशेष कर वाणिज्यिक क्लर्कों की बकाया राशि का भुगतान न किये जाने के बारे में है। ऐसे पदों के नियतन तथा उनके लिये चुनाव करने में कुछ समय लगता है। फिर भी ये हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि भविष्य में ऐसे आदेशों का पालन किया जाये और बकाया राशि का भुगतान इन आदेशों के प्राप्त होने की तारीख से तीन अथवा चार महीने के भीतर कर दिया जाये।

डा० चन्द्रभान सिंह ने कहा है कि परिवहन के विकास के लिये एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिये और यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में रेलवे लाइनें बहुत ही कम हैं और वहां पर लाइनें बनाई जानी चाहिये। प्रत्येक क्षेत्र में रेलवे लाइनें बनाई जाने से चाहे वे राजस्व की दृष्टि से लाभदायक हों अथवा नहीं रेलें घाटे में चली जायेंगी।

यह सही नहीं है कि देश में परिवहन साधनों के विकास के बारे में कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। पिछली पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान रेल परिवहन क्षमता में जो भी वृद्धि की गई है वह सम्बन्धित मंत्रालयों तथा योजना आयोग के परामर्श से की गई है। परिवहन नीति तथा समन्वय के प्रश्न के अध्ययन करने के लिये सरकार ने एक उच्च-शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की थी जिसका प्रतिवेदन केवल कुछ सप्ताह पहले ही इस सभा में पेश किया गया था। परिवहन तथा संचार सम्बन्धी सभी मामलों पर विचार करने के लिये मंत्रिमंडल की एक समिति भी विशेष रूप से नियुक्त की गई है ताकि ऐसी नीति अपनायी जा सके जिससे किसी के विकास के रास्ते में बाधा उत्पन्न न हो।

रेलवे की यह नीति है कि भांप से चलने वाले इंजनों के स्थान पर डीजल तथा बिजली से चलने वाले इंजन चालू किये जायें और हमने इस दिशा में काफी प्रगति की है। यदि डीजल इंजन उपलब्ध हो जायेंगे तो बड़ी लाइन पर आसाम मेल को डीजल से चलाये जाने के प्रश्न पर अवश्य ही विचार किया जायेगा। मीटर गेज लाइन पर आसाम मेल को डीजल से चलाने का प्रश्न विचाराधीन है।

[श्री स० का० पाटील]

श्री म० ला० द्विवेदी ने "स्लीपिंग कोच" में स्थानों के आरक्षण में भ्रष्टाचार का उल्लेख किया है। प्राप्त होने वाली शिकायतों की जांच करने के अलावा रेलवे बोर्ड की केन्द्रीय जांच संगठन तथा सतर्कता संगठन इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने के लिये जल्दी जल्दी जांच पड़ताल करते रहते हैं। जब कभी भी रेलवे कर्मचारी दोषी पाये जाते हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाती है।

डा० चन्द्रभान सिंह ने मध्य प्रदेश में नई रेल लाइनें बनाये जाने का सुझाव दिया है। दण्डकारण्य क्षेत्र के विकास के लिये, जिसमें मध्य प्रदेश का अधिकतर पिछड़ा क्षेत्र आ जाता है, बेलाडिला तथा कोट्टावलासा के बीच 450 किलोमीटर लम्बी बड़ी रेल लाइन का निर्माण पूरा होने वाला है। दण्डकारण्य क्षेत्र में दांतेवारा से दक्षिण में भद्राचलम और कोवूर तक और उत्तर में ढल्ली राजहरा तक और रायपुर-विजयनगरम लाइन पर लांजीगढ़ रोड से अम्बागुडा तक रेलवे लाइन बिछाने के लिये सवक्षण किया जा रहा है। खनिज तथा अन्य संसाधनों के आधार पर दण्डकारण्य क्षेत्र के समन्वित विकास के लिये ही यह सब किया जा रहा है।

डा० चन्द्रभान सिंह ने यह भी सुझाव दिया है कि तीसरी तथा चौथी श्रेणी में भर्ती के लिये स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। चौथी श्रेणी के कर्मचारी जोनल रेलों के डिवीजन अथवा जिला प्राधिकारियों द्वारा भर्ती किये जाते हैं और इससे स्थानीय लोग अवश्य ही फायदे में रहते हैं। रेलवे डिवीजनों के सामयिक श्रमिकों को जो स्थानीय लोग ही होते हैं नियमित चौथी श्रेणी में भर्ती के लिये प्राथमिकता दी जाती है।

तीसरी श्रेणी के पदों पर भर्ती रेलवे सेवा आयोगों के माध्यम से की जाती है जिसके बारे में विज्ञापन संबंधित क्षेत्रों में भी किया जाता है और इस प्रकार स्थानीय लोगों को भी समान अवसर प्रदान किये जाते हैं।

श्री बाल्मीकी ने कहा है कि मेहतरों को जो क्वार्टर दिये गये हैं वे संतोषजनक नहीं हैं और उनमें सुधार किया जाना चाहिये। ऐसी बात नहीं है। उन्हें जो क्वार्टर दिये जाते हैं वे असन्तोषजनक नहीं हैं और वास्तविकता यह है कि वे कुछ समय तक रहने के पश्चात् स्वयं उन्हें असन्तोषजनक बना देते हैं। इसका कारण उनमें शिक्षा तथा स्वच्छता का अभाव है। इनके प्रसार से स्थिति में सुधार हो जायेगा। पहले के नमूनों के अनुसार बनाए गये क्वार्टरों में धीरे धीरे सुधार किया जा रहा है ताकि वे वर्तमान नमूनों के अनुरूप हो सकें।

जहां तक आवास का संबंध है रेलवे मंत्रालय अन्य मत्रालयों की तुलना में अधिक अच्छा कार्य कर रहा है।

श्री ओंकार लाल बेरवा ने कहा है कि नैमित्तिक श्रमिकों को स्थायी बनाते समय डाक्टरी परीक्षा नहीं की जानी चाहिये। परन्तु लोक सुरक्षा की दृष्टि से सभी श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों की डाक्टरी परीक्षा की जाती है। इसलिये उनके इस सुझाव को स्वीकार करना संभव नहीं है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री दी० चं० शर्मा ने कहा है कि लुधियाना से चन्डीगढ़ तक रेलवे लाइन बनाने के बारे में सर्वेक्षण किया जाना चाहिये। इस बारे में पहले ही सर्वेक्षण किया जा चुका है और उससे पता लगा है कि ऐसी लाइन लाभकारी नहीं होगी।

बिलिमोरा वघई छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने तथा डांग वन से इमारती लकड़ी लाने के लिये उसे नासिक तक बढ़ाने तथा मगदाला पत्तन से सूरत तक रेलवे लाइन बनाने का प्रश्न विचाराधीन है और ऐसा किये जाने के पश्चात इसे उचित प्राथमिकता दी जायगी।

श्री काशीराम गुप्त ने सुझाव दिया है कि रिवाड़ी-खलीलपुर सैक्शन को दोहरा किया जाये। केवल गढी हरसरू और खलीलपुर के बीच की 31 किलोमीटर लम्बी लाइन इस समय सिंगल लाइन है। यातायात की दृष्टि से इस समय इसे दोहरा करने की आवश्यकता नहीं है और यातायात बढ़ने पर इसे दोहरा कर दिया जायेगा।

श्री शंकर आल्वा ने कहा है कि चूंकि मैसूर राज्य में शरावती परियोजना से काफी मात्रा में तथा सस्ती बिजली उपलब्ध हो सकती है इसलिये वहां पर बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण का काम शुरू किया जाना चाहिये। परन्तु ऐसा अन्य महत्वपूर्ण बातों जैसे यातायात की भीड़, साधनों की उपलब्धता और देश में इंजनों आदि की उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। जब भी ऐसा करना उचित समझा जायेगा हम अवश्य ही वहां की सस्ती बिजली का लाभ उठाएंगे। उनका अन्य सुझाव बंगलौर सिटी स्टेशन को आधुनिक बनाए जाने के बारे में है। इस स्टेशन को आधुनिक बनाने के बारे में निश्चय किया जा चुका है और ऐसा उस शहर की सुन्दरता तथा गौरव को ध्यान में रख कर किया जायेगा।

रेलवे फाटकों पर ऊपरी पुल बनाने के बारे में रेलवे की एक निश्चित नीति है। यदि राज्य सरकारें सहायक सड़कें आदि बनाने के लिये तैयार हो जाती हैं तो रेलवे को पुल बनाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। इस प्रयोजन मात्र के लिये ही केन्द्रीय निधि से राज्य निधियों में लगभग दो करोड़ रुपये दिये गये हैं ताकि राज्य सरकारें अपने हिस्से का खर्चा दे सकें।

यात्री सुविधाओं के लिये 3 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 4 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दी गई है। भविष्य में इसमें वृद्धि होती रहेगी। परन्तु यह वृद्धि धीरे धीरे की जायेगी। क्योंकि अभी लगभग 7000 स्टेशन ऐसे हैं जिनपर न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था की जानी है।

श्री प्र० के० देव ने कहा है कि दिल्ली से रायपुर जाने वाला सीधा डिब्बा कटनी की बजाय नागपुर से होकर जाना चाहिये। परन्तु इससे मार्ग की लम्बाई अधिक हो जायेगी और यात्रियों को अधिक किराया देना पड़ेगा। इसलिये इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बिलासपुर तथा दिल्ली के बीच सीधे यातायात का वर्तमान बोझ इतना नहीं है कि इनके बीच एक तेज रफ्तार गाड़ी चालू की जा सके। इसी प्रकार वाल्टेयर तथा दिल्ली के बीच यातायात इतना कम है कि इनके बीच सीधी गाड़ी चलाने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली स्टेशन पर सीमित टर्मिनल सुविधाओं तथा इस मार्ग पर सीमित लाइन क्षमता की दृष्टि से नई गाड़ी चलाना संभव नहीं है। फिर भी पहली अप्रैल, 1966 से रायपुर/बिलासपुर तथा दिल्ली के बीच बरास्ता कटनी तथा बीना प्रथम तथा तीसरी श्रेणी का एक जुड़ा हुआ सीधा डिब्बा शुरू कर दिया जायेगा। कोटा-दिल्ली सैक्शन पर वातानूकलित डिब्बे की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इस सेवा को जारी रखना उचित है। इस लिये 1 अप्रैल, 1966 से यह कोटा तथा दिल्ली के बीच ही चला करेगा और एक सप्ताह में दो बार की बजाय तीन बार चला करेगा।

यह कहा गया है कि केरल में विशेषकर कोचीन पत्तन तथा कोयम्बटूर के बीच परिवहन साधन बहुत ही कम हैं। इस समय के यातायात की दृष्टि से वर्तमान परिवहन क्षमता पर्याप्त है। कोचीन क्षेत्र में तेल शोधक कारखाने तथा अन्य उद्योगों की स्थापना से भविष्य में उत्पन्न होने वाली यातायात के लिये लाइनों की क्षमता बनाने की कई योजनाओं पर कार्य हो रहा है। इरोड तथा कोचीन पत्तन के बीच सीधी डीजल मालगाड़ियां चलाये जाने से भी परिवहन क्षमता में 15 से 20 प्रतिशत तक वृद्धि हो जायेगी। फिर भी केरल की समूची जनता की सुविधा के लिये यातायात के मामले में केरल को विशेष महत्व दिया जायेगा।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी ने दिल्ली और जोधपुर के बीच एक अतिरिक्त रेल गाड़ी चालू करने की आवश्यकता बताई है। चूंकि 1 अक्तूबर, 1965 से दिल्ली और बिकानेर के बीच एक अतिरिक्त

[श्री स० का० पाटील]

रेलगाड़ी चालू की गई है, इसलिये दिल्ली और जोधपुर के बीच एक अतिरिक्त रेलगाड़ी चालू करना अभी ठीक नहीं है क्योंकि दिल्ली-खाड़ी सेक्शन के एकल (सिंगल) लाइन के भाग पर फालतू लाइन क्षमता नहीं है ।

श्री काशीराम गुप्त ने कहा है कि सवारी गाड़ियों के लिए तैयार किये गये नये डिब्बों में शौचालयों की संख्या घटा दी गई है । किन्तु प्रत्येक दर्जे के हर डिब्बे में यात्रियों की निर्धारित संख्या के आधार पर ये शौचालय बनाये जाते हैं और पिछल 15 वर्षों से इस आधार (स्केल) में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । किन्तु यदि शौचालयों की व्यवस्था सचमुच पर्याप्त नहीं है और सावधानीपूर्वक जांच किये जाने के पश्चात् इस शिकायत की पुष्टि हो जाती है तो भविष्य में बनने वाले नये सवारी डिब्बों में शौचालयों की अधिक व्यवस्था कर दी जायगी ।

श्री व० बा० गांधी जी ने कहा है कि औद्योगिक दुर्घटनाएं बढ गई हैं । किन्तु विभिन्न आंकड़ों के आधार पर स्पष्ट है कि औद्योगिक दुर्घनाओं में कोई वृद्धि नहीं हुई है । ..... इस समय सुरक्षा समितियां तथा दुर्घटना निवारण समितियां वर्कशापों में वर्क्स मैनेजरों की निर्देशन में काम करती हैं । ये समितियां दुर्घटनाओं तथा उनके कारणों का पुनर्विलोकन करती हैं और ऐसे कारणों की पुनरावृत्ति रोकने के उपयुक्त उपाय करती हैं । रेलवे वर्कशापों में होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक पृथक संगठन स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया गया है किन्तु यह महसूस किया गया कि इस पर नियंत्रण रखने का सर्वाधिक प्रभावी उपाय यह होगा कि इन पर उन पदाधिकारियों तथा सुपरवाइजरों के माध्यम से नियंत्रण रखा जाये जिनका वर्कशाप कर्मचारियों से प्रतिदिन निकट सम्बन्ध बना रहता है और असुरक्षित तरीके तथा कार्यप्रणालियां समाप्त की जायें । चूंकि यह भी सच है कि दुर्घटनाएं अब धीरे धीरे काफी कम हो रही हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान संगठन से आशानुकूल लाभ मिल रहे हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा ने कहा है कि गवेषणा, डिजायन्स तथा मानक संगठन में कर्मचारियों की संख्या रेलवे की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है । उन्होंने गवेषणा पर और अधिक धन खर्च करने तथा गवेषणा स्कंध को डिजायन्स तथा मानक स्कन्ध से अलग रखने का भी सुझाव दिया है । रेलवे में गवेषणा के महत्व को हम भलीभांती समझते हैं और इसके क्षेत्र को व्यापक बनाने के लिए सरकार ने कार्यवाही की है । वर्ष 1956-57 में इस संगठन पर 30 लाख रुपये खर्च आया था जो धीरे धीरे बढकर अब 1 करोड़ 30 लाख रुपये तक चला गया है । इस संगठन के तकनीकी तथा अन्य कर्मचारियों की सख्या भी धीरे धीरे बढती चली जा रही है और यह संगठन वास्तव में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है ।

खड़गपुर स्थित गैर-सरकारी स्कूल की इमारत के लिए रेलवे से भूमि देने के लिए कहा गया है । किन्तु रेलवे के पास वहां इस प्रयोजन के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है । भूमि उपलब्ध होने पर रेलवे उसे देने के लिए तैयार रहेगी ।

श्री ओंकार लाल बेरवा ने यह आरोप लगाये हैं कि अनुसूचित जाति के लोगों के साथ बनावटी बहानों के आधार पर मामूली बातों पर भेद-भाव किया जाता है । उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें छुट्टी तथा पास देने के मामले में भी भदभाव किया जाता है । इस प्रकार के सामान्य रूप से लगाये गये आरोपों से निपटना तो मरे लिए बहुत मुश्किल है किन्तु मैं उन्हें यह आश्वासन दे सकता हूँ कि यदि उन्हें किन्हीं विशिष्ट मामलों के बारे में जानकारी हो, और उन्हें प्रशासन के ध्यान में लाया जाये, तो उन पर विचार किया जायेगा और आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । जहां तक प ों पर नियुक्ति का प्रश्न है, यह आवश्यक है कि योग्य व्यक्ति उपलब्ध किये जायें । इस बारे में यदि कोई वास्तविक शिकायत हो, तो निश्चय ही उस पर विचार किया जायेगा ।

जहां तक भ्रष्टाचार के प्रश्न का सम्बन्ध है, हम इससे निपटने के लिए बहुत बेचैन हैं और इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रहे हैं। केवल एक सतर्कता संगठन बना देने मात्र से ही भ्रष्टाचार की बुराई स्वतः समाप्त नहीं हो जाती। इसके जड़े काफी मजबूत हो गई हैं और फैल गई हैं अतः उनका समल विनाश करना आवश्यक है। इसके लिए हर जगह काफी प्रयत्न करने की आवश्यकता है जिसके लिए व्यक्तिगत रूप से स्वयं मैं और सामूहिक रूप से रेलवे मंत्रालय सदैव प्रयत्नशील हैं।

जहां तक भोजन व्यवस्था का सम्बन्ध है, हमने विभागीय भोजन व्यवस्था तथा गैर-सरकारी भोजन व्यवस्था के बीच जानबूझकर प्रतियोगिता रखी है और हम इस व्यवस्था को इसलिए समाप्त नहीं करना चाहते कि कहीं ऐसा न हो कि एक ही प्रणाली कायम हो जाये और हम उसमें कोई सुधार न कर सकें। यह जरूर सच है कि सभी रेलवेज में एक सी भोजन व्यवस्था नहीं है अतः हम उस पर अवश्य विचार करेंगे। खण्ड और राष्ट्रीय स्तर आदि पर भोजन व्यवस्था के लिए सलाहकार समितियां हैं। यदि कोई व्यावहारिक तथा उपयुक्त सुझाव दिया जाये, तो उसे कार्यरूप दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए। /
All the cut motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा रेलवे मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं। /*The following Demands in respect of Ministry of Railways were put and adopted.*

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	रेलवे बोर्ड	1,26,17,000
2	विविध व्यय	3,89,14,000
3	चालित और दूसरी लाइनों को भुगतान . .	49,65,000
4	संचालन-व्यय—प्रशासन . . .	58,22,22,000
5	संचालन-व्यय—मरम्मत और अनुरक्षण . .	1,87,01,26,000
6	संचालन-व्यय—परिचालन कर्मचारी . .	1,19,96,68,000
7	संचालन-व्यय—परिचालन (ईंधन) . .	1,16,62,63,000
8	संचालन-व्यय—कर्मचारी और ईंधन को छोड़कर परिचालन	34,30,54,000
9	संचालन-व्यय—विविध व्यय . . .	31,93,65,000
10	संचालन-व्यय—कर्मचारी हित . . .	21,07,40,000
11	संचालन-व्यय—मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग .	100,00,00,000
11क	संचालन-व्यय—पेंशन निधि में विनियोग . .	13,60,00,000
12	सामान्य राजस्व को लाभांश . . .	133,49,78,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
13	चालू लाइन निर्माण (राजस्व) . . .	12,00,38,000
14	नई लाइनों का निर्माण	49,08,51,000
15	चालू लाइन निर्माण—पूंजी, मूल्यह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि	523,72,77,000
16	पेंशन प्रभार—पेंशन-निधि . . .	3,60,80,000
18	विकास निधि में विनियोग . . .	22,18,87,000
20	राजस्व आरक्षित निधि से निकासी . .	2,39,35,000

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1965-66 के लिये रेलवें मंत्रालय की अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं / *The following Demands for Supplementary Grants in respect of Ministry of Railways for* 1965-66 *were put and adopted.*

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	रेलवे बोर्ड	2,74,000
4	संचालन-व्यय—प्रशासन . . .	3,31,01,000
5	संचालन-व्यय—मरम्मत और अनुरक्षण . .	11,03,24,000
6	संचालन-व्यय—परिचालन कर्मचारी . .	7,23,41,000
7	संचालन-व्यय—परिचालन (ईंधन) . .	5,81,44,000
8	संचालन-व्यय—कर्मचारी और ईंधन को छोड़कर .	2,30,91,000
9	संचालन-व्यय—विविध व्यय . . .	1,36,22,000
12	सामान्य राजस्व को भुगतान . . .	38,82,000
13	चालू लाइन निर्माण (राजस्व) . . .	30,97,000
14	नई लाइनों का निर्माण . . .	2,73,07,000
15	चालू लाइन निर्माण-कार्य—पूंजी अवक्षयण रक्षित निधि तथा विकास निधि	14,80,74,000

विनियोग (रेलवे) विधेयक, 1966
APPROPRIATION (RAILWAYS) BILL, 1966

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत की संचित निधि में से 1966-67 के वित्तीय वर्ष की रेलवे की सेवाओं के लिये कुछ राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत की संचित निधि में से 1966-67 के वित्तीय वर्ष की रेलवे की सेवाओं के लिये कुछ राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The motion was adopted.*

श्री स० का० पाटिल : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

विनियोग (रेलवे) संख्या 2 विधेयक, 1966
APPROPRIATION (RAILWAYS) NO. 2 BILL, 1966

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत की संचित निधि में से 1965-66 के वित्तीय वर्ष की रेलवे की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत की संचित निधि में से 1965-66 के वित्तीय वर्ष की रेलवे की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। /*The motion was adopted.*

श्री स० का० पाटिल : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

विनियोग (रेलवे) विधेयक, 1966
APPROPRIATION (RAILWAYS) BILL, 1966

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत की संचित निधि में से 1966–67 के वित्तीय वर्ष की रेलवे की सेवाओं के लिये कुछ राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मन्दसौर) : मैं सभा का अधिक समय न लेकर केवल तीन बातों की चर्चा करूंगा। पहली बात मुझे तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में कहनी है। इन कर्मचारियों के मामलों की जांच अच्छी तरह नहीं की जाती है। उनके वरिष्ठ अधिकारी उनके प्रति प्रतिकूल धारणा रखते हैं। जांच के समय तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इसलिये जांच का

[श्री उ० भू० त्रिवेदी]

निर्णय सदैव कर्मचारियों के विरुद्ध होता है जिससे कर्मचारियों को न्याय के लिये न्यायालय की शरण लेनी पड़ती। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये। मैं समझता हूं कि इन कर्मचारियों के मामलों की जांच करने के लिये किसी प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित किये जायें।

प्राय: देखा गया है कि तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को, विशेषरूप से वाणिज्यिक कर्मचारियों को, भारी दण्ड दिया जाता है। कभी कभी तो 10 वर्ष के लिये उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी जाती है। इससे उनको बहुत हानि उठानि पड़ती है। अत: मेरा सुझाव है कि डिविजन अधिकारियों को इस आशय के आदेश दिये जाने चाहिये कि उन्हें इतना भारी दण्ड न दिया जाये।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि पद तो बढ़ाये जाते है किन्तु उनका लाभ कर्मचारियों को बहुत समय के बाद होता है। अत: जोनल मुख्यालयों को पद बढ़ाये जाने के बारे में शीघ्र आदेश जारी करने चाहिये जिससे कर्मचारियों को वास्तविक लाभ पहुंच सके। इन कार्यों के लिये आय-व्ययक में 17 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। इसका कर्मचारियों को उचित लाभ पहुंचना चाहिये।

श्री स० का० पाटिल : माननीय सदस्य ने वास्तव में महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। जहां तक अन्तर्विभागीय न्यायाधिकरण स्थापित करने का सम्बन्ध है, मैं इस मामले पर विस्तार पूर्वक विचार करके कार्यवाही करूंगा।

कर्मचारियों को भारी दण्ड देने के सम्बन्ध में मैं विचार करूंगा और जहां तक हो सकेगा मैं इसमें सुधार करने का प्रयत्न करूंगा।

माननीय सदस्य का तीसरा सुझाव बहुत उचित है। पद बढ़ाये जाने पर उसका लाभ कर्मचारी को शीघ्र मिलना चाहिये। इस सम्बन्ध में उचित व्यवस्था की जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत की संचित निधि में से 1966-67 के वित्तीय वर्ष की रेलवे की सेवाओं के लिये कुछ राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। / *The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। / *The motion was adopted.*

खंड 1 से 3, अनुसुची अधिनियमन सुत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड दिये गये / *Clauses 1 to 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.*

श्री स० का० पाटिल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। / *The motion was adopted.*

विनियोग (रेलवे) संख्या 2 विधेयक, 1966

APPROPRIATION (RAILWAYS) NO. 2 BILL, 1966

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत की संचित निधि में से 1965–66 के वित्तीय वर्ष की रेलवे की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वालें विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत की संचित निधि में से 1965–66 के वित्तीय वर्ष की रेलवे की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । / *The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 से 3, अनुसूची, विधेयक का नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । / *The motion was adopted.*

खंड 1, 2, 3, अनुसूची, विधेयक का नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये/ *Clauses 1, 2, 3, the Schedule, the Title and the enacting Formula were added to the Bill.*

श्री स० का० पाटिल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । / *The motion was adopted.*

अनुदानों की अनुपूरक मांगे (केरल), 1965-66

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (KERALA), 1965-66

वर्ष 1965-66 के लिये केरल के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत की गई ।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
i	कृषि सम्बन्धी आय-कर और बिक्री-कर . .	1,89,500
ii	भू-राजस्व	300
vi	पंजीयन फीस	1,17,100
x	जिला प्रशासन और विविध . . .	4,43,100

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
xi	न्याय प्रशासन	9,15,000
xii	जेलें	3,12,500
xiv	राज्य बीमा और विविध	33,400
xv	वैज्ञानिक विभाग	34,700
xvi	विश्वविद्यालय शिक्षा	97,500
xix	चिकित्सा	100
xxi	लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी	7,55,100
xxii	कृषि	36,00,000
xxiii	मीनक्षेत्र	5,00,000
xxvi	सहकारिता	1,51,000
xxvii	उद्योग	28,19,100
xxviii	सामुदायिक विकास प्रायोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास निर्माण-कार्य	10,00,000
xxix	श्रम और नियोजन	200
xxx	हरिजनों का कल्याण	8,00,000
xxxii	सिंचाई	40,00,800
xxxiv	बन्दरगाह	2,58,600
xxxix	वन	15,22,700
XL	विविध	55,200
XLii	राष्ट्रीय संकटकाल	100
XLiii	लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	17,90,200
XLiv	कृषि सुधार पर पूंजी परिव्यय	2,30,000
XLV	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय	1,12,54,000
XLVi	सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	1,08,99,900
XLVii	लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	29,27,500
XLViii	अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	2,00,000
XLix	बन्दरगाहों पर पूंजी परिव्यय	100
Li	वनों पर पूंजी परिव्यय	33,12,300
Lii	पेंशनों की राशिकृत रकम	1,07,000
LV	सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम	3,19,13,800

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : इसके लिये कितना समय निर्धारित किया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : एक घंटा ।

श्री हरि विष्णु कामत : नियम 376, उपनियम (2) के परन्तुक के अन्तर्गत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

आज की कार्य सूची के अनुसार अनुदानों की अनुपूरक मांगों के बाद विनियोग विधेयक और उसके बाद वाणिज्य मंत्रालय के अनुदानों की मांगें ली जायेंगी । कार्य सूची में केरल राज्य की लेखानुदानों की मांगें शामिल नहीं हैं । किन्तु कल की कार्य सूची में केरल की लेखानुदानों की मांगें हैं । क्या इसका तात्पर्य यह है कि यह वाणिज्य मंत्रालय की मांगों के बाद ली जायेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इसे कल उठा सकते है ।

श्री वारियर (त्रिचूर) : गृह कार्य महोदय ने 17 मार्च को एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में केरल के अराजपत्रित कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तुत किये गये ज्ञापन में उठाई गई बातें सभा पटल पर रखी थी । उन्होंने उस ज्ञापन में उन्हें दिये जाने वाले महंगाई भत्ते के बारे में कुछ सुझाव दिये थे जिनसे उनको वास्तविक लाभ पहुंच सके ।

केरल के 90 रुपये से 1010 रुपये मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जो वृद्धि की गई है उसका कुछ भाग सामान्य भविष्य निधि, संचित समय जमा योजना, 10 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा 12 वर्षीय रक्षा पत्रों में लगाना पड़ता है । हम पहले यह समझते थे कि केरल के अराजपत्रित कर्मचारियों को उतना ही महंगाई भत्ता मिलेगा जितना कि पड़ौसी राज्य मद्रास के अराजपत्रित कर्मचारियों को मिलता है । किन्तु अब वास्तविक स्थिति यह है कि सरकार उन्हें जो एक हाथ से दे रही है वह दूसरे हाथ से वापिस ले रही है । निर्वाह व्यय दिन पर दिन बढ़ रहा है । यदि उन लोगों को, महंगाई भत्ते में जो वृद्धि की गई है, वह नकदी के रूप में नहीं दी जाती है तो वे इस महंगाई के समय में अपना खर्च कैसे चलाएंगे । अतः उन्हें महंगाई भत्ता नकदी के रूप में ही दिया जाना चाहिए ।

महंगाई भत्ते के बारे में केरल के अराजपत्रित कर्मचारियों ने सरकार को एक ज्ञापन दिया था जिसमें उन्होंने मांग की थी कि वेतन आयोग की सिफारिशों में इस प्रकार संशोधन किय जाये ताकि उन पर 21 जुलाई, 1959 तक के निर्वाह व्यय का कोई प्रभाव न पड़ सके । वे अपना जीवन स्तर में सुधार करने के लिये महंगाई भत्ता मांगते हैं । केरल में इस बारे में अनेक प्रदर्शन किये गये और कर्मचारियों के कई प्रतिनिधि मंडल सरकार से मिले । किन्तु ऐसा लगता है कि सरकार उनकी शिकायतें सुनने के लिए तैयार नहीं है ।

स्थायी कर्मचारियों को पहले 7 रुपये मासिक दर से मकान किराया भत्ता मिलता था किन्तु अब वह नहीं मिलता है उन्हें फिर से यह भत्ता दिया जाना चाहिए । सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता 10 रुपये की एक ही दर पर दिया जाना चाहिए ।

सरकार को राज्य के अराजपत्रित अधिकारियों का फिर से विश्वास प्राप्त करने के लिये उनकी समस्याओं पर एक बार फिर विचार करना चाहिए । इस समय उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये कोई लोकप्रिय सरकार नहीं है । अतः इस सम्बन्ध में सारा उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार को निभाना चाहिए ।

[श्री वारियर]

अब मैं मांग संख्या 12 के बारे में कुछ कहूंगा। त्रिचूर की सेन्ट्रल जेल में पानी की व्यवस्था नहीं है। वहां पर केवल एक कुआं है। उसी में से कैदियों को पानी खीचना पड़ता है। यह पानी जेल के कदियों के लिये पर्याप्त नहीं है। हवा और पानी जीवन के लिये अत्यन्त आवश्यक हैं। अतः सरकार को वहां पर पानी की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। नगर पालिका के ट्रकों द्वारा भी वहां पानी की व्यवस्था की जा सकती है।

भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत नजरबन्द कुछ राजनैतिक बन्दियों को अभी तक कोई भत्ता नहीं मिलता है। सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए। इस मामले के सम्बन्ध में राज्य सरकार के अधिकारियों से बातचीत कर उन्हें भत्ते की बकाया राशि यथाशीघ्र दी जानी चाहिए।

केरल में केवल एक विश्वविद्यालय ही एसा है जहां पर अनुसन्धान का थोड़ा बहुत काम होता है। केरल राज्य के लिये यह काफी नहीं है। केरल ही एक एसा राज्य है जहां पर केन्द्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला नहीं है। पहल केरल के किसी भाग में एक केन्द्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव था किन्तु अब इसको छोड़ दिया गया है। यह खेद की बात है। मत्स्यपालन अथवा समुद्रविज्ञान आदि के बारे में अनुसन्धान करने के लिये प्रस्तावित संस्था एर्नाकुलम अथवा कोचीन में स्थापित नहीं की जा रही है।

केरल राज्य में अब खाद्य आन्दोलन समाप्त हो गया है किन्तु वहां पर अभी आम दिनों जैसी स्थिति नहीं हो सकी है। पुलिस अब भी जनता पर अत्याचार कर रही है। इसका एक उदाहरण में आपके सामने रखना चाहता हूं। राज्य सभा सदस्य श्री गोविन्दन नायर से मुझे एक तार मिला है उसमें उन्होंने कहा है कि इस महीने की 12, 13 और 14 तारीख को पालघाट जिले के एक गांव में स्थानीय मेले के अवसर पर विशेष पुलिस ने गांव वालों के साथ मारपीट की। लोक अपने बाल बच्चों को छोड़ कर भाग गय। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

अब मैं मांग संख्या 55 के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। केरल में बिजली की सप्लाई की स्थिति बहुत खराब है। बिजली की सप्लाई में 80 प्रतिशत कटौती कर दी गई है जिससे सभी कारखाने बन्द हो रहे हैं। इडिक्की परियोजना में पक्षपात और भ्रष्टाचार फला हुआ है। केवल पक्षपात के कारण किसी व्यक्ति विशेष को लगभग एक करोड़ रुपये का ठेका दिया गया है। सबरिगिरि परियोजना का कार्य भी ठीक नहीं चल रहा है। इन सब मामलों की जांच के लिये डा० राव अथवा उन्हीं के स्तर व्यक्ति की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए और अपराधी व्यक्तियों को उचित दंड दिया जाना चाहिए।

केरल की अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
1	5	श्री वरियर	राज्य सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते संबंधी न्यायोचित मांग पूरी करने की आवश्यकता।	100

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
1	6	श्री वारियर	सरकारी कर्मचारियों के पहले मिलने वाला मामूली मकान किराया भत्ता पुन: देने की आवश्यकता ।	100
1	7	श्री वारियर	सभी कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान करने तथा बचतों के रूप में यह भत्ता देने की वर्तमान योजना समाप्त करने की आवश्यकता ।	100
1	8	श्री वारियर	अराजपत्रित अधिकारियों में, जिन्होंने हाल में उच्च अधिकारियों की अनुचित कार्यवाही पर रोष प्रकट किया था, जसे कोट्टायम में, सन्तोष और विश्वास पुन: उत्पन्न करने की आवश्यकता ।	100
2	9	श्री वारियर	विकाससंबंधी नई मांगों को पूरा करने के लिये सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता ।	100
12	10	श्री वारियर	जेलों में, विशेषकर विय्यूर केन्द्रीय जल में पानी के संतोषजनक सम्भारण की आवश्यकता ।	100
12	11	श्री वारियर	जलों के कर्मचारियों को उचित सुविधायें देने की आवश्यकता ।	100
12	12	श्री वारियर	अनुशासनाधीन कार्यवाहियों का दुरुपयोग होने के कारण विय्यूर केन्द्रीय जेल के वार्डरों में असंतोष की जांच कराने की आवश्यकता ।	100
12	13	श्री वारियर	बन्दियों पर लगी सभी अमानुषिक शर्तों को समाप्त करने की आवश्यकता ।	100
14	14	श्री वारियर	मलाबार में देवस्वम के वनों और अन्य भू-सम्पत्ति के प्रबन्ध में सुधार की आवश्यकता ।	100
14	15	श्री वारियर	मलाबार में देवस्वमों में बिचोलिये हटा कर वास्तविक किरायादारों को स्थायी पट्टे देने की आवश्यकता ।	100
14	16	श्री वारियर	प्रतिरक्षा विभाग के अधीन क्षेत्रों को छोड़ कर विलिंगडन द्वीप को कोचीन के प्रस्तावित निगम में शामिल करने की आवश्यकता ।	100
14	17	श्री वारियर	देवस्वम भूमियों तथा वनों का कम दरों पर निहित हित वाले व्यक्तियों को इकट्ठे पट्टे पर दिया जाना बन्द करने की आवश्यकता ।	100

क्रमांक संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
14	18	श्री वारियर	शिक्षा और संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिये देवस्वम राजस्व का उपयोग किये जाने की आवश्यकता।	100
14	19	श्री वारियर	देवस्वम कर्मचारियों की मांगे पूरी करने की आवश्यकता।	100
14	20	श्री वारियर	देवस्वम सम्पत्तियों और वित्तीय मामलों के प्रबन्ध के उचित नियंत्रण के लिये विधान बनाने की आवश्यकता।	100
14	21	श्री वारियर	हिन्दु धार्मिक पूर्त्त धर्मस्व प्रशासन निधि द्वारा चलाई जा रही शिक्षण तथा सांस्कृतिक संस्थाओं की उचित सामयिक जांच करने की आवश्यकता।	100
14	22	श्री वारियर	कोचीन नगर निगम के गठन को अन्तिम रूप देने की अविलंब आवश्यकता।	100
15	23	श्री वारियर	त्रिचुर संग्रहालय तथा चिड़ियाघर को सम्पूर्ण कला तथा सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता।	100
16	24	श्री वारियर	केरल विश्वविद्यालय के गत तीन वर्ष के कार्य की विस्तृत जांच करने की आवश्यकता।	100
16	25	श्री वारियर	केरल राज्य की विकास संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार विश्वविद्यालय के विज्ञान विभाग को विकसित करने की आवश्यकता।	100
16	26	श्री वारियर	विश्वविद्यालय के वर्तमान उप-कुलपति और सीनेट के बीच गलतफहमी के कारण की जांच करने की आवश्यकता।	100
16	27	श्री वारियर	वर्तमान उप-कुलपति के कार्य-काल को तुरन्त समाप्त करने की आवश्यकता।	100
16	28	श्री वारियर	केरल विश्वविद्यालय में नौ-विज्ञान, खनिज-विज्ञान तथा समुद्रशास्त्र जैसी विज्ञान-शाखाओं के अध्ययन को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता।	100
16	29	श्री वारियर	विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों के शिक्षक तथा गैर-शिक्षक कर्मचारियों के वेतन-क्रमों में सुधार किये जाने तथा उन्हें जीवन की सभी सुविधायें दिये जाने की आवश्यकता।	100

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
16	30	श्री वारियर	विशेषकर मलाबार क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा दिये जाने के लिये एक और विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता ।	100
16	31	श्री वारियर	ऐसे विद्यार्थियों के लिये अधिक स्थानों का प्रबन्ध किये जाने की आवश्यकता जो विज्ञान की अव्यावहारिक तथा व्यावहारिक दोनों शाखाओं में अग्रेतर अध्ययन तथा अनुसंधान करना चाहते हैं ।	100
19	32	श्री वारियर	सभी होम्योपैथिक कालेजों के कार्यचालन की जांच किये जाने और कुछ जाली संस्थाओं को मान्यता जारी रखने के प्रश्न पर पुनः विचार किये जाने की आवश्यकता ।	100
22	33	श्री वारियर	त्रिचूर कोल भूमि में ईनमव बांध के अवमानक निर्माण पर चर्चा की आवश्यकता ।	100
22	34	श्री वारियर	त्रिचुर जिले की 'कोल' भूमियों में स्थायी बांधों के निर्माण की शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता ।	100
22	35	श्री वारियर	राज्य में अब तक आरम्भ किये गये भू-संरक्षण कार्य की समीक्षा की आवश्यकता ।	100
22	36	श्री वारियर	निजी स्वामित्व तथा खेती के अधीन अफवाह–क्षेत्र में उलट जाने वाली मिट्टी के कारण मलमपुज्हा जलाशय को असामान्य रूप से रेग जमने से बचाने की आवश्यकता ।	100
23	37	श्री वारियर	समुद्र तट से अन्तर्देशीय बजारों में मछली भेजने के लिए प्रशीतक सुविधाओं वाली परिवहन व्यवस्था चालू करने की आवश्यकता ।	100
23	38	श्री वारियर	पकड़ी हुई मछलियों को संरक्षित रखने के लिए अधिक शीतागार सुविधाओं और हिम-संयंत्रों की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100
26	39	श्री वारियर	सामान्यतया सहकारी समितियों तथा विशेषकर औद्योगिक सहकारी समितियों के कार्य-चालन में सुधार की आवश्यकता ।	100

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
27	40	श्री वारियर	हस्तशिल्पियों को उचित मूल्य पर तथा उन केन्द्र-विशेषों के आसपास जहां वे पनपते हैं कच्चे माल की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100
27	41	श्री वारियर	बिचोलियों को यथासम्भव कम करके हस्त-शिल्पियों को अधिक आर्थिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता ।	100
27	42	श्री वारियर	बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद तथा पर्यटकों के आकर्षण के अन्य बड़े नगरों में केरल की हस्तशिल्प-वस्तुओं के प्रदर्शन-कक्ष, जैसा कि एक हाल ही में दिल्ली में खोला गया है, खोलने की आवश्यकता ।	100
32	43	श्री वारियर	चीरा कुज्ही परियोजना के कार्य को समाप्त करने की आवश्यकता ।	100
32	44	श्री वारियर	सभी छोटे कार्यों को पूरा करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करने तथा बिलों का पूरे पूरे भुगतान करने की आवश्यकता ।	100
47	45	श्री वारियर	त्रिचूर थाने में रिहायशी क्वार्टरों की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100
47	46	श्री वारियर	त्रिचूर थाने में रात की ड्यूटी पर पुलिस के सिपाहियों के लिए विश्रामालयों की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100
47	47	श्री वारियर	त्रिचूर पुलिस हवालातों में अधिक अच्छी सुविधाएं देने की आवश्यकता ।	100
47	48	श्री वारियर	त्रिचूर थाने में बंदियों तथा पुलिस के सिपाहियों के लिये उचित स्वच्छता की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100
47	49	श्री वारियर	जिला अस्पताल, त्रिचूर में निगरानी में रखे गये क्षय रोगियों के लिए अधिक बिस्तरों की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100
47	50	श्री वारियर	राज्य के विभिन्न अस्पतालों में अधिक बिस्तरों की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

श्री रवीन्द्र वर्मा (तिरूवल्ला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं। इसके साथ साथ मैं सरकार का ध्यान राज्य की कुछ समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। मुझे पूर्व वक्ता मेरे माननीय मित्र केरल राज्य में बिजली संकट के बारे में स्थिति स्पष्ट कर ही चूके हैं। केरल में राज्य बिजली बोर्ड अपना उत्तरदायित्व निभा सकने में असमर्थ रहा है। राज्य में बिजली की बहुत कमी है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में बिजली के निर्धारित लक्ष्य से राज्य में बिजली का उत्पादन बहुत कम हुआ है। प्रतिव्यक्ति बिजली का उपयोग जो कि 30.10 यूनिट से बढ़कर 59.50 यूनिट होना था अभी तक केवल 39 यूनिट हो सका है।

बिजली बोर्ड बिजली की सप्लाई में लगातार कटौती करता रहा है। यह कटौती हाल में बढ़ाकर प्रतिदिन 80 प्रतिशत कर दी गई है। इसका कारखानों तथा अन्य उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। बिजली की कमी के कारण अमोनिया कारखाना, रबड़ कारखाना, रेयर अर्थ फैक्टरी, फर्टलाइजर एण्ड केमिकल्स, ट्रावनकोर आदि कारखाने कार्य नहीं कर रहे हैं। कई उद्योग बिल्कुल बन्द पड़े हैं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सम्बन्धी समिति के अनुसार रबड़ फक्टरी में वर्ष में 175 दिन काम नहीं हुआ। बिजली की कमी का 3,000 लघु उद्योगों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ा है जिसके कारण 60,000 कर्मचारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। त्रिचूर में 30,000 लोग बेरोजगार हैं। राज्य में इस प्रकार की स्थिति से राज कोष को काफी नुकसान हो रहा है।

1964-65 और 1965–66 में फर्टलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर में निर्धारित लक्ष्य से कम उत्पादन होने के परिणामस्वरूप इन दो वर्षों में 2 करोड़ 54 लाख रुपये का घाटा हुआ है। यह दुर्भाग्य की बात है कि एक ओर तो उर्वरकों की कमी है और विदेशों से उर्वरक मंगाने के लिये 13 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और दूसरी ओर उर्वरक कारखाने बिजली की कमी के कारण बन्द पड़े हैं।

केरल राज्य के 25 लाख में से $7\frac{1}{2}$ लाख मजदूर इन औद्योगिक कारखानों में काम करते हैं जो बिजली पर निर्भर रहते हैं। इन मजदूरों को आज मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं। मजदूरों की जबरी छूट्टी तथा बेरोजगार के बारे में गंभीर रुप से विचार करने की आवश्यकता है। केरल राज्य में गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक निजी उपक्रमियों तथा उद्योगपतियों पर इसका निराशाजनक प्रभाव पड़ा है। राज्य में औद्योगीकरण को प्रोत्साहन देने के लिये बिजली का पर्याप्त संभरण आवश्यक है।

केरल राज्य बिजली बोर्ड को मद्रास राज्य से महंगी दर पर बिजली खरीद कर सस्ती दर पर उसकी सप्लाई करनी पड़ रही है जिससे इस बोर्ड को काफी हानि उठानी पड़ रही है। भूतपूर्व वित्त मंत्री, श्री कृष्णमाचारी द्वारा यह कहा गया था कि सरकार 100 मैगावाट बिजली पैदा करने वाला एक ताप-घर कोचीन में स्थापित करने की मंजूरी दे रही है। किन्तु अब यह निर्णय किया गया है कि केरल में 30 मैगावाट का एक ताप घर बनाया जायेगा। यह बात समझ में नहीं आई है कि इस संयंत्र की क्षमता क्यों कम की गई है।

मुझे आशा है कि केरल में बिजली की आवश्यकता के प्रश्न पर सरकार उचित रुप से विचार करेगी और बिजली की इस कमी के कारण उत्पन्न कठिनाईयों को दूर करने के लिए पर्याप्त तथा समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।

श्री अ० व० राघवन (बड़ागरा) : केरल में एक वर्ष से राष्ट्रपति का शासन लागू है। इस अवधि में लोगों को कई प्रकार की, यथा खाद्य, बिजली आदि सम्बन्धी मुसीबतें भुगनी पड़ी हैं। आज केरल में बिजली संकट पैदा हो गया है। राज्य में कई उद्योग बन्द हो रहे हैं और बेरोजगारी काफी बढ़ गई है, यदि एक महिना और यही स्थिति बनी रही तो मुझे यकीन है कि भारत सरकार को भयंकर स्थिति का सामना करना पड़ेगा।

[श्री अ० व० राघवन]

केरल में भूमि अर्जन सम्बन्धी कार्य उन तहसीलदारों द्वारा किये जा रहे हैं जिनको सम्पत्ति का मूल्य निर्धारित करने का कोई अनुभव नहीं है। अतः मेरा अनुरोध है कि जिस भूमि का मूल्य 1,000 रुपये से अधिक होता है, उसके मूल्य का निर्धारण राज्य के जिला मुख्यालयों तथा कुछ तालुकों में नियुक्त सरकारी वकीलों द्वारा किया जाना चाहिये जिससे लोगों के साथ न्याय हो सकेगा ।

मुझे बताया गया है कि केरल मत्स्य पालन निगम के समक्ष एक ऐसा प्रस्ताव है कि इस निगम की समस्त पदावार न्यूयॉर्क स्थित एटलांटा ट्रेडिंग निगम नामक एक फर्म को बेची जाये। इस करार के लिये उक्त निगम द्वारा कोई भी टेन्डर नहीं मांगे गये।

केरल में नीति सम्बन्धी मामलों के बारे में वर्तमान सलाहकार बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। नीति सम्बन्धी मामलों पर इन सलाहकारों द्वारा निर्णय लिया जाना उचित नहीं है। उन्होंने केरल के जिला न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा दी है जब कि केरल के भूतपूर्व राज्यपाल श्री जैन तथा केरल का भूतपूर्व मन्त्रिमंडल इस प्रस्ताव को मानने के लिये सहमत नहीं थ। मैं नहीं समझ पाता कि यह पक्षपात केवल इसी पदालि के न्यायाधीशों के हित में क्यों किया गया है। यदि सलाहकार ऐसे नीति सम्बन्धी निर्णय करते हैं जिनसे केरल में बहुत कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी, तो मुझे विश्वास है कि लोग उनके विरुद्ध आन्दोलन कर देंगे। इसलिए केरल में शान्ति बनाये रखने के लिये उचित यही है कि सलाहकार ऐसे नीति सम्बन्धी निर्णय स्वतः न लें। नीति सम्बन्धी निर्णय लेने से पहले उन्हें ऐसे मामलों में कम से कम केरल के संसद-सदस्यों की समिति से परामर्श करना चाहिये। हमें इन निर्णयों के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी जाती। मेरा सरकार से अनुरोध है कि पिछले एक वर्ष में किये गये नीति सम्बन्धी निर्णयों का पुनर्विलोकन किया जाना चाहिये और उन्हें रद्द किया जाना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री कप्पन (मवातुपुजा) : बिजली में कटौती के कारण केरल में बहुत से कर्मचारी तथा मजदूर काम से निकाल दिये गये हैं। यह बहुत ही विषम स्थिति है। इस सम्बन्ध में यदि तुरन्त कोई कार्यवाही नहीं की गई तो ऐसी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जिस पर काबू पाना सरकार के लिये असंभव हो जायेगा। केरल के लिये जिस ताप बिजली घर को बनाने का वचन दिया गया था उसका निर्माण-कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाना चाहिये। केरल के लिये अनेक योजनाएं बनाने का विचार किया गया और कई चीजों के बारे में वचन दिये गय, किन्तु खेद यह है कि उन्हें कार्यरुप कभी नहीं दिया गया।

मैं महसूस करता हूं कि केरल जैसे एक छोटे राज्य के लिए राज्यपाल एक बोझ बन गया है। राज भवन तथा राज्यपाल के लिये रेलवे में विशेष सैलून के रख-रखाव के लिये अनुपुरक अनुदान के रूप में भारी धनराशि मांगी गई है। एक ओर तो हम अननुत्पादी खर्च कम करने के लिये जोर दे रहे हैं और दूसरी ओर इस प्रकार के खर्च बढ़ा रहे है। सरकार को चाहिए कि वह ऐसे खर्च में कटौती करे।

जहां तक भूमि अर्जन का सम्बन्ध है, इस कार्य पर सरकार को प्रतिवर्ष व्याज तथा न्यायालय के खर्च के रूप में काफी धन खर्च करना पड़ रहा है। भूमि अर्जन अधिकारियों द्वारा भूमि का उचित रूप से मूल्य निर्धार न किये जाने के परिणाम स्वरूप सरकार को प्रतिवर्ष बहुत हानि उठानी पड़ी है। अर्जन अधिकारियों को इस आशय के कड़े अनुदेश दिय जाने आवश्यक हैं कि वे भूमि के मूल्य उचित रूप से निर्धारित करें जिससे कि न्यायालय में जाने वाले तथा पर्याप्त मुआवजे प्राप्त करने के लिये काफी धन खर्च करने वाले सम्बन्धित पक्षों को मुसीबत न उठानी पड़े।

कम मूल्य वाले टेंडर की तुलना में अधिक मूल्य वाले टेंडर को स्वीकार करने के फलस्वरूप राज्य बिजली बोर्ड को 2 लाख रूपये की हानि उठानी पड़ी है। सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिये। समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों से इस बिजली बोर्ड से सम्बन्धित कई अन्य अनियमिताओं का पता लगा है। अतः सरकार को चाहिये कि वह इन मामलों की बहुत सावधानी से जांच करे और यदि आवश्यक हो एक आयोग भी नियुक्त करे।

मछली पालन उद्योग के विकास के लिये जो 5 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है वह सराहनीय है और उसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं। समुद्र तट से दूर मछली पकड़ने की काफी गुंजाइश है और प्रयत्नशील होने पर दूनी मछलियां पकड़ी जा सकती हैं। चुंकि मछली जल्दी खराब हो जाने वाली वस्तु है, इसलिये इसके परिवहन के लिये समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये। मछलीयों को ताजा रखने तथा गावों में उनके वितरण के लिये लगभग 40 बाजारों में शीतागरों की सुविधाएं दी जानी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री उ० मु० त्रिवेदी (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, केरल में खर्च व्यवस्था तथा लेखा-पद्धति में सुधार की आवश्यकता है किन्तु कार्यपालिका इस ओर समुचित ध्यान देने में उदासीन रही है। केरल के लोगों को बिजली बहुत ही प्रिय है और प्रत्येक व्यक्ति इसे आवश्यकता के रूप में समझता है। केरल के गावों में बिजली लगाने के काम में भी विशेष प्रगति नहीं हुई है। केरल में बिजली की आवश्यकता पूरी करने के लिये सबरीगिरी, इडिकी तथा कुट्टियाडि परियोजनाओं को तुरन्त क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता है।

इडिकी परियोजना में सुरंगों को बनाने के लिये मांगे गये टेन्डरों तथा इस प्रयोजन के हेतु दिये गये ठेकों के मामले में जांच करवाना सरकार के लिये वांछनीय ही नहीं अपितु आवश्यक भी है क्योंकि इस मामले में गोलमाल की शिकायत मिली है।

जहां तक न्याय-प्रशासन शीर्षक के अन्तर्गत न्यायाधीश का एक अतिरिक्त पद बनाने के लिये खर्च किये जाने वाले 9,15,000 रुपये की मांग का सम्बन्ध है मैं उच्च न्यायालय में व्यक्तिगत काम के अनुभव के आधार पर इसका समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि व्यापक रूप से विचार करने पर इसमें काफी फिजूल खर्ची नजर आती है और मुझे इसमें औचित्य नजर नही आता सरकार को इस सम्बन्ध में विचार करना चाहियें कि एक अतिरिक्त न्यायाधीश के पद के लिये इतने भारी खर्च की व्यवस्था क्यों की गई है।

केरल में विधि और व्यवस्था का जहां तक सम्बन्ध है, उसमें दोष बढ़ते जा रहे हैं। वहां के लोग सीधे-सादें है, आए दिन केरल में कुछ न कुछ गड़बड़ चलती रहती है; इस सम्बन्ध में सरकार को विशेषतः गृह-कार्य मंत्री तथा वित्त मंत्री को विचार करना चाहिये।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : उपाध्यक्ष महोदय, अधिकतर सदस्यगणों ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि केरल में बिजली की कमी को दूर किया जाये। मैं इस विषय पर बोलने से पूर्व उठाये गये अन्य छोटे-छोटे प्रश्नों के बारे में उत्तर दूंगा।

जहां तक बचत योजना के अन्तर्गत भुगतान किये जा रहे उस धनराशि का सम्बन्ध है जो कि बढ़ी हुई महंगाई भत्ते का एक भाग है, यह योजना स्वतः मजदूरों के हित में लागू की गई थी जिससे कि वे कुछ धन बचा पायें। यदि माननीय सदस्यों की राय में यह योजना लोकप्रिय नहीं है अथवा मजदूरों के हित में नहीं है तो वतन आयोग की सिफारिशों पर विचार करते समय इस प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा कि क्या बचत योजना के अन्तर्गत भुगतान करने की इस योजना को लागू रखा जाय अथवा उसे वापस ले लिया जाय।

[श्री० ब० रा० भगत]

सरकार ने पहली मार्च, 1966 से सभी नजरबन्दियों को कम से कम 75 रुपये और अधिक से अधिक 250 रुपये तक प्रतिमास पारिवारिक भत्ते के रूप में देने का निश्चय किया है। मुफ्त साबुन, तेल आदि देने के अतिरिक्त प्रत्येक नजरबन्दी को 10 अथवा 15 रुपये भी दिये जायेंगे।

त्रिचूर जेल में पानी की बहुत कम सप्लाई के बारे में कहा गया है। पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिये एक योजना मंजूर की गई है जिसे क्रियान्वित किया जा रहा है। राज्य प्रशासन से निवेदन किया गया है कि वह इसे तुरन्त क्रियान्वित करे।

जहां तक बिजली परियोजना के टेंडर के बारे में उठाये गये प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं इस बारे में गृह-कार्य मंत्रालय के माध्यम से जांच करवाऊंगा। अनियमितता सम्बन्धी ऐसे मामलों के बारे में लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति भी जांच करती रहती हैं। मैं समझता हूं कि इस बारे में जांच कर ली गई है इस लिये शंका करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, वह स्थापित वाणिज्यिक मर्यादाओं तथा व्यापार प्रथाओं को बदलना नहीं चाहती।

इडिकी परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे। जहां तक समुद्र विज्ञान अथवा मछली अनुसंधान संस्था को किसी अन्य राज्य में स्थापित करने का सम्बन्ध है जैसा कि शंका की गई है, इस प्रश्न पर विचार करते समय माननीय सदस्यों को भावनाओं को निश्चित रूप से ध्यान में रखा जायेगा।

केरल में बिजली में कटौती से औद्योगिक कार्यक्रम तथा उत्पादन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। लेकिन यह सारे देश में अनावृष्टि के कारण हुआ, जो किसी के वश की बात नहीं थी। इसी लिये हम कोचीन में एक ताप विद्युत् संयंत्र लगाने के बारे में सोच रहे हैं। शीघ्र ही एक दो पन-बिजली परियोजनायें, शोलयार और सबारिगिरी परियोजनायें पूरी हो जायेंगी और अगली मानसून तक स्थिति सुधार जानी चाहिये।

श्री अ० व० राघवन (बड़ागरा) : मैसूर से, जहां बिजली की फालतू क्षमता है, बिजली प्राप्त करने के लिये क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं?

श्री ब० रा० भगत : इसके लिये सभी प्रबन्ध किये जा रहे हैं। विशेषज्ञ समिति ने कहा कि ताप विद्युत् संयंत्र की क्षमता 100 मिगेवाट युनिट होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये यह घटाकर 30 मिगेवाट कर दी गई।

श्री रवीन्द्र वर्मा (तिरूवल्ला) : क्या मंत्री महोदय की यह धारणा है कि केरल में बिजली का अभाव कम है, इसलिये 100 मिगेवाट के संयंत्र आवश्यक नहीं है?

श्री ब० रा० भगत : आरम्भ में 30 मिगेवाट का संयंत्र पर्याप्त रहेगा। यदि आवश्यक हुआ तो बड़ा संयंत्र लगाया जायेगा। लेकिन विलम्ब कोई नहीं हुआ है।

श्री वारियर (त्रिचूर) : अनेक वर्षों से कुछ भी नहीं किया गया है। एक नाममात्र का अनुदान भी नहीं दिया गया है।

श्री केप्पन (मवातुपुजा) : क्या वर्तमान बजट में कोई राशि नियत की गई है?

श्री ब० रा० भगत : तकनीकी ब्यौरा तैयार हो जाने पर राशि नियत की जायेगी।

[श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुए
SHRI SHAM LAL SARAF *in the Chair*]

श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या यह सच है कि 30 मिगेवाट का ताप विद्युत् संयंत्र लगाने का निर्णय इसके लिये आवश्यक मशीनों और संयंत्रों का रांची और भोपाल में निर्माण होने पर निर्भर करता है ? क्या इससे कुछ और वर्षों तक विलम्ब नहीं होगा ?

श्री ब० रा० भगत : अधिकांश सामान देश में बनेगा और इस कारण विलम्ब नहीं होगा ।

श्री वारियर : क्या इडुकी परियोजना के निर्माण कार्य का ठेका देने के बारे में केरल के समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों की जांच की जायगी और यदि आवश्यक हुआ तो क्या एक आयोग नियुक्त किया जायेगा ?

श्री ब० रा० भगत : मैं कह चुका हूँ कि इसके बारे में मैं गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री महोदय से कहूँगा

सभापति महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।
All the Cut Motions were put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा वर्ष 1965–66 के लिये केरल के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई *The following Demands for Supplementary Grants in respect of Kerala for the year* 1965-66 *were put and adopted:—*

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
i	कृषि सम्बन्धी आय कर और बिक्री कर . .	1,89,500
ii	भू राजस्व	300
vi	पंजीयन फीस	1,17,100
x	जिला प्रशासन और विविध . . .	4,43,100
xi	न्याय प्रशासन	9,15,000
xii	जेलें	3,12,500
xiv	राज्य बीमा और विविध . .	33,400
xv	वैज्ञानिक विभाग	34,700
xvi	विश्वविद्यालय शिक्षा	97,500
xix	चिकित्सा	100
xxi	लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी . . .	7,55,100
xxii	कृषि	36,00,000
xxiii	मीनक्षेत्र	5,00,000
xxvi	सहकारिता	1,51,000
xxvii	उद्योग	28,19,100

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
xxviii	सामुदायिक विकास प्रायोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास निर्माण कार्य . . .	10,00,000
xxix	श्रम और नियोजन	200
xxx	हरिजनों का कल्याण	8,00,000
xxxii	सिंचाई	40,00,800
xxxiv	बन्दरगाह	2,58,600
xxxix	वन	15,22,700
xl	विविध	55,200
xlii	राष्ट्रीय संकटकाल	100
xliii	लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय . . .	17,90,200
xliv	कृषि सुधार पर पूंजी परिव्यय . . .	2,30,000
xlv	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय .	1,12,54,000
xlvi	सिंचाई पर पूंजी परिव्यय . . .	1,08,99,900
xlvii	लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय . .	29,27,500
xlviii	अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय . .	2,00,000
xlix	बन्दरगाहों पर पूंजी परिव्यय . . .	100
li	वनों पर पूंजी परिव्यय . . .	33,12,300
lii	पेंशनों की राशिकृत रकम . . .	1,07,000
lv	सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम . . .	3,19,13,800

केरल विनियोग विधेयक, 1966
KERALA APPROPRIATION BILL, 1966

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं आपकी अनुमति से श्री शचीन्द्र चौधरी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि केरल राज्य की संचित निधि में से 1965–66 के वित्तीय वर्ष की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि केरल राज्य की संचित निधि में से 1965–66 के वित्तीय वर्ष की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भूगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

श्री ब० रा० भगत : श्रीमन्, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

श्री ब० रा० भगत : श्रीमान्, मैं श्री शचीन्द्र चौधरी की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि केरल राज्य की संचित निधि में से 1965–66 के वित्तीय वर्ष की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भूगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केरल राज्य की संचित निधि में से 1965–66 के वित्तीय वर्ष की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भूगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । / *The motion was adopted.*

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । / *The motion was adopted.*

खण्ड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधयक में जोड़ दिये गये ।/ *Clauses 1 to 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

श्री ब० रा० भगत : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को परित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/ *The motion was adopted.*

अनुदानों की मांगें, १९६६-६७

DEMANDS FOR GRANTS—1966-67

वाणिज्य मंत्रालय

वर्ष 1966–67 के लिये वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	वाणिज्य मंत्रालय	33,72,000
2	विदेशी व्यापार	16,03,20,000
3	वाणिज्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . . .	16,54,00,000
113	वाणिज्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . . .	1,38,79,000

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : न केवल पश्चिमी बंगाल में बल्कि अन्य राज्यों में भी कपड़ा मिलों के बन्द होने तथा पटसन मिलों में ज़बरी छुट्टी के बारे में इस सभा में अनेक प्रश्न पूछे गये हैं । केन्द्रीय सरकार द्वारा म्योर मिल्स लिमिटेड, कानपुर के अपने अधिकरण में लेने की घोषणा का मैंने

[श्री० स० मो० बनर्जी]

स्वागत किया था। यह दुर्भाग्य की बात है कि मिल अभी तक चालू नहीं हुई है और उसके 6,000 श्रमिकों को पिछले छः महीनों से वेतन अथवा भत्ते नहीं मिले हैं। स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने श्रमिकों को आश्वासन दिया था कि जब तक मिल नहीं खुलती उन्हें कोई प्रतिकर भत्ता दिया जायेगा। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से मिला था उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से किसी ने कोई गरन्टी नहीं दी है इसलिए स्टेट बैंक ने पैसा नहीं दिया। मिल को चलाने के लिये 1,50,00,000 अथवा 1,60,00,000 रुपए चाहियें। मिल के 6,000 श्रमिक कानपुर में भूखे मर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यदि श्री मनुभाई शाह रुची ले तो मिल आरम्भ हो जायेगी।

कानपुर की एक अन्य कपड़ा मिल, न्यू टैक्सटाइल मिल के कार्यचालन की जांच की जा रही है। मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि वे इस बात पर विचार करें कि क्या अधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने से 4,000 से 5,000 के बीच श्रमिकों की छंटनी को रोका जा सकता है। तीसरी बात मैं कानपुर के एक बड़े व्यापारि बगला की मिल महेश्वरी देवी जूट मिल के बारे में कहना चाहता हूं। इस मिल ने केन्द्रीय सरकार से आधुनिकीकरण के लिये 10 लाख रुपए मांगे थे। वहां पर जबरी छुट्टी चल रही है और श्रमिकों को दो महीने से वेतन नहीं मिला है। इस मिल के मामलों की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये। कानपुर के उद्योगपति केन्द्रीय सरकार से आधुनिकीकरण के लिये पैसा ले रहे है और उस राशि को उसपर खर्च न करके उससे नये कारखाने खोल रहे हैं।

एक अन्य बात, जिन के बारे में मैं एक अन्य बात का उल्लेख करता चाहता हूं। प्रायः सभी स्थानों में पटसन मिलों में जबरी छुट्टी की जा रही है।

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : क्या वे कलकत्ता के बारे में कह रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : पश्चिमी बंगाल तथा अन्य स्थानों में स्थित मिलों को मंत्री महोदय को आश्वासन देना चाहिये कि भारत सरकार उन सभी कपड़ा मिलों को अपने हाथ में ले लेगी, जो कुप्रबन्ध के कारण बन्द हुई हैं अथवा जिनके बन्द होते की संभावना है। अन्त में मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे इस बात की समझ लें कि जब तक कानपुर में कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण नहीं किया जाता देश के अन्य भागों के समान प्रगति नहीं होगी जिसके परिणामस्वरूप बहुत से श्रमिकों की छंटनी होगी। कानपुर के कपड़ा उद्योग में इस समय संकट की स्थिति है और 35,000 से 40,000 श्रमिकों का अस्तित्व खतरे में है।

श्री राने (बुलडाना) : बिना विदेशी मुद्रा उपार्जित किये देश का विकास संभव नहीं है और उसके लिये हमारे वाणिज्य मंत्री भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। यह प्रसन्नता का विषय है कि हमारा निर्यात 1958 में 572 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 808 करोड़ रुपए हो गया है लेकिन साथ ही यह चिन्ता की बात है कि आयात 900 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 1,382 करोड़ रुपए हो गया है। हमें अपना निर्यात बढ़ाना चाहिये और अनावश्यक वस्तुओं का आयात कम करना चाहिये। योजना आयोग निर्यात दूगना करने की योजना पर विचार कर रहा है। ऐसा होने पर विदेशी मुद्रा का संकट दूर हो जायेगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी आयात तथा निर्यात नीति कृषकों के हितों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जानी चाहिये। हमारी आयात तथा निर्यात नीति से कृषकों के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उदाहरणतया मूंगफली के तेल का निर्यात 1951 में 79,000 टन से घटकर 1953-54 में लगभग 2000 टन हो गया जिसके परिणामस्वरूप मूंगफली का भाव 28 रुपए से घटकर 14 रुपए प्रति मन हो गया। ऐसी ही स्थिति कपास के बारे में हुई। सरकार पटसन की 15 लाख गांठें आयात करने वाली है। इस समय भाव बहुत चढ़ा हुआ है और यदि सरकार आयात करती है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पटसन के भाव गिर जायेंगे।

श्री मनुभाई शाह : हमने इस पर अमल किया है लेकिन भाव अब भी अधिक है क्योंकि पटसन की फसल खराब रही है।

श्री राने : मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि आयात निर्यात नीति निर्धारित करते समय वाणिज्य मंत्रालय को किसानों के हितों को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिये । निर्यात तथा आयात सलाहकार परिषदों के मिलाये जाने का मैं स्वागत करता हूं । लेकिन मुझ इस बात की शिकायत है कि इन परिषदों में किसानों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है । मैंने कपास तथा तिलहन उत्पादकों के हितों की रक्षा करने का प्रयत्न किया है ।

श्री मनुभाई शाह : कपास के अतिरिक्त सभी फसले पैदा करने वाले उत्पादकों को बारी-बारी से प्रतिनिधित्व दिया जाता है ।

श्री राने : सरकार की कपास नियंत्रण नीति उत्पादकों के हितों के विरुद्ध है । कपास के भाव पर्याप्त नहीं हैं ।

श्री मनुभाई शाह : ये विश्व में सबसे अधिक हैं ।

श्री राने : लेकिन अन्य वस्तुओं की तुलना में वे अधिक नहीं हैं । अन्य वस्तुओं के भाव 400 से 500 तक बढ़े हैं लेकिन कपास में केवल 125 प्रतिशत वृद्धि हुई है । इसका एकमात्र कारण मूल्य-नियंत्रण है । ब्रिटिश सरकार ने 1943 में खाद्य उत्पादन बढ़ाने और कपास की खेती को कम करने के उद्देश्य से कपास पर मूल्य नियन्त्रण लागू किया था । इसके परिणामस्वरूप कुछ ही वर्षों में कपास की खेती 230 लाख एकड़ भूमि से घटकर 110 लाख एकड़ भूमि में रह गई और सरकार को एक वर्ष में 100 करोड़ रुपए तथा एक अन्य में 137 करोड़ रुपए की कपास का आयात करना पड़ा है । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद डा० मुंशी ने कपास का मूल्य अधिक रहने दिया ताकि उत्पादन अधिक हो । मैं कहना चाहता हूं कि इस पर से नियंत्रण हटा लेना चाहिये और यदि ऐसा नहीं हो सकता तो कम से कम न्यूनतम और अधिकतम मूल्य में अन्तर 100 रुपए होना चाहिये क्योंकि इससे उत्पादकों को लाभ होगा ।

अब अनेक वस्तुओं पर मूल्य नियंत्रण लागू किया गया है । फिर भी वस्त्र आयुक्त ने खरीद सम्बन्धी अनेक पाबन्दियां लगा दी हैं । परिणाम यह है कि भाव गिर गये हैं, कुछ बाजार एक महीने तक बन्द रहे । किसानों को उचित मूल्य नहीं मिला और उन्हें अपनी कपास न्यूनतम दामो में बेचनी पड़ी ।

मेरी प्रार्थना है कि यदि आप नियंत्रण नहीं उठा सकते हैं तो आप उत्पादकों की सहायता अवश्य करें । आप वस्त्र आयुक्त द्वारा लगाये गये नियंत्रण हटायें क्योंकि उनसे कृषकों द्वारा पैदा की गई रुई का मूल्य कम हो गया है । इस संदर्भ में मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह हमें बतायें कि प्रति वर्ष किस आधार पर मूल्य निर्धारित किया जाता है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह रुई का मूल्य बढ़ा कर उत्पादकों के साथ न्याय करें ।

श्री वारियर (त्रिचूर) : उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बाजार के एक वर्ग के साथ व्यापार चलाना हमारे हित में नहीं है । इस का कारण यह है कि जो भी संकट उस बाजार में आयेंगे उनका प्रभाव हमारे यहां पर भी पड़ेगा जो हमारे हित में नहीं है । इस लिये हमारी सरकार को समाजवादी संसार के नये प्रतियोगी बाजार की ओर ध्यान देना चाहिये ।

मेरा निवेदन है कि चीनी का मूल्य आम बाजार में 1 रुपया 30 पैसे निर्धारित किया गया है यदि वितरण खर्च समेत इसकी लागत 1 रुपया 30 पैसे बैठती है तब तो यह मूल्य उचित है । परन्तु यदि लागत कम बैठती है तब यह अधिक राशि कहां जाती है । मेरे विचार से इसका लाभ विदेशों को जाता है । चाहे श्री मनुभाई शाह ने निर्यात के लाभ के बारे में हमें विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया है

[श्री वारियर]

परन्तु मुझे विश्वास नहीं आता है । मेरे विचार से अच्छा होता यदि हम चीनी की बजाय अन्य वस्तुओं का निर्यात करते । इस लिये मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि सरकार को कम से कम चीनी के मामले में समय-समय पर अपनी नीति का पुनर्विलोकन करते रहना चाहिये । हमें समाजवादी संसार के उन बाजारों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये जहां हमारा व्यापारान्तर प्रतिकूल नहीं है ।

दूसरी बात मैं विदेशों के साथ व्यापार के बारे में कहना चाहता हूं । विदेशों के साथ व्यापार करते समय राजनीति बीच में आ जाती है । हमने एक बार अपनी आर्थिक नीति के बारे में कुछ धारणाये बना ली हैं । यदि हम अपनी आर्थिक स्थिति को उन धारणाओं के अनुसार नहीं बना लेते और यदि हम दूसरे देशों की धारणाओं के अनुसार चलने का प्रयत्न करेंगे तो हम अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं । हमारा देश स्वतंत्र है और हमें साम्राज्यवादी देशों के दबाव के आगे कभी नहीं झुकना चाहिये ।

विदेशों के साथ व्यापार करना कोई आसान बात नहीं है । इस में कई राजनीतिक उलझने आ जाती है । अतः व्यापार सम्बन्ध जोड़त समय हमें विभिन्न बातों पर विचार कर लेना चाहिये ।

जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य का व्यापार प्रतिनिधि मण्डल आजकल हमारे देश में आया हुआ है । इस लिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उन के देश को मान्यता प्रदान करने तथा, उन्हों ने जो व्यापार की शर्तें पेश की हैं, उन से लाभ उठाने के बारे में अपने रवैये में कोई अदलाबदली की है। सूडान और काहिरा जैसे अफ्रीका के छोटे छोटे देशों ने, जिनका अभी बहुत कम विकास हुआ है, जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य को मान्यता प्रदान कर दी हुई है । परन्तु हम सदा हिचकिचाते रहे हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि हम सदा क्यों हिचकिचाते रहे हैं । अल्जीरिया को भी हमने बहुत देर बाद मान्यता प्रदान की थी । इस लिये हमें मान्यता प्रदान करने में सब से आग रहना चाहिये । अब हमें व्यापार प्रतिनिधिमण्डल ने जिस विकास ऋण और सहायता की पेशकश की है उसका पूरा पूरा लाभ उठाने का प्रयत्न करना चाहिये ।

मैं अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार सम्बन्धों के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं । कुछ ही दिन पूर्व हमने उस बारे में चर्चा की थी । बहुत से अफ्रीकी देश सदा यही शिकायत करते हैं कि हम उनके साथ व्यापार बढ़ाने के लिये काफी प्रयास नहीं करते हैं । उदाहरणार्थ हम सूडान के साथ रुई व्यापार को लेते हैं । उनका कहना है कि हम उनकी उतनी रुई नहीं लेते हैं जितनी वे हमें उस सामान के बदले देना चाहते हैं जिसकी उनको आवश्यकता है । इस लिये मेरा निवेदन है कि संसार में जो नई स्थिति उत्पन्न हो रही है हमें अपने व्यापार सम्बन्धों को उसके अनुसार ही ढालना चाहिये । हमें पुराने सम्बन्ध तोड़ने में कदापि डरना नहीं चाहिय । वे सम्बन्ध हमें गलत रास्ते में ले जा रहे हैं ।

तीसरी बात मैं देश की स्थिति के बारे में कहना चाहता हूं । देश की स्थिति बड़ी गम्भीर हो रही है । जैसा मेरे माननीय मित्र श्री स० मो० बनर्जी ने कहा है हमारी बहुत सी कपड़ा मिलें बन्द हो रही है। जहा तक केरल का प्रश्न है हम कह सकते है कि बिजली में कटौती होने के कारण वहां पर उत्पादन नहीं हो सकता । परन्तु दूसरे स्थानों पर क्या हुआ है । इस बारे में मेरे विचार से विदेशी व्यापार रास्ते में आता है क्यों कि हमें मिल के कपड़े में कम विदेशी मुद्रा मिलती है बजाय हथकरघा कपड़े के । परन्तु सरकार फिर भी हथकरघा बुनकरों को सहायता नहीं दे रही है । सरकार को बुनकरों को अवश्य सहायता देनी चाहिये । आज सुबह ही मुझे कणनूर से रिपोर्ट आई है । कणनूर ने हथकरधा उद्योग में बहुत प्रगति की है । परन्तु वहां पर बहुत माल पड़ा हुआ है और कोई उठा नहीं रहा है । सरकार ने उस माल को उठाने के लिये कोई योजना नहीं बनाई हुई है । इस लिये मेरा यह सुझाव है कि यदि बुनकरों के स्कन्धों के लिये उचित भाण्डागारों की व्यवस्था की जायेगी तो इससे उद्योग को न केवल देश में खपत करने में परन्तु निर्यात की दृष्टि में भी सहायता मिलेगी । हमें यह पता लग जायेगा कि मिल के कपड़े की तुलना में हम हथकरघें के कपड़ से कहीं अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं । परन्तु निर्यात अधिकतर मिल के कपड़े का ही किया जाता है ।

हमें उन वस्तुओं की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये जिन से हम अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं।

अब मैं आगे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें मसालों तथा मछली उद्योग के बारे में बहुत ध्यान देना चाहिये। परन्तु मुझे कहते हुए दुख होता है कि इस उद्योग की देश में उपेक्षा की जा रही है। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस उद्योग से खाद्य समस्या, विदेशी मुद्रा और बेरोजगारी की समस्या का काफी हद तक हल किया जा सकता है मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार अमरीका, नार्वे अथवा जापान जैसे देशों की भान्ति कोई ऐसी विशाल योजना यहां भी क्यों नहीं बनाती है। आपको यह जान कर आचम्बा होगा कि जापानी मछली पकड़ने वाली नौकायें अरब सागर तक मछली पकड़ने आती हैं और वे लोग मछली पकड़ा कर उन्हें डिब्बों में बन्द कर बेचत हैं और लाभ उठाते हैं। वह समुद्र हमारे बहुत निकट है परन्तु हम लाभ नहीं उठा रहे हैं। इस का कारण यह है कि हम उस उद्योग की उपेक्षा कर रहे हैं। इस लिये मैं सुझाव दूंगा कि इस उद्योग को वैज्ञानिक ढंग से चलाया जाये।

श्री मलाईछामी (पेरियाकुलम) : वाणिज्य मंत्रालय ने जो सराहनीय काम किया है उसके लिये म उन्हें सभा तथा देश की ओर से बधाई देता हूं।

आगामी कई वर्षों में निर्यात से लगातार आय होती रहे और उस आय में वृद्धि होती रहे, इस के लिये हमें बहुत अधिक महत्व देना चाहिये। परन्तु चालू वर्ष में आर्थिक विकास बहुत कम हो रहा है। औद्योगिक उत्पादन में 6 प्रति शत कमी हो गई है। इस के अलावा कृषि उत्पादन में भी कमी हुई है। समय पर विदेशी सहायता न मिलने के कारण औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। परन्तु इन परिस्थितियों के बावजूद भी हमारे मंत्री महोदय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास करने तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सफल रहे हैं।

हमारे निर्यात में काफी वृद्धि हुई है, हमारी आयात सम्बन्धी आवश्यकतायें भी पर्याप्त है परन्तु भुगतान-सन्तुलन में घाटा हुआ है जिसे समाप्त किया जाना चाहिये।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हम तभी मुकाबला कर सकत हैं जब हमारे दाम बहुत प्रतियोगी होंगे। इस लिये उत्पादन लागत को कम करने के लिये हमें बड़े पैमाने पर उत्पादन करना चाहिये और उद्योग को आधुनिक तथा यंत्रीकृत करना चाहिये। हमारे देश में चीनी की लागत संसार के अन्य देशों की चीनी की लागत में 2½ गुना अधिक है। इस अन्तर को हम वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास से दूर कर सकते हैं।

विपणन प्रविधियों के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम किया गया है। विदेशी व्यापार संस्था तथा निर्यात ऋण और प्रत्याभूति निगम तथा अन्य बहुत सी संस्थाओं ने विपणन प्रविधियों का आधुनीकीकरण करने के बारे में व्यापारियों, निर्यातकों तथा उत्पादकों का ध्यान दिलाया है। वस्तु अनुसन्धान तथा क्षेत्र अनुसन्धान बहुत अच्छा साबित हुआ है।

हमारे वाणिज्य मंत्री ने अल्प-विकसित देशों के मामले का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भली प्रकार समर्थन किया है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

हथकरघा उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिस में काफी लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। इस लिये इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करना चाहिये। हमें उस किस्म का कपड़ा भी अधिक बनाना चाहिये जिसकी अधिक खपत होती हो। हमें हथकरघे के माल के निर्यात में वृद्धि करने के लिये हर सम्भव कार्यवाही करनी चाहिये।

इस वर्ष काफी के निर्यात में काफी वृद्धि हुई है। देश में काफी उद्योग का बहुत विस्तार किया जा सकता है क्योंकि देश में इस की मांग दिन-प्रति-दिन बढ़ रही है। इसका निर्यात बढ़ाने के लिये

[श्री मलाई छामी]

भी भरसक प्रयत्न किया जाना चाहिये । अनुसन्धान केन्द्रों में किये गये अनुसन्धानों को काफी पैदा करने वालों तक पहुंचाया जाना चाहिय । सभी ऐसे राज्यों में प्रदर्शन केन्द्र भी स्थापित किये जाने चाहिये जहां पर काफी पैदा की जाती है ।

इलायची बोर्ड का बनाया जाना भी प्रशंसा का विषय है । इससे इलायची उद्योग का विस्तार किया जा सकता है तथा उसका अधिक मात्रा में निर्यात करने में भी सहायता मिल सकती है । पौधों को नष्ट करने वाले रोगों का उपचार करने के बारे में भी प्रयास किया जाना चाहिये ।

यह प्रशंसा की बात है कि हमने रुस को 1965 में 1000 टन केलों का निर्यात किया था । हमें उस देश को केले अवश्य भेजते रहना चाहिये । हमें इस के निर्यात के लिये अन्य बाजार भी ढूंढ़ने चाहिये ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—जारी
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—*Contd.*

तथाकथित नागा संघीय सरकार द्वारा "गणतन्त्र दिवस" मनाने के समाचार—जारी

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : मैं वैदेशिक कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं कि.....

अध्यक्ष महोदय : आप यह पहले ही कर चुके हैं । अब वह प्रश्न पूछ सकते हैं ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I want to ask a question through you from the Minister of State in the Ministry of External Affairs regarding reported celebration of "Republic Day" by the hostile Nagas?

Mr. Speaker : I was just saying that a Member may ask a question from another member barring Ministers and according to your definition that Member includes Minister unless the context otherwise shows, it does not include Ministers.

Shri Madhu Limaye : Sir, You may kindly refer to Rule 2(1).

Mr. Speaker : I have read that.

Shri Madhu Limaye : The definition of member is:—" 'Member' means a member of the House of the People (Lok Sabha) :"

Again— 'Minister' means a member of the council of Ministers, a Minister of State, a Deputy Minister or Parliamentary Secretary."

Mr. Speaker, Sir, it makes the whole matter clear. The definition of Member ncludes the Minister.

Mr. Speaker : You may now sit down.

Shri Madhu Limaye : I want to know whether Shri Dinesh Singh is taking back his statement as was the wish of the House.

अध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरूआ ।

श्री हेम बरुआ : तथाकथित नागा संघीय सरकार ने कोहिमा के निकट अपना समारोह मनाया और वहां विद्रोहियों का झंडा फहराया और इन समारोहों में पादरी स्काट और कुमारी मारजोरी साईक्स ने भाग लिया । उन्होंने जान बूझ कर इन कार्यवाहियों द्वारा कथित युद्ध-विराम समझौते का उल्लंघन किया ।

1964 में नागा संघीय सरकार ने मनीपुर के माओ सब-डिवीजन में अपना स्वतंत्रता-समारोह मनाया। मैं जानना चाहता हूं कि (क) क्या सरकार यह मानती है कि नागा विद्रोहियों ने युद्ध-विराम समझौते का उल्लंघन किया है, (ख) क्या सरकार यह बात मानती है कि पादरी स्काट और कुमारी मारजोरी साईक्स ने उनके समारोह में भाग लेकर उनके विद्रोह को उकसाया है और यदि हां, तो क्या सरकार ने उनको चेतावनी दी है, (ग) क्या सरकार समझती है कि नागा लैण्ड में शांति-स्थापना के लिये यह लम्बी बातचीत अब निरर्थक हो गयी है, और (घ) क्या आसाम और नागालैण्ड के राज्यपाल ने केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त कर ली थी ? यदि उन्होंने अनुमति नहीं ली थी तो क्या अब सरकार ने राज्यपाल, श्री विष्णु सहाय को उनके पद से हटाने के बारे में फैसला कर लिया है ?

श्री हरि विष्णु कामत (हौशंगाबाद) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। नागालैण्ड भारत का अंग है। इस प्रश्न का उत्तर गृह मंत्री जी द्वारा न दिया जाकर वैदेशिक-कार्य मंत्री द्वारा क्यों दिया जाता है ? क्या यह कोई विदेशी क्षेत्री है।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में कई बार विचार किया जा चुका है और इसका कई बार उत्तर दिया जा चुका है।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : विद्रोही नागाओं का किसी भी प्रकार का जमाव और उनमें सशस्त्र व्यक्तियों का होना उस समझौते की भावना के विपरीत है जो उस समय किया गया था जब विद्रोही नागाओं के विरुद्ध कार्यवाही स्थगित की गई थी और हम इसे बड़ा गम्भीर समझते हैं।

जैसे ही नागालैण्ड सरकार को यह सूचना मिली कि विद्रोही नागा कोई ऐसी सभा करना चाहते हैं जिससे बड़ी संख्या में सशस्त्र व्यक्ति शामिल होंगे, भूमिगत नागा नेताओं को बड़े स्पष्ट शब्दों में यह बात बता दी गई थी कि सरकार इस कार्यवाही को बड़ा गम्भीर समझती है और समझौते की शर्तों के उल्लंघन को सहन नहीं किया जायगा। नागालैण्ड में कार्यवाही स्थगित करने की शर्तों में यह व्यवस्था थी कि वे लोग सुरक्षा चौकियों के आसपास एक हजार गज के फासले तक शस्त्र और वर्दी धारण करके नहीं आ जा सकते। यदि उन्होंने कोई सभा की तो हम तो इसको अच्छा नहीं मानते लेकिन शस्त्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही और अन्य कार्यवाही को पृथक पृथक समझना चाहिय। हमें इसको अधिक महत्व नहीं देना चाहिये चाहे वह इसे कुछ भी समझें। वास्तव में शस्त्रों के प्रयोग, शस्त्रों और सशस्त्र व्यक्तियों के प्रदर्शन और उनके गांवों से होकर गुजरने और वहां एकत्र होने पर रोक लगाई गयी थी। मैं इस सभा की इस भावना से पूर्णतः सहमत हूं कि इस सभा में पादरी स्काट की उपस्थिति से उन्हें प्रोत्साहन मिला। यह वांछनीय नहीं था। हम इस बारे में आग कार्यवाही करेंग। जहां तक दिवस मनाने का सम्बन्ध है, इस 22 मार्च का कोई विशेष महत्व नहीं है और इस दिन कभी कोई समारोह नहीं किया गया। ऐसा उन्होंने केवल पहली बार किया। वहां पर कार्यवाही स्थगित करने की शर्तों के अनुसार शस्त्रों का प्रयोग, उनका प्रदर्शन और उन्हें किसी क्षेत्र विशेष में लाना आपत्तिजनक है। इतना होते हुए भी हम यह समझते हैं कि उनका एक साथ समवेत होना और वहां कुछ सशस्त्र व्यक्तियों का उपस्थित होना, चाहे वे नियमित सेना के सदस्य न हों, आपत्तिजनक है और हम इस मामले में आगे कार्यवाही करेंगे यह सच है कि उन्होंने झंडा लहराया था लेकिन हम इसे किसी दल, व्यक्ति या वर्ग के झंडे से अधिक कुछ नहीं समझते। उनकी संख्या थोड़ी है और यदि हम उन्हें अधिक महत्व देते हैं तो हम अनावश्यक ही उनको वह दर्जा देंगे जिसे हम मान्यता नहीं देते। हमें उस झंडे को जनसंघ के झंडे अथवा साम्यवादी दल के झंडे की तरह एक राजनीतिक दल का झंडा समझना चाहिय। (**अंतर्बाधा**)

Shri Madhu Limaye : They are hostiles. They should not be compared with us.

श्री स्वर्ण सिंह : मैं कई बार स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं कि हम किसी भी व्यक्ति, दल अथवा संगठन को सरकार के रूप में मान्यता नहीं देते। यह केवल तथाकथित नाम है और वे अपने चिह्न के रूप में जो कुछ भी कहेंगे हमें वह अमान्य है। इसलिये हमें उनके किसी नाम को महत्व नहीं देना चाहिये।

[श्री स्वर्णसिंह]

यह सच है कि जब वहां शांति स्थापित की जा रही थी तो उनकी कार्यवाहियां विद्रोहात्मक थीं। सेना उनका मकाबला कर रही थी। हमने चाहा कि इस समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाये। इसमें कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है। लेकिन जब तक यह बातचीत चलती है, हमें यह सुनिश्चित करना है कि कार्यवाही स्थगित करने के सम्बन्ध में जो शांति-शर्तें रखी गयीं, उनका हम सख्ती से पालन करेंगे। लेकिन यदि वे इसका उल्लंघन करते हैं तो इस बारे में हम उनसे सीधे निपटेंगे।

यह सच है कि इस लम्बी बातचीत में कुछ अधिक प्रगति नहीं हुई है। लेकिन कोई कार्यवाही करने से पहले हमें उस बातचीत की प्रतीक्षा करनी चाहिये, जो उनके प्रतिनिधि प्रधान मंत्री से करना चाहते हैं। अब यह सीधी बातचीत हो रही है और शान्ति मिशन निष्क्रिय होता जा रहा है। (**अन्तर्बाधा**)

जहां तक अनुमति देने का सम्बन्ध है, कोई अनुमति नहीं दी गई। वास्तव में जब यह पता लगा कि उनके समवेत होने और उनमें सशस्त्र व्यक्तियों के होने की संभावना है तो उनको कड़ी चेतावनी दी गयी थी कि इस की अनुमति नहीं दी जायगी।

श्री हेम बरुआ : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। मंत्री महोदय ने अभी बतलाया कि इस समारोह के लिये तथा-कथित नागा संघीय सरकार की कोई अनुमति नहीं दी गयी थी। आज प्रातः भारत की प्रधान मंत्री ने बतलाया कि उनको अनुमति दी गई थी और यह अनुमति देने के लिये आसाम के राज्यपाल जिम्मेवार हैं—हम किस वक्तव्य को सही समझें ?

श्री त्यागी (देहरादून) : मैं भी इस बात से सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं पता लगाऊंगा।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister for External Affairs has tried to white-wash the situation. His statement is quite different than that of Shri Dinesh Singh and the Prime Minister. In the morning it was confirmed that Shri Vishnu Sahai, Governor, gave permission for this gathering and that celebrating the Republic Day by Nagas was not against the provisions of our Constitution. I want to know why stern action is not taken against Naga hostiles.

Mr. Speaker : This is suggestion for action.

Shri Yashpal Singh : Whose statement are we to accept the statement of the Prime Minister or the statement of the Foreign Minister?

Mr. Speaker : I said that I will find out.

श्री रंगा (चित्तूर) : मंत्री महोदय का उत्तर स्पष्ट नहीं था। अतः मेरा अनुरोध है कि प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर दिया जाये।

Shri Yashpal Singh : How they were permitted to celebrate it?

श्री रंगा : क्या प्रश्न का कोई उत्तर दिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Michael Scott is a very dangerous person. He played antinational role at the time when the Nagas celebrated their Republic Day. There is a strong demand in the House that he should be asked to leave this country. May I know whether Government propose to take same steps in this matter.

May I know the reaction of Minister of External Affairs on the views expressed by the Prime Minister or the Minister of State in the Ministry of External Affairs about Michael Scott?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं स्पष्ट रूप से बता चुका हूं कि तथाकथित समारोह में उनकी उपस्थिति आपत्ति-जनक थी और इस मामले की जांच की जायेगी ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I want to know whether he will be externed or not?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सुझाव कार्यवाही के लिये है । मैं सारी स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं । हथियारों के प्रदर्शन के लिये लिखित रूप में कोई अनुमति नहीं मांगी ली गई थी । हमने मामले की जांच कर ली है । प्रधान मंत्री के वक्तव्य में कोई विपरीत बात नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है कि प्रात: दिये गये उत्तरों से स्थिति स्पष्ट नहीं हुई हो । अत: मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह उस मामले पर विचार करें ।

अनुदानों की मांगें, 1966-67—जारी
DEMANDS FOR GRANTS, 1966-67—*contd.*

वाणिज्य मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं । अत: इन्हें प्रस्तुत समझा जायगा ।

वाणिज्य मन्त्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
1	17	श्री बड़े	उद्योग (विकास विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत उद्योगपतियों द्वारा बन्द की गई कपड़ा मिलों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की आवश्यकता ।	100
1	18	श्री बड़े	तीसरी पंच-वर्षीय योजना में कुटीर उद्योगों के लिए रखे गये धन का उपयोग न किया जाना ।	
1	19	श्री बड़े	देश में हथकरघा-बुनकरों को पर्याप्त मात्रा में सूत का न दिया जाना ।	100
1	20	श्री बड़े	चाय, चीनी, मिल क बने कपड़े और कच्ची ऊन क निर्यात में कमी ।	100
1	21	श्री वारियर	विपणन विकास निधि के कार्यचालन में सुधार की आवश्यकता ।	100
1	22	श्री वारियर	व्यापार बोर्ड के कार्य चालन में सुधार की आवश्यकता ।	100
1	23	श्री वारियर	अनुसन्धान संस्था के कार्यचालन में सुधार की आवश्यकता ।	100

मांग सख्या	कटौती प्रस्ताव सख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशी
1	24	श्री वारियर	किस्म नियंत्रण और लदान-पूर्व जांच का निर्यात-बाजार पर प्रभाव ।	100 रुपये
1	25	श्री वारियर	निर्यात-योग्य माल के बारे में हमारे प्रकाशन का विभिन्न देशों में प्रभाव ।	100 रुपये
1	26	श्री वारियर	भारत-सोवियत पंच वर्षीय व्यापार करार	100 रुपये
1	27	श्री वारियर	पश्चिमी जर्मनी के साथ व्यापार-सम्बन्ध	100 रुपये
1	28	श्री वारियर	निर्यात का विकास करने के लिए हथकरघा-बुनकरों को और अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	29	श्री वारियर	प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन तथा हमारी रबड़ से बनी वस्तुओ के लिए विदेशी बाजर ढूढ़ने के लिए और अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	30	श्री वारियर	इंजीनियरी की तथा निर्मित वस्तुओं के और अधिक निर्यात की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	31	श्री वारियर	खनिज और व्यापार धातु निगम लिमिटेड के कार्यचालन में सुधार की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	32	श्री वारियर	राज्य व्यापार निगम के कार्यचालन नें सुधार की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	33	श्री वारियर	निर्यात-आयात व्यापार के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	34	श्री वारियर	मछलियों तथा मछली उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	35	श्री वारियर	हस्त-शिल्पियों को प्रोत्साहन देकर हस्त-शिल्प की अधिक वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	36	श्री वारियर	आयात-प्रतिस्थापन के कार्य की समीक्षा की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	37	श्री वारियर	पूर्व यूरोपीय देशों के साथ व्यापार करार। .	100 रुपये
1	38	श्री वारियर	अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार करार तथा वाणिज्यिक सम्बन्ध ।	100 रुपये
1	39	श्री वारियर	काजुओं का निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता .	100 रुपये
1	40	श्री वारियर	मसालों का अधिक उत्पादन और निर्यात करने के लिये सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	41	श्री वारियर	नारियल-जटा उत्पादों के उत्पादन में विभिन्नता लाने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	42	श्री वारियर	निर्यात प्रत्यय तथा प्रत्याभूति निगम लिमिटेड के कार्य चालन में सुधार की आवश्यकता ।	100 रुपये
2	43	श्री बड़े	देश में सेनफोराइज्ड कपड़े का आयात	100 रुपये
3	44	श्री बड़े	खादी आयोग तथा हैदराबाद खादी बोर्ड के लेखों में अनियमितताएं ।	100 रुपये
113	45	श्री बड़े	खनिज और धातु व्यापार निगम, लिमिटेड में 1 करोड़ रुपये का विनियोजन ।	100 रुपये
	46	श्री बड़े	पठानी चाय बागान को अपने हाथ में लेने तथा उसका प्रबन्ध निर्वाचित प्रबन्धकों द्वारा किये जाने सम्बन्धी नियंत्रण ।	100 रुपये
1	47	श्री वारियर	प्रोत्साहन नीति के पुनरीक्षण की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	48	श्री वारियर	निर्यात में कमी होने के कारण . .	100 रुपये
1	49	श्री वारियर	पटसन का निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता .	100 रुपये
1	50	श्री वारियर	मसालों के निर्यात के लिये नई मंडी ढूढ़ने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	51	श्री वारियर	विभिन्न देशों को चाय का निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता ।	100 रुपये

अध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : अध्यक्ष महोदय वाणिज्य मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में मैंने चार कटौती प्रस्ताव रख हैं ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।**
THE DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को सरकारी तौर पर पढ़ने से ऐसा लगता है कि मंत्रालय ने गत वर्ष में अत्यन्त सराहनीय कार्य किया है । किन्तु उसका ध्यान पूर्वक अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि काम कुछ भी नहीं हुआ है । तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करके गलत रूप से पेश किया गया है इस से लोगों में गलत धारणा पैदा होती है ।

यह सराहनीय बात है कि मंत्री महोदय ने पुस्तकों के आयात के लिये अधिक विदेशी मुद्रा देने का निर्णय किया है । आशा है इस निर्णय को कारगर ढंग से कार्यरूप दिया जायेगा ।

प्रतिवेदन को पढ़ने से यह सन्देह होने लगता है कि जहां कहीं आंकड़े कम हैं उन्हें लाखों में दिखाया गया है और जहां खर्च अधिक था वहां उसको बहुत कम दिखाया गया है । इसका उदाहरण वह सारिणी है जिसमें रूस और भारत के बीच व्यापार की प्रवत्ति का पता चलता है । यह उचित नहीं है कि सरकार हमें व्यापार तथा भुगतान शेष की स्थिति नहीं बताती है । हमें यह जानना चाहिए कि क्या किसी मामले विशेष में हम ठीक चल रहे हैं या गलत ।

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : स्थिति यह है कि रुपयों में भुगतान वाले देशों रुपयों को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होती है। अतः यह राशि चाहिये जितनी भी हो, स्वतः ही समायोजित हो जाती है।

श्री नारायण दांडेकर : मंत्री महोदय का कहना ठीक है। किन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि रूस के साथ हमारा व्यापार संतुलित है अथवा नहीं। सभा को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि रूस के साथ हमारा व्यापार संतुलित है या उत्तरोत्तर हमारे प्रतिकूल होता जा रहा है। पूर्व यूरोप के दशों के साथ भी हमारा रुपयों में भुगतान के आधार पर है। प्रतिवेदन में इसके सम्बन्ध में भी कुछ आंकड़े करोड़ों में दिये है और कुछ लाखों में। वर्ष 1959 से 1964 की अवधि में 29 करोड़ रुपय का व्यापार संतुलन हमारे प्रतिकूल था। समूची स्थिति का अध्ययन से ऐसा ज्ञात होता है कि पूर्व यरोप के देशों के साथ व्यापार सन्तुलन हमारे प्रतिकूल है। यह ठीक है कि इन देशों के साथ व्यापार संतुलन का विदेशी मुद्रा की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। किन्तु व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में न होना उचित नहीं है। प्रतिवेदन में बताया गया है कि सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए हमें रुपयों में भुगतान व्यापार तथा स्वतंत्र विदेश व्यापार को एक समान ही समझना है। यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे हम बार बार दोहराते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसा समझना उचित नहीं है। हम उन देशों से जो आयात करते है उसके बदले में हमें निर्यात भी करना पड़ता है।

पिछले सात वर्षों में रुपयों में भुगतान में किये गये कुल व्यापार को देखते हुए, चाहे यह व्यापार रूस के साथ किया गया हो अथवा पूर्व यूरोप के देशों के साथ, व्यापार संतुलन की स्थिति हमारे बहुत अधिक प्रतिकूल है। प्रतिवेदन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन से संकेत मिलता है कि यह व्यापार हमारे प्रतिकूल नहीं है। प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि हम अबाध विदेशी मुद्रा वाले देशों से आयात की तुलना में रुपयों में भुगतान वाले देशों से आयात करने में अधिक उदार नहीं हैं। किन्तु देश में इस प्रकार की भावना है कि सरकार रुपयों में भुगतान वाले देशों से आयात करने के लिये ला सेंस देने के मामले में अधिक उदार है।

जहां तक निर्यात व्यापार की शर्तों का सम्बन्ध है, चाय, कपड़े आदि कई वस्तुओं के बारे में व्यापार की शर्तें हमारे प्रतिकूल हैं। हमें पूर्वी यूरोपीय देशों से आयात की शर्तें भी हमारे प्रतिकूल हैं। इन सब बातों के होते हुए भी जानकारी को तोड़मरोड़ कर दिया जा रहा है ताकि पता लगे कि पूर्व यूरोप के देशों के साथ हमारा व्यापार हमारे प्रतिकूल नहीं है। किन्तु मुझे सन्देह है कि रुपयों में भुगतान वाले देशों के साथ व्यापार तेजी से हमारे प्रतिकूल होता जा रहा है।

निर्यात बढ़ाने के लिये कई योजनाएं बनाई गई हैं। किन्तु मैं समझता हूं कि निर्यात को प्रोत्साहन देने से सम्बन्धित योजनाओं से, जिनका अर्थ आयात करने का अधिकार देने वाली योजनाएं हो जाती हैं, देश को कोई लाभ नहीं हुआ है। इस से देश में चोरबाजारी को बढ़ावा मिला है और लोगों ने बहुत काला धन जमा किया है। यह सब राज्य व्यापार निगम को एकाधिकार दिये जाने के कारण हुआ है।

जहां तक निर्यात संवर्धन योजनाओं के परिणाम का सम्बन्ध है, विभिन्न वर्षों के आकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन से जाहिर है कि देश को उनसे कोई ठोस लाभ नहीं पहुंचा है। सच तो यह है कि देश के हित की उपेक्षा हुई है और देश में चोर बाजारी को प्रोत्साहन मिला है तथा लोगों के पास बिना लेखे का बहुत सा धन जमा हो गया है।

मैं मंत्री महोदय की इस बात से सहमत हूं कि रुपये का इस समय अवमूल्यन करने से भयंकर परिणाम निकलेंगे और हमारे लिए अन्य तरीके अपनाना आवश्यक है। मंत्रालय ने रुपये में भुगतान सम्बन्धी जो दावा किया है, तथ्यों के आधार पर उसकी पुष्टि नही की गई है। दूसरी बात यह है कि निर्यात संवर्धन की कुल योजनाएं तथा व्यापार की 20 प्रतिशत की नकदी सहायता देना उचित नहीं है। इस नीति से हमें आशानुकूल लाभ नहीं हो रहा है। यदि व्यापार की 20 प्रतिशत की नकदी सहायता दने के बजाय इस राशि को समूच व्यापार के लिए किसी अन्य तरीके से दिया जाता तो उसका काफी अच्छा परिणाम निकल सकता है।

श्री व० बा० गांधी (बम्बई नगर-मध्य दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रालय द्वारा की गई चतुर्मुखी प्रगति का विवरण उस के प्रतिवेदन में मिलता है। देश में इस समय विदेशी मुद्रा की अत्यधिक कमी है जिससे इस दिशा में हम एक भयंकर स्थिति से गुजर रहे हैं और हमें अपना निर्यात बढ़ाने की सख्त आवश्यकता है किन्तु मुझे सन्देह है कि हम शायद निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता को उतना गंभीर रूप नहीं दे रहे हैं जितना कि परिस्थितियों का तकाजा है। मैं समझता हूं कि निर्यात के माध्यम से हम जितनी विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते थे, उतनी नहीं की गई।

यह अभिव्यक्ति कि "जितना निर्यात हम कर सकते हैं" उचित नहीं है। मेरा अभिप्राय यह है कि हमें उतना निर्यात करना चाहिए जितना विदेशी खरीददार हमारे मूल्यों पर खरीदने के लिए तैयार हों चाहे उससे देश में घरेलू उपभोग में कमी ही क्यों न पड़े। हमें खरीददार की मांग के अनुसार यथासंभव निर्यात करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। विदेशी मुद्रा की अत्यधिक आवश्यकता को देखते हुए, हमें घरेलू आवश्यकताओं पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए।

जहां तक आयात का सम्बन्ध है, विदेशी मुद्रा की बिकट स्थिति को देखते हुए हमने आयात कम करने का दृढ़ संकल्प कर लिया है। किन्तु आवश्यक आयात के बिना भी गुजारा मुश्किल है क्योंकि विश्लेषण करने पर हमें पता चलता है कि आखिर हम कच्चे माल, कल-पुर्जे, मशीनरी के पुर्जे तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं का जो उत्पादन के लिए आवश्यक है, अधिकांशत: आयात करते हैं जिससे निर्यात में अग्रेतर वृद्धि होती है। इसलिए आयात के बारे में हमें इस प्रकार के कड़े उपाय लागू नहीं करने चाहिए।

इस समय दिल्ली में हमारे वाणिज्य मंत्री की अध्यक्षता में दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में आर्थिक सम्मेलन हो रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश देश मुख्यत: वस्तु-उत्पादक हैं और व्यापार की शर्तों तथा वस्तु-मूल्यों का उनपर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ता है। अत: यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में इस 'इकेफे' अधिवेशन में गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए क्योंकि वस्तुओं के मूल्यों में मामूली परिवर्तन से भी आयात तथा निर्यात व्यापार पर काफी असर पड़ता है।

Shri Bade (Khargone) : Mr. Deputy Speaker, Sir, Ministry has prepared an excellent Report giving a great deal of information regarding the progress achieved by them however I support Mr. Dandekar's observation that it brins us into confidence. It is silent on the defects, to find out the actual state of affairs one is required to go deep into it. The Ministry have constituted as many as 9 committees/organisations to deal with problems relating to export promotion alone. In spite of this last year the exports had gone down by Rs. 2.3 crores in value as compared to 1964. It appears from the statement of the Minister of State which, the other day, he made in the Rajya Sabha that in the current year also, we would not be able to export as per our target.

Although there have been diversity of exports, there have been losses in a number of items such as cotton textiles, sugar, coffee, maganese, ferromaganese, wool etc., which were exported to Canada and Russia. Making an assessment of the situation and going into the reasons, I only come to the conclusion that our wrong policy of granting import-export licenses is alone responsible for this. Our small industries suffer for lack of raw materials due to non-availability of foreign exchange. For the purpose, they have to run from office to office and table to table but in vain. In absence of foreign exchange facilities and lack of required raw materials, productions in industries suffers. That is why a great deal of production capacity in the Private Sector is lying unutilised today. On the other hand, the bulk of the machinery has been imported for the Public Sector Projects but nothing has been mentioned in the Report about the quantity of exports from the Public Sector production. Perhaps it is nil.

The non-availability of foreign exchange today is due to wrong policy of Government being pursued in this behalf. Many individuals in their private

[Shri Bade]

capacity visit foreign countries and spend a lot of foreign exchange. Where does this huge amount come from; and why do not Government ask them to disclose their sources? Huge amount of foreign exchange is also spent on the good-will missions sent abroad.

You must also try to resolve the difficulties faced by the factory owners, who manufacture goods for export. If you want to increase agricultural production, you must provide all essential commodities therefor, such as latest implements, equipment, improved quality seeds, fertilisers etc. I fully agree with the views expressed on page 37 of your Report regarding devaluation, to which I am opposed. The views of the Economist should be solicited in the matter.

Your cotton policy is basically wrong. The cotton growers do not get remuneration price. My hon. friend Shri Rane also referred to this point. I come from the nearby area, so I am fully aware of the conditions there. The businessmen there had closed down the market for a month. They refused to purchase 500 cartloads of cotton. Since they are not prepared to purchase cotton from the growers at the rates fixed by you, you must lay down the minimum as well as maximum price. The ginning factories are exploiting the situation to the disadvantage of the growers. The industrialists have increased their profits, the employers have enhanced their salaries,then agriculturists should notget more. Their position is static.

Shri Manubhai Shah : The cloth should be cheaper and the price of cotton should be higher, these two inconsistent things.

Shri Bade : I have received a telegram from handloom weaver's complaining against the levy of excise duty on cotton yarn of 22 to 28 counts. This levy has hit them very hard. How far it is justified to impose taxes on handloom cloth, which is an export item. I will appeal to you to exercise your influence on the Finance Ministry to impose levy only on cotton yarn of more than 28 counts.

Next I will say a few words about sugar. Though we have maintained our exports the export returns in terms of value have been declining. Instead of creating a buffer stock of 12 lakh tons if you decontrol sugar it will benefit the sugar industry as also the sugarcane growers. It will also result in increased production and the export target of Rs. 51,000 crores under the Fourth Plan will also be successfully achieved.

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga) : Mr. Deputy Speaker, Sir, it gives me pleasure to support the Demands for grants of the Commerce Ministry. The performance of this Department and its attached and subordinate offices has been satisfactory to a great extent. It is heartening to note that this Department has been raised to cabinet status.

The Indo-Pakistan conflict has greatly affected our economy. The drought has resulted in lesser agricultural production which means more imports of foodgrains and lesser exports of articles in view of lesser production of raw materials. The steps taken by the Ministry to boost exports have been satisfactory. We must cut down our imports though we may have to undergo some hardships.

A number of our industries suffered a set back during the Indo-Pak. conflict. We now depend for raw materials on foreign countries for which foreign exchange is needed.

[श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुए
SHRI SHAM LAL SARAF *in the Chair*]

The various Government institutions and those connected with the industries should make an all out effort at import substitution of the basic raw materials.

Then I will draw your attention to the delegation going abroad. I entirely agree it is necessary to send delegation aborad and to invite delegations from other countries but we must cut down their number, the number of members, officials and non-officials and expenditure thereon to the barest minimum and there should be proper assessment of their achievement. This would enable us to check drainage of foreign exchange.

I have a grievance that the prices of textiles instead of coming down with the increased research in the field of technology and science the prices have rather gone up. The prices of the other basic necessity foodgrains have also been rising constantly. The working of the office of the Textile Commissioner, which is charged with the responsibility of developing and fostering the textile industry, calls for a review. I feel that he has kept himself concerned mainly with imposing controls. It must be seriously gone into why prices continue to rise in spite of advancement in technology and science. There has been no improvement in the position in spite of the appointment of Textile Committee by Government.

So far 18 export promotion councils have been set up. I have not yet got the report of the Committee appointed to go into the working of these councils.

Shri Manubhai Shah : It has been distributed in Parliament.

Shri Shree Narayan Das : We must raise the standard of these councils and strengthen so that our exports may be increased and we may earn more and more foreign exchange which we need very badly. I am in full agreement with the view expressed by the hon. Minister at the E.C.A.F.E. conference being held in our country under the auspices of United Nations—that the advanced countries should extend help to the under-developed and developing countries. Before concluding I will stress one point that in the matter of developing trade links we should not bother ourselves with the ideological differences and should keep ourselves mainly concerned with business interests in such matters.

Shri Mohan Swarup (Pilibhit) : Mr. Chairman, Sir, the prosperity of any country depends firstly and mainly on the inability of economy, whether it be agricultural economy or industrial economy, and secondly on the its export earnings. As regards the first our Government has miserably failed and in regard to the second point also the position is not very good. From the figures given at page 9 of the Report I find that our imports have gone up during 1965 in comparison to exports. This Ministry is entrusted with two types of work, developmental/promotional and regulatory. The regulatory work covers export-import, forward trading and metric weights and measures.

The number of export organisations in the country is very small, the number being only 18. The number of export promotion councils should be increased so as to ensure proper and greater coordination amongst producers, growers and exporters. The Review Committee on Export Promotion councils has made some 106 recommendations which should be implemented. Commodity boards should be set up for each commodity such as coffee, tea, rubber, shellac, handlooms, spices, cashew, mica, hides, leather, wool, iron etc., as recommended

[Shri Mohan Swarup]

by the Review Committee. Next I will like to draw your attention to the difficulties faced by the actual users on account of too many formalities to be fulfilled for getting licences. The procedure for issue of licences should be liberalised. There has been a constant complaint of the importers abroad that Indians goods are often found to be sub-standard. It was only two or three years back that Russia returned 50,000 pairs of shoes supplied to them by the State Trading Corporation of India on being found sub-standard. On one hand we should encourage the industrialists to produce more and export more and give them liberal facilities therefor. On the other hand we should impose quality control in respect of goods being exports as if the prestige of the country suffers abroad.

As regards the consumers' goods, the production should be increased. It is the scarcity of goods in the country which is responsible for smuggling. The countries of West Africa are fast developing as exporters of iron. Therefore, we must take timely steps to face competition with them. Though our exports of sugar have not declined the earnings thereof have declined because of difference in our prices and the international prices. I feel that we should pay greater attention to agriculture as 75 to 80 per cent. articles are grown in the fields. We have good market for handlooms, hair and wigs, diesel engines, sewing machines, jute goods, electric fans, wire and cables etc. in South East Asia, Africa and Middle East. We must increase export of these articles. At the same time we should be vigilant enough to guard against the increasing competition posed by China and Pakistan.

I am totally opposed to the idea of devaluation of rupee and support the Government's views on the subject as it would result in increased taxation. We must make earnest efforts to achieve the target of Rs. 5,100 crores in respect of trade laid down in the Fourth Five Year Plan. There was an increase of 48 crores in imports in 1965. Imports of all types of goods such as foodgrains, fertilisers, raw jute, iron & steel, machinery, went up during 1965. A lot of our foreign exchange is being wasted on these imports. We must produce these articles indigenously to cut down our imports and save foreign exchange. The use of fertiliser is increasing every day, so we should establish fertiliser factories in our country and thus save crores of rupees. We should make good use of various media such as radio, newspapers for developing trade. The object of tariffs is to give protection to progressive industries but it is unfortunate that the recommendations of the Tariff Commission are not implemented properly. The introduction of metric weights and measures has caused great confusion. Both, the old and the new, weights and measures are being used in the rural areas and the traders are exploiting the situation. Effective steps should be taken to enforce the metric weights and measures.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

The working of State Trading Corporation has not been satisfactory. The decontrol of cement is a welcome measures. But it has resulted in sale of cement in the black market. The position is very bad particularly in U. P. The genuine consumers are unable to get cement from the dealers. The State Trading Corporation should adopt some good system so as to solve this problem and end corruption.

Like the free port of Kandla, a free port should be established on the eastern coast also in order to encourage free trade in the country.

Shri Sheo Narain (Bansi) : A shining figure is now at the head of the Commerce Ministry and under his able stewardship we have every hope that poverty would be banished from this country.

As I myself am a farmer, I shall suggest that more attention should be paid towards agriculture. Tractors and other modern implements should be provided to the farmers at cheap rates.

Mr. Speaker : The hon. Member may continue tomorrow.

---

*दिल्ली में एक ज्योतिषी के घर पर छापा मारना
†RAID ON ASTROLOGER'S HOUSE IN DELHI

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : इस आधे घण्टे की चर्चा के बारे में मैंने आश्वासन दिया था कि सरकार एक वक्तव्य देगी। उसी के अनुसरण में मैं एक वक्तव्य दे रहा हूं। गृह-कार्य मंत्री ने अध्यक्ष महोदय तथा पहले प्रधान मंत्री को इस बारे में लिखा पढ़ी की थी। गृह मंत्री ने कुछ माननीय सदस्यों द्वारा अपने विभिन्न वक्तव्यों में उठाई गई सभी बातों का साफ साफ उत्तर दिया है और कहा है कि :

(1) श्री चमनलाल की फर्म के मामले में उन्होंने प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं किया।

(2) इस आरोप में कोई सचाई नहीं है कि श्री चमनलाल के विरुद्ध मामले को दबाने में उन्होंने अपने पद का लाभ उठाया।

(3) उन्होंने किसी के साथ रियायत किये जाने के लिये नहीं कहा।

(4) उन्होंने वित्त मंत्री को ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया कि किसी विशेष मामले में कोई रियायत दी जाये या किसी मामले में जिसके बारे में वित्त मंत्री ने निर्णय लेना है पूर्ण न्याय न किया जाये।

(5) श्री ति० त० कृष्णमाचारी द्वारा त्यागपत्र दिये जाने में उनका कोई हाथ नहीं है। इसका कारण संसद् के कुछ सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को एक ज्ञापन पेश किया जाना था। उस ज्ञापन से उनका (गृह मंत्री का) कोई सम्बन्ध नहीं था और इस आरोप में कोई सचाई नही है कि उन्होंने ही उन लोगों को जिन पर श्री ति० त० कृष्णमाचारी के वित्तीय प्रस्तावों से प्रभाव पड़ा था उनके विरुद्ध एक ज्ञापन देने के लिये उकसाया था।

मुझे केवल यही कुछ कहना है।

श्री सेझियान : इसे सभा-पटल पर रखा जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The whole thing has become very mysterious. The way Shri Nanda's name has been associated with this astrologer, it has become all the more mysterious. The Congress leaders and the Congress Government have no morals, no principles or ideals before them which they

---

*आधे घंटे की चर्चा।

†Half an hour discussion.

[Shri Madhu Limaye]

had before independence. They have no work and this is why they find time to consult astrologers and try to better their future prospects. The astrologer in question according to some Income-tax Officers' investigation has more than Rs. 10 lakhs deposited in his name. After the raids by the Enforcement Directorate staff on his House and Joshi Traders—a firm in the name of Shri Haveli Ram and his two sons—pressure was exerted through the Chairman of the Board of Direct Taxes and the Governor of the Reserve Bank at the instance of the Home Minister and the Deputy Home Minister, as far as my information goes.

My real point is this that if the astrologer in question has a big amount deposited in his name in any bank or elsewhere, it should be fully investigated. The other things to be investigated are : whether he pays income tax or not and who are the persons with whom he is associated.

It appears that the Home Minister is trying to conceal something in this case. I have come to know that the concerned officers do not want to divulge facts as they will be open to victimisation. The Central Bureau of Investigation is also under the Home Ministry. I, therefore, submit that the Home Minister should first resign and a judicial enquiry should be held in this case.

श्री मनोहरन : श्री हवेली राम ने जो गृह मंत्री नन्दा का पारिवारिक पुरोहित है अध्यक्ष महोदय को गलत पत्र लिख कर न केवल उनका ही अपितु इस महान संसद् का भी अपमान किया है। वह अपनी ज्योतिष की आड़ में मंत्रियों विशेषकर श्री नन्दा पर दबाव डालता रहा है और उनसे काफी कुछ कराता रहा है। इस प्रकार उसने काफी बड़ी राशि जमा कर ली है। इस सब को देखते हुए मैं चाहता हूं कि श्री नन्दा अपने पद से त्यागपत्र दे दें क्योंकि उनके मंत्रालय पर ही सारे देश का प्रशासन निर्भर करता है। और फिर इस मामले की न्यायिक जांच कराई जाये। यदि ऐसा किया जायेगा तो देश को बहुत से रहस्यों का पता लगेगा।

जनपथ पर आल्प्स रेस्टोरां के एक भाग में "लुफ्टहंसा" एयरलाइन का दफ्तर है और दिखावटी तौर पर इस एयरलाइन से केवल 500 रुपये किराया लिया जाता है। परन्तु केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा जांच किये जाने पर पता चला है कि प्रति मास 5000 रुपये एक विदेशी बैंक में जमा कर दिये जाते हैं। केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा आपत्ति किये जाने के बावजूद भी इस प्रसिद्ध ज्योतिषी ने रेस्टोरां के मालिक के पक्ष में सारे मामले को दबाने तथा उन्हें पासपोर्ट दिलाने के लिये सरकार पर दबाव डाला है।

मैं इस बारे में सही सही जानकारी चाहता हूं।

Shrimati Ram Dulari Sinha (Patna) : From the speech of Shri Madhu Limaye it appears that he has full access to official machinery. I want to know what kind of exchange of information is going on between Mr. Madhu Limaye and the Government? Has this kind of thing been raised by the Government itself ?

Shri D. N. Tiwary (Gopalgani) : I do not know why the face of Shri Nanda is being tarred by implicating him in this case especially when he is engaged in *Sadachar* and anti-corruption drive in the country. Perhaps some persons take pleasure in raising such issues.

श्री क० ना० तिवारी (बगहा) : श्री मधु लिमये के भाषण के उत्तर में श्री भगत ने कहा था कि जोशी ट्रेडर्स पर छापा मारा गया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस छापे के दौरान वहां पर कोई आपत्तिजनक सामग्री मिली थी।

श्री शिव नारायण (बंसी) : क्या यह सच है कि इस ज्योतिषी ने सरकार को लिखा है कि जोशी ट्रेडर्स का श्री चमनलाल से कोई व्यापारिक सम्बन्ध नहीं है और उनका सरकार से अथवा किसी गैर-सरकारी उद्योग से कोई कारोबार नहीं रहा है ?

Shri A. N. Vidyalankar (Hoshiarpur) : Is Shri Madhu Limaye not publicising immorality by raising these baseless allegations in this august House?

Shri Chandramani Lal Chaudhry (Mahua) : Shri Nandaji has tried to eradicate corruption and dishonesty from the country. The opposition people have much grouse for all these things. They take contributions from workers and instigate them***

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : क्या सरकार को पता है कि श्री चमनलाल की फर्म तथा इस ज्योतिषी के घर पर छापा तब मारा गया था जब पहले केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा श्री रामनाथ गोयनका की फर्म पर छापा मारा जा चुका था ? क्या यह भी सच है कि श्री रामनाथ गोयनका भूतपूर्व वित्त मंत्री के घनिष्ठ मित्र हैं और श्री चमनलाल व्यापार में मैसर्स अमीन चन्द पियारेलाल तथा मैसर्स बी० डी० स्वामी एण्ड कम्पनी के विरोधी हैं ? बाद की दोनों फर्मों के मालिक भी भूतपूर्व वित्त मंत्री के घनिष्ठ मित्र हैं जो कि इस बात से जाहिर है कि उन्हें काफी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा दी गई है जबकि उनके खिलाफ विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के काफी मामले हैं।

क्या गृह मंत्रालय द्वारा श्री रामनाथ गोयनका के विरुद्ध की गई कार्यवाही का वित्त मंत्रालय के प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इस ज्योतिषी के घर पर मारे गये छापे से कोई सम्बन्ध है ?

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Shri Madhu Limaye hates every thing religious or having connection with any religion. He hates Shri Haveli Ram because he is an essence of our culture and Shri Nandaji, because he is after corruption and wants to establish a religious order. I do not find any other thing in this statement. If at all it is correct, a discussion for at least eight hours should take place in this House on this issue.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यदि वित्त मंत्री ने श्री हवेली राम को अपना हाथ नहीं दिखाया है तो वे आरोपो का उत्तर दें। अन्यथा अन्य मंत्री जी को इनका उत्तर देने के लिये कहा जाये।

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न पूछे हैं वे अधिकतर हवेली राम के बारे में ही हैं। उसके विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं और यह सुझाव दिया गया है कि मैं उसे कहूं कि वह त्यागपत्र दे। पहले ही उसके बारे में वक्तव्य दिया जा चुका है कि उसका इस मामले में कोई हाथ नहीं है। इसलिये फिर वही बात दुहराना उचित न होगा।

यदि सभा की इच्छा हो तो मैं इस मामले को संक्षेप में बता सकता हूं। ईरान स्थित हमारे राजदूत ने 1965 में हमें सूचित किया था कि जो काली मिर्च और मसाले अफगानिस्तान को जा रहे थे अब उन्हें ईरान भेजा जा रहा है जिससे विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है।

इस सम्बन्ध में किसी नाम का उल्लख नहीं किया गया था। परन्तु जो सूचना मिली उससे यह पता लग रहा था कि इस मामले का आरम्भ कहीं पश्चिमी तट पर हुआ है। हो सकता है कि कोचीन अथवा बम्बई में हुआ हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए चमनलाल ब्रदर्स तथा उसकी सहयोगी फर्मों समेत कई फर्मों में छापे मारे गये।

***कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

***Not recorded.

[श्री शचीन्द्र चौधरी]

कोचीन और बम्बई में धन के बारे में कुछ पता नहीं चला। इस के बाद दिल्ली में छापा मारा गया जो इस सम्बन्ध में नहीं था बल्कि कुछ अन्य जानकारी प्राप्त करने के सम्बन्ध में मारा गया था। उससे कुछ दस्तावेज़ मिले है। प्राप्त सूचना के अनुसार दरियागंज के कुछ कार्यालयों में तलाशी ली गई। वहां पर तीन व्यक्तियों के नाम कुछ टेलीफोन लगे हुए थे। वे तीनों व्यक्ति जोशी ही थे। उनमें से एक का नाम एच० एल० जोशी था। इस से यह अनुमान लगाया गया था कि वह हवेली राम होगा। यह केवल अनुमान ही है, उसके पूरे नाम का पता नहीं है।

जब कार्यालय की तलाशी ली गई थी तो कुछ नहीं मिला था। परन्तु बाद में जो सूचना मिली उस से पता लगा कि चमनलाल ब्रदर्स ने दो वस्तुओं का सौदा किया था। एक सौदा जरी का किया गया था जिसका निर्यात होंगकोंग को किया गया था। दूसरा सौदा काली मिर्च का किया गया था जिसका निर्यात अफगानिस्तान अथवा ईरान को किया गया था।

कार्यप्रणाली के बारे में यह सन्देह किया गया था कि जरी का अधिक मूल्य लगाया गया था और उसके लिये सरकार से निर्यात सम्बन्धी कुछ रियायतें ली गई थी। तथ्य तो यह है कि विदेशों में सौदा कम मूल्य पर बेचा गया। इसे पूरा करने के लिये काली मिर्च भेजी गई थी।

इसका नतीजा यह हुआ कि 75 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा के लिये बैंकों से निकाली गई राशि के बिल पाये गये। यह राशि देश में वापस न आ सकी।

रिजर्व बैंक उस राशि को अपने हाथ में लेना चाहता था। रिजर्व बैंक को श्री चमनलाल से भी एक आवेदन-पत्र आया था जिस में यह सुझाव दिया हुआ था कि यह राशि 40 लाख तथा 35 लाख रुपये की दो किश्तों में वापस आनी चाहिये। तब यह मामला प्रवर्तन विभाग को सौंपा गया। प्रवर्तन विभाग ने कहा कि जांच होने से पहले भी ऐसा किया जा सकता है। तब रिज़र्व बैंक ने यह महसूस किया कि प्रवर्तन विभाग द्वारा जांच किये जाने तक कम से कम 40 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा वापस लाई जानी चाहिये। ये 40 लाख रुपये वापस लाये जा रहे हैं परन्तु 35 लाख रुपये की शेष राशि अभी नहीं लौटाई गई है। प्रवर्तन विभाग अभी जांच कर रहा है। वह इस बात की जांच कर रहा है कि क्या चमनलाल को दण्ड दिया भी जा सकता है तथा इस मामले में और कितने व्यक्तियों का हाथ है। यह तो इस कहानी का पहला भाग है।

दूसरा भाग यह है कि जांच करने से यह पता लगा है कि चमन लाल ने 1.5 करोड़ रुपये पर आय-कर नहीं दिया है।

जब यह जांच की जा रही थी तो चमनलाल ने प्रस्ताव रखा कि यह समझा जाये कि मैं ने स्वेच्छा-पूर्वक इस मामले का स्पष्टीकरण किया है जोकि अधिनियम के अन्तर्गत वह कर सकता था। परन्तु यह प्रस्ताव स्वीकार न किया गया। इस का कारण यह था कि वह चाहता था कि कुछ रियायतें दी जायें जो कि अधिनियम के अन्तर्गत नहीं दी जा सकती थीं। इस का परिणाम यह हुआ है कि आय-कर अधिकारी भी उसके विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं।

मैंने जो स्वयं जांच की है उससे पता चला है कि हवेली राम गृह-कार्य मंत्री के निजी ज्योतिषी तथा पुरोहित हैं। परन्तु इस बारे में कोई दबाव नहीं डाला गया है। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं ने प्रत्येक दस्तावेज को स्वयं देखा है कि आया गृह-कार्य मंत्रालय अथवा वित्त मंत्रालय ने हस्तक्षेप तो नहीं किया है। अतः मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि मुझे कोई ऐसी बात नहीं मिली है।

दूसरी बात यह आती है कि क्या हवेली राम के पास 10 लाख रुपये है जिस पर उसने कर नहीं दिया है। इस बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, यदि हमें जानकारी दी जाये तो हम उस पर अवश्य कार्यवाही करेंगे।

इस आरोप के बारे में कि भवन तथा "लुफ्थानसा" के मालिक के साथ कोई ऐसा प्रबन्ध किया गया है जिसके अनुसार हवेली राम के नाम जर्मनी की एक बैंक में 5000 रुपये प्रति मास जमा कराये जाते है, सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

अब मैं सरकार के आचरण के बारे में कुछ बतलाऊंगा । जहां तक मुझे मालूम है हवेली राम को कोई संरक्षण नहीं दिया गया है । यदि उसने देश को हानि पहुंचाने वाली कोई कार्यवाही की है तो कानून के अन्तर्गत उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी । जांच में कोई पक्षपात नहीं किया जायेगा ।

मुझे केवल इतना ही कहना है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 25 मार्च, 1966/चैत्र 4, 1888 (शक) के ग्यारह बज तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, March 25, 1966/ *Chaitra* 4, 1888 (*Saka*).

भा०स०भु०ना०—वि० 1—43 लोक सभा/66—25-7-67—600